₹ 20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

मार्च 2015

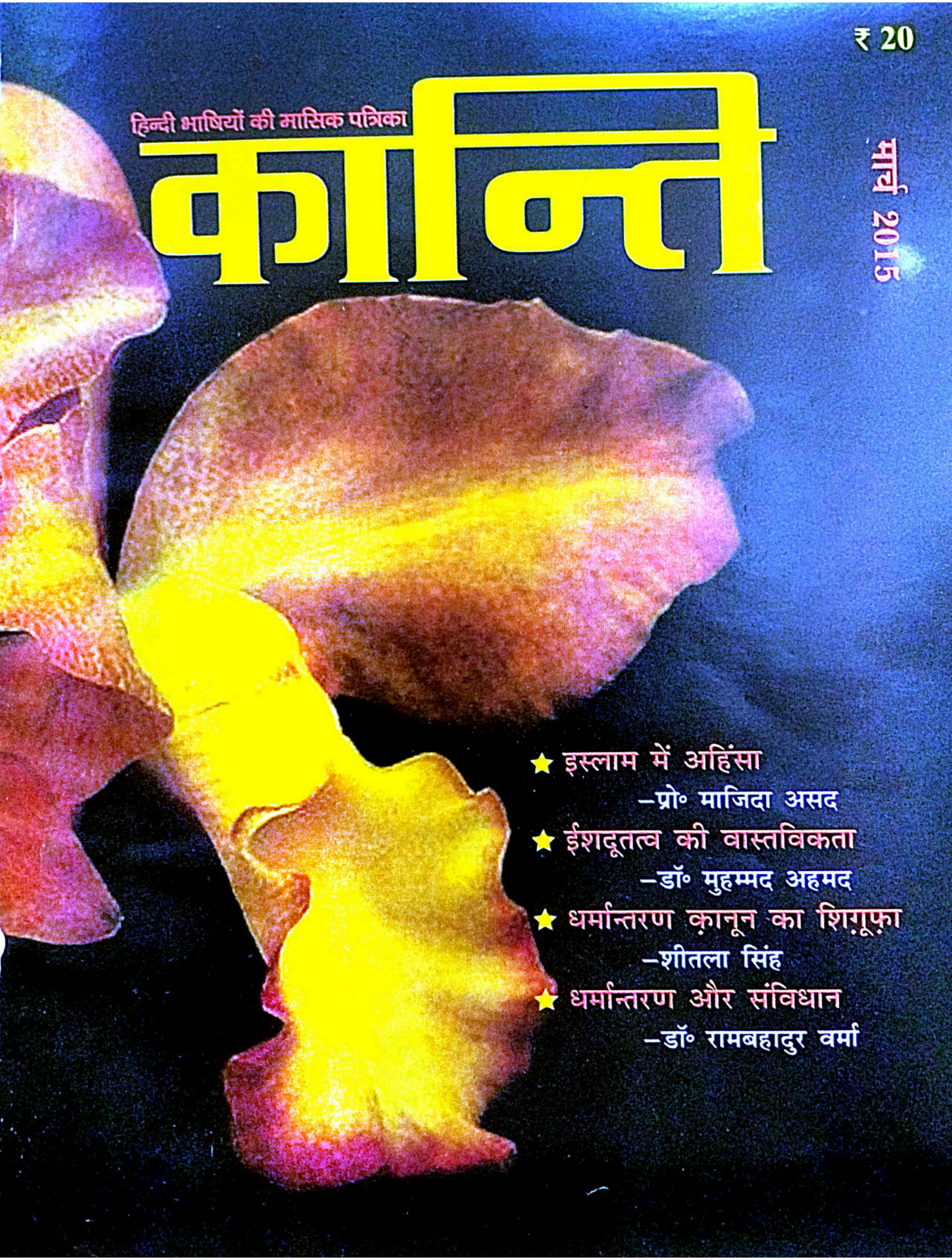

- इस्लाम में अहिंसा
  –प्रो॰ माजिदा असद
- ईशदूतत्व की वास्तविकता
  –डॉ॰ मुहम्मद अहमद
- धर्मान्तरण क़ानून का शिग़ूफ़ा
  –शीतला सिंह
- धर्मान्तरण और संविधान
  –डॉ॰ रामबहादुर वर्मा

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

www.kanti.in

प्रचार-प्रसार मुहिम के लिए विशेष छूट

मासिक कान्ति के प्रचार-प्रसार हेतु एक मुहिम शुरू की गयी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 'मासिक कान्ति' के 5 नये ख़रीदार बनाता है तो उसे मुफ़्त में एक और ख़रीदार बनाने की छूट होगी । इस अवसर से लाभ उठाने के लिए एक साथ एक हज़ार एक सौ रुपये (Rs.1100/-) सीधे कान्ति के कार्यालय में जमा करने होंगे । प्रचार-प्रसार की यह मुहिम आगामी कुछ महीनों तक चलती रहेगी । मासिक कान्ति के पाठक इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए अपने-अपने इलाक़ों में अपने सगे-संबंधियों एवं अन्य साथियों को प्रेरित कर सकते हैं । विस्तार से जानने के लिए सम्पर्क करें :

मैनेजर

मासिक कान्ति

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

09818799223, 011-26949430

E-mail : kantihindimonthly@yahoo.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 24 अंक 9 मार्च 2015

ऐ लोगो जो ईमान लाये हो, अगर तुम अल्लाह से डरने की नीति अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसौटी जुटा देगा और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा एवं तुम्हारी ग़लतियों को माफ़ करेगा। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

मुसलमान

हम मुसलमान इस्लाम धर्म के धारी
'इस्लाम' शांति है, हम सब शांति पुजारी

हमने दुनिया के सब पैग़म्बर माने
सबके गुणगण लेकर के सभी बखाने
हम पैग़म्बर में फ़र्क़ नहीं सहते हैं
जो फ़र्क़ करे उसको काफ़िर कहते हैं
हैं एक लाख चौबीस हज़ार विस्तारी
हम मुसलमान इस्लाम धर्म के धारी

हमने पहले ही पूंजीवाद हटाया
इसकी जड़ खोदी, ब्याज हराम कहाया
हम मेहनत की ही सदा कमाई खाते
हम करते नहीं हराम, भूख सह जाते
मेहनत ही हमको दुखहारी सुखकारी
हम मुसलमान इस्लाम धर्म के धारी

हम जातिभेद के दुश्मन, सब जग प्यारा
हम इन्सानों से रखते भाईचारा
हम रंगभेद से भेद नहीं करते हैं
सब इन्सानों की तकलीफ़ें हरते हैं
कोई भी हो जाति, न हमको न्यारी
हम मुसलमान इस्लाम धर्म के धारी

हम शासन में सबकी समानता चाहें
सब नागरिकों की मिली-जुली हों राहें
हम पक्षपात से दूर हितैषी सबके
सबके भाई हैं और भक्त हैं रब के
हम नहीं चाहते हों विशेष अधिकारी
हम मुसलमान इस्लाम धर्म के धारी

दुनिया में हो सुख, शांति, मुहब्बत पूरी
इन्सानों में रह सके न दिल की दूरी
आओ, हम मिलकर दुनिया एक बनाएं
हम बनें ख़ुदा के बन्दे, सब मिल गाएं
हों शांति पुजारी यहां सभी नर-नारी
हम मुसलमान इस्लाम धर्म के धारी।

स्वामी सत्यभक्त

'संगम', मई 1991 से उद्धृत



कहां क्या है ?

मुसलमान	–स्वामी सत्यभक्त	3
क़ुरआन ज्योति		5
अल्लाह का ज़िक्र (हदीस मंजरी)		6
बढ़ती महंगाई से आमजन दिनोंदिन परेशान (संपादकीय)		7
भाषा नीति पर पुनर्विचार की ज़रूरत (आपके पत्र)		9
इस्लाम में अहिंसा (आस्था)	–प्रो॰ माजिदा असद	13
दूषित चलचित्रों की इस बाढ़ को रोका जाए (अभिमत)	–रामगोपाल	16
अस्त होता सूर्य (कहानी)	–डॉ॰ वक़ार अनवर	17
अन्याय देख मूकदर्शक बने रहने की मानसिकता	–सी॰ के॰ रहमानी	19
साम्प्रदायिक उपद्रव एवं उपचार (अतीत के झरोखे से)		21
सफलता के गुर	–सैयद अख़्लाक़ अहमद	24
ईशदूतत्व की वास्तविकता (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	26-27
दोहे	–शिवप्रसाद लोहानी	33
मानवता उन्नायक हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰)	–संपादन प्रभाग	34
धर्मान्तरण और भारतीय संविधान (ज्वलंत सामयिक)	–डॉ॰ रामबहादुर वर्मा	41
धर्मान्तरण विरोधी क़ानून का शिगूफ़ा	–शीतला सिंह	44
बुके (कविता)	–ओमप्रकाश बजाज	46
शिक्षा का व्यावसायीकरण (कैरियर)	–विद्या प्रकाश	47
जीव-जन्तुओं का महत्व (बालवीथी)	–अबरार अहमद	49



(69) सो उनका परिणाम यह हुआ कि दुनिया और आख़िरत में उनका सब किया-धरा नष्ट हो गया और वही घाटे में हैं–(70) क्या[77] इन लोगों को अपने अगलों का इतिहास नहीं पहुंचा ? नूह की क़ौम, आद, समूद और इबराहीम की क़ौम, मदयन के लोग और वे आबादियां जिन्हें उलट दिया गया[78], उनके रसूल उनके पास खुली-खुली निशानियां लेकर आए, फिर यह अल्लाह का काम न था कि उन पर अत्याचार करता परन्तु वह आप ही अपने ऊपर अत्याचार करने वाले थे ।[79]

–क़ुरआन, 9 : 69,70

77. यहां से फिर इनका परोक्ष वर्णन आरंभ हो गया ।

78. संकेत है लूत की क़ौम की आबादियों की ओर, जिन्हें तलपट करके रख दिया गया था ।.

79. अर्थात उनका नाश-विनाश इसलिए नहीं हुआ कि अल्लाह को उनके साथ कोई दुश्मनी थी और वह चाहता था कि उन्हें नष्ट करे, बल्कि वास्तव में उन्होंने स्वयं ही अपने लिए ज़िन्दगी का वह तरीक़ा पसन्द किया जो उन्हें विनाश की ओर ले जाने वाला था । अल्लाह ने तो उन्हें सोचने और समझने और संभलने का पूरा अवसर दिया, उनके समझाने के लिए रसूल भेजे, रसूलों द्वारा उनको ग़लत रास्ते पर चलने के बुरे परिणामों से सचेत किया और उन्हें खोल-खोलकर अत्यंत स्पष्ट तरीक़े से बता दिया कि उनके लिए सफलता का रास्ता कौन-सा है और नाश-विनाश का कौन-सा । मगर जब उन्होंने अपने सुधार के किसी अवसर का कोई लाभ न उठाया और विनाश की राह चलने ही पर आग्रह किया, तो अवश्य ही उनका वह अंजाम होना था जो अंततः होकर रहा और यह अत्याचार उन पर अल्लाह ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने ऊपर किया ।

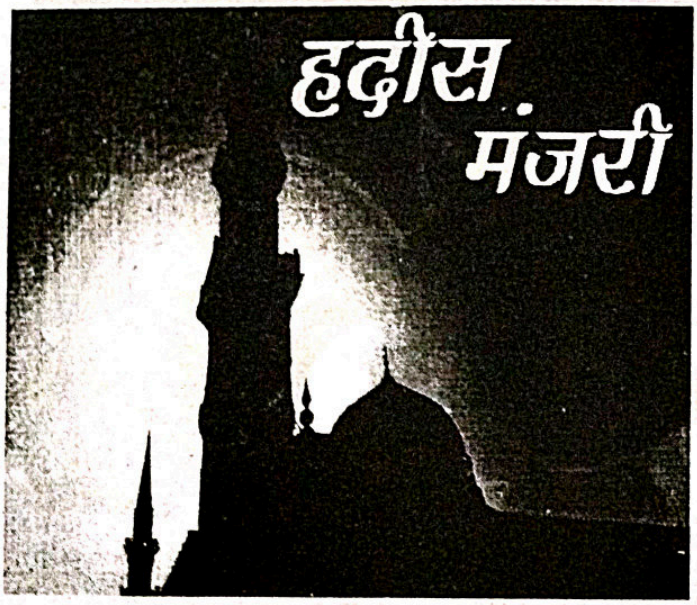

अल्लाह का ज़िक्र

● हज़रत अबु हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिसने हर नमाज़ के बाद तैंतीस बार सुबहानल्लाह' (महान है अल्लाह) और तैंतीस बार 'अलहम्दुलिल्लाह (प्रशंसा अल्लाह के लिए है) और तैंतीस बार 'अल्लाहु अकबर' (अल्लाह से बड़ा है) कहा और एक बार यह कहकर सौ की गिनती पूरी कर ली : अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह एक है, उसका कोई साझी नहीं, बादशाही उसी की है और प्रशंसा उसी के लिए है और उसे हर चीज़ पर पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त है, तो उसके गुनाह क्षमा कर दिये जाते हैं चाहे वे समुद्र के झाग के बराबर क्यों न हों ।" –मुस्लिम

● हज़रत काअब बिन उजरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "नमाज़ के बाद पढ़े जाने वाले कुछ सूत्र-वाक्य हैं जिनको उच्चारित करने वाला–या इन पर अमल करने वाला–कभी असफल नहीं होता, प्रत्येक अनिवार्य नमाज़ के बाद (पढ़े जाने वाले सूत्र–वाक्य ये हैं): तैंतीस बार 'सुबहानल्लाह', तैंतीस बार 'अलहम्दुलिल्लाह' और चौंतीस बार 'अल्लाहु अकबर' ।" –मुस्लिम

● हज़रत साअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) नमाज़ों के बाद इन शब्दों के द्वारा अल्लाह से पनाह चाहते थे : "ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं कायरता और कंजूसी से बचने के लिए, और मैं तेरी पनाह चाहता हूं इस चीज़ से कि मैं ऐसी अवस्था की तरफ़ लौटा दिया जाऊं कि असहाय होकर रह जाऊं और मैं तेरी पनाह चाहता हूं दुनिया की आज़माइश से बचने के लिए, और मैं पनाह चाहता हूं क़ब्र की आज़माइश से बचाव के लिए ।" –मुस्लिम

● हज़रत मुआज़ (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उनका हाथ पकड़कर कहा : "ऐ मुआज़ अल्लाह की क़सम, मैं तुमसे प्रेम करता हूं ।" फिर आपने कहा : "ऐ मुआज़, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि हर नमाज़ के बाद यह पढ़ना कभी न छोड़ना : 'अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका' (ऐ अल्लाह, तू इसमें मेरी सहायता कर कि मैं तुझे याद करूं और तेरे आगे कृतज्ञता दिखलाऊं और तेरी अच्छी इबादत करूं)।"

–अबू दाऊद । अबू दाऊद ने इसे सहीह सनदों से रिवायत किया है ।

● हज़रत अली (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) जब नमाज़ पढ़ते, तो 'तशहहुद' (गवाही के शब्दों) और सलाम के बीच जो अंतिम शब्द पढ़ते वे ये होते : "ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे जो मैंने पहले किये और जिनको मैंने बाद में किया, और जो मैंने छुपाकर किये और जो खुले रूप में किये, और जो मर्यादा का उल्लंघन मुझसे हुआ हो और उसे भी जिसको तू मुझसे अधिक जानता है, तू ही आगे करने वाला और तू ही पीछे करने वाला है, तेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है ।" –मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

बढ़ती महंगाई से आमजन दिनोंदिन परेशान

क्या कोई बता सकता है कि अच्छे दिन आने का जो सब्ज़बाग भाजपा ने दिखाया था, वह ज़मीनी हक़ीक़त में कब परिवर्तित होगा ? सत्ताधारी दल के लोग और विभिन्न स्तरों के भाजपाई पहले यह कहते नहीं थकते थे कि 30 दिनों में ही यें अच्छे दिन नहीं आ सकते, इनके लिए तीन-छह महीने का वक़्त तो दीजिए । अब तो केन्द्र सरकार गठन के आठ महीने पूरे होने वाले हैं, मगर मुश्किलों और कठिनाई भरे दिनों के सिवा सरकार ने दिया क्या है ? क्या ऐसे ही भाषणों से आमजन का पेट भरेगा ? पेट्रोल, डीज़ल के जो दाम घटे हैं, कुछ भाजपाई इसे सरकार की उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं । सच्चाई यह है कि ये दाम तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम घटने से ही संभव हो पाये हैं । लेकिन यहां भी सरकार ने दंडी मारी है और महंगाई की मार से कराहती जनता को जितनी राहत मिलनी चाहिए, उतनी राहत नहीं मिल पायी ! मतलब यह तेल के दाम जितने घटे हमारे देश में उतने कम नहीं हुए ! तेल कंपनियों को जान-बूझकर मालामाल किया जा रहा है और आम जनता को कंगाल ! मतदाताओं ने बढ़ती महंगाई और सब्सीडी पाने के लिए आधार जैसे जंजाल में जनता को फांसने की वजह से कांग्रेस को सत्ता से हटाया था । भाजपा ने इन समस्याओं से निजात दिलाने का वादा भी किया था । सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण आदि ने इस ओर प्राथमिकता के साथ क़दम उठाने के बयान दिये थे, मगर अच्छे दिन न आने, न ही आ सके । फिर इन मोर्चों पर नाकामी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने कांग्रेस की तर्ज़ पर पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है । प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जनता के दीर्घकालीन कल्याण के लिए थोड़ी कड़वी घूंट तो पीनी ही होगी । दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की कोशिशों से देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का लाभ आमजन को कितना और किस रूप में मिल रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है ! सच है कि आर्थिक शब्दजालों से आम जनता अनजान है । वह समझती है कि महंगाई दर घटने का मतलब उपभोक्ता सामानों का सस्ता होना है । लेकिन जब वह बाज़ार जाता है, तो पिछले महीने की तुलना में अधिक क़ीमत पर चीज़ें ख़रीद कर लाता है । तब उसे अस्लियत का पता चलता है ।

वास्तव में महंगाई घटना एक भ्रमित शब्दजाल है । इसकी सच्चाई ट्रेन की स्पीड के उदाहरण से समझा जा सकता है । माना कि पिछले साल अक्तूबर में खुदरा महंगाई के रेल 110 किमी की रफ़्तार से दौड़ रही थी । अब उसकी रफ़्तार धीमी होकर 65 किमी हो गयी है । इसी प्रकार थोक क़ीमतों की मुद्रास्फीति रेल

पिछले साल 72 किमी की रफ़्तार से दौड़ रही थी । अब यह धीमी होकर 17 किमी की रफ़्तार से चल रही रही है । कहने का मतलब है कि महंगाई कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ने की रफ़्तार धीमी हुई । वर्तमान परिस्थितियों में धीमी रफ़्तार भी एक उपलब्धि है ।

वस्तुओं की लागत में वृद्धि के कारण महंगाई शून्य स्तर पर तो नहीं लायी जा सकती, किन्तु इसे न्यूनतम स्तर पर रखा जा सकता है । आज हालत यह है कि खाद्य पदार्थ ख़ासकर फल और सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं । यहां तक कि वे मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच से भी बाहर हो रहे हैं । सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि सब्ज़ी के दाम ख़ासकर प्याज, गोभी, बैंगन, आलू आदि के दाम बेतहाशा बढ़ गये हैं । किसानों को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है । उधर उपभोक्ता पिस रहे हैं । जमाख़ोर और बिचौलिये चांदी काट रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी है ! कुछ अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद (जी॰डी॰पी॰) में वृद्धि आवश्यक है । अत: आम आदमी के काम में आने वाली रोज़मर्रा की वस्तुओं के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि ज़रूरी है । इस विचार से बहुत सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जनहित पहले हैं और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जो 'जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा' के उसूल पर चलता है । इसलिए ज़रूरी है कि महंगाई घटे और आमजन को राहत मिले । साथ ही जनता की समस्याओं को कम करने वाले क़दम उठाए जाएं । कांग्रेस ने आधार कार्ड को अनिवार्य ठहराकर देशवासियों के लिए जो अनावश्यक समस्याएं पैदा कीं और सत्ता से हाथ धो बैठी, अब भाजपा भी कांग्रेस के नक़्शेक़दम पर चलने लगी है ।

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बैंक खाते तो खोलवाए, जिन पर कांग्रेस ने अपने सत्ताकाल में पाबन्दी लगा रखी थी । नि:संदेह यह ऐतिहासिक कार्य है, मगर ग़रीबों के बैंक खातों में पैसे कहां से आएंगे और 'रुपे' कार्ड की जीवंतता के लिए 45 दिनों में इसे ए॰टी॰एम॰ के हवाले करने की अनिवार्यता कैसे पूरी होगी ? क्या भारत जैसे ग़रीब देश में इस काग़ज़ी कार्रवाई की नाकामी स्वयंसिद्ध नहीं है ? अब प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल के ज़रिये संदेश भेजकर निर्देश दिया है कि इन खातों को 'आधार' से जोड़ा जाए, जो कि असंभव है और यह क़दम जनता की मुसीबतें अलग से बढ़ाएगा । ऐसी भी शिकायतें हैं कि 'आधार' बनवाने के लिए प्रति 'आधार' दो सौ रुपये की जो रिश्वत ली जा रही है, उसे ग़रीब जनता कैसे दे पायेगी ? क्या भ्रष्टाचार की असहनीय मार से पहले से ही कराह रही जनता पर यह भ्रष्टाचार का नया प्रहार नहीं है ? मोदी सरकार ने सत्ता में आने के आरंभिक दिनों में जनता को राहत पहुंचाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने का एलान किया था, लेकिन इस पर अमल न किये जाने की ढेर सारी शिकायतें पैदा हो गयी हैं । प्रधानमंत्री महोदय के ईमेल के बाद कहा तो यहां तक जा रहा है कि 'आधार' की अनुपस्थिति में अब सब्सीडी वाली रसोई गैस की आपूर्ति बन्द कर दी गयी है । एक ओर टी॰वी॰ पर सरकार की ओर से विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं कि 'आधार' नहीं है, तब भी अपने बैंक अकाउंट को गैस एजेंसी से लिंक कर सब्सीडी का लाभ पाया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है ! निश्चय ही इन फालतू काग़ज़ी कार्रवाई के कामों से जनसमस्याओं में ग़ैर-ज़रूरी बढ़त हुई है, जिसका खामियाजा सत्ताधारियों को भुगतना ही पड़ेगा । संसार के किसी भी देश में 'आधार' सफल नहीं सिद्ध हुआ है ।

भाषा नीति पर पुनर्विचार की ज़रूरत

देश की आज़ादी के बाद भाषा के मुद्दे पर काफ़ी विचार-विमर्श किया गया और यह प्रयास किया गया कि देश की एक भाषा होनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सके और जिसको देश की जनता आसानी से समझ सके क्योंकि भारत में अलग-अलग इलाक़ों की भाषा अलग-अलग है । उस वक़्त अलग-अलग विचारधारा के लोगों के विचार आये, परंतु सब इस बात पर सहमत थे कि ऐसी भाषा राष्ट्र-भाषा बने, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हो ताकि प्रत्येक इलाक़े का आदमी इस भाषा को आसानी से समझ सके और इस भाषा का नाम भी सुझाया गया 'हिन्दुस्तानी' ।

इस हिन्दुस्तानी भाषा की लिपि क्या हो, इस पर हमारे नुमाइन्दे एकमत न हो सके । कुछ लोग 'रोमन' कुछ 'अरबी' और कुछ 'देवनागरी' के समर्थक थे । रोमन लिपि उस वक़्त फ़ौज में बहुत लोकप्रिय थी और अलग-अलग इलाक़े के लोगों को जोड़ने में पूरी तरह सक्षम थी, मगर हमारे नेताओं ने यह कहकर इसे नकार दिया कि इसमें अंग्रेज़ियत की बू आती है और अंग्रेज़ व अंग्रेज़ियत का इस मुल्क से सफ़ाया करना है । अरबी लिपि के साथ भी ऐसा ही हुआ । अरबी लिपि को इसलिए नकारा गया, क्योंकि कट्टरवादी हिन्दू मानसिकता के लोग इसको लिपि न समझकर मुसलमानों से जोड़कर देख रहे थे ।

भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के तुरंत बाद 'अरबी' लिपि को लागू करने को हिन्दू कट्टरवादी नेता क़तई तैयार नहीं थे । बेशक वे जानते थे कि बंटवारे के बाद भी भारत में मुसलमान की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है और वे यह भी जानते थे कि उर्दू भारत में ही विकसित हुई है जिसकी लिपि अरबी है । अब बची देवनागरी लिपि जिसको लागू करने में कोई परेशानी नहीं हुई । जहां तक हिन्दुस्तानी भाषा का सवाल था उसे भी नकार दिया गया और इस बात को भी बहुत चालाकी भरे अंदाज़ में सिरे से नकार दिया गया कि हिन्दुस्तानी भाषा में प्रत्येक इलाक़े के शब्द होने चाहिए ।

आख़िर ऐसी भाषा की बुनियाद रखी गयी जिसकी लिपि तो देवनागरी हो और उसके व्याकरण का ढांचा एक विशेष इलाक़े की भाषा जैसा हो और वह इलाक़ा बताया गया उत्तर प्रदेश में मेरठ व उसके आसपास का इलाक़ा जहां खड़ी बोली, बोली जाती है । इसे नाम दिया हिन्दी भाषा । हिन्दी भाषा का जो मॉडल दिया गया वह हिन्दुस्तानी भाषा के मॉडल से बुनियादी अन्तर रखता था, क्योंकि हिन्दुस्तानी भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का समावेश होना था और उसकी ख़ास ज़रूरत भी थी, जबकि हिन्दी भाषा में इसका प्रावधान ही नहीं था । 'अरबी' लिपि को छोड़कर भारत के जनमानस में समायी उर्दू को अलग करके देश के मुसलमानों के साथ घोर अन्याय किया और भाषा के विद्वान होते हुए भी उनकी तरक़्क़ी और रोज़गार के सारे अवसर छीन लिये गये । आबादी के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी रखने वाला मेहनतकश और भाईचारे को मानने वाला समाज सत्ता के हाशिये पर चला गया ।

इसी प्रकार हिन्दी भाषा में दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्दों को जोड़ने की असमर्थता भी उत्तर भारत के कट्टरपंथी हिन्दू विद्वानों ने दिखायी और इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी सारे राष्ट्र की भाषा न बन सकी और दक्षिण भारत से हिन्दी का कोई वास्ता न रहा । इतना ही नहीं हिन्दी भाषा जो खड़ी बोली का प्रारूप था, उसे बिगाड़ा गया, क्योंकि खड़ी बोली आम बोलचाल की भाषा थी ।

उसमें ज़्यादातर शब्द आम बोलचाल व उर्दू के थे । उन्हें एक-एक कर निकाला गया जैसे अदालत के स्थान पर न्यायालय जो आजतक लोग स्वीकार नहीं कर सके और यह काम किया गया हिन्दी को देवनागरी लिपि देकर । खड़ी बोली की हिन्दी भाषा में से जब उर्दू के शब्द यानी उसकी आत्मा ही निकाल दी तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो हिन्दी आगे कैसे बढ़े ? इसके लिए हज़ारों साल से बोले जाने वाले शब्दों की जगह संस्कृत के शब्दों को उर्दू के खांचे में ठोका गया, जिससे एक ऐसी भाषा निकलकर आयी जो आम आदमी की बोलचाल की भाषा नहीं है । अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सिलसिला आज भी जारी है । क्या ऐसी भाषा को मातृ-भाषा कहा जा सकता है जिस भाषा को

मां ही न जानती हो । यह दुनिया का सबसे बड़ा मज़ाक़ मातृ-भाषा के साथ है ।

अब सवाल यह उठता है कि आख़िर सरकार ने क्यों हिन्दी का यह मौजूदा मॉडल लागू किया ? क्यों इस तथाकथित हिन्दी भाषा को इस हालात में जान-बूझकर पहुंचाया गया ? सरकार में वे कौन लोग हैं जिन्होंने भारत की मातृ-भाषा को बदलकर धीरे-धीरे सुसंस्कृतनिष्ठ कर एक विदेशी भाषा बना दिया । अगर देश के प्रजातांत्रिक स्तंभों-न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया पर ध्यान दें तो हमें इसका जवाब ख़ुद मिल जाएगा । इन चारों स्तंभों में क़ब्ज़ा ब्राह्मण का रहा है और ब्राह्मण सदा अपनी अलग भाषा यानी संस्कृत से जुड़े रहे हैं ।

जनमानस को बांटने व नफ़रत फैलाने के लिए 'मनुस्मृति' जैसी पुस्तक संस्कृत भाषा की ही देन है । इसलिए ये लोग जिस भाषा को राष्ट्र-भाषा और मातृ-भाषा के रूप में देश में विकसित कर रहे हैं वह न तो मातृ-भाषा है और न राष्ट्र भाषा और न ही दलित-पिछड़े व अल्पसंख्यक यानी 85 प्रतिशत भारत की आबादी की भाषा । ज्ञातव्य है कि पूरी दुनिया में तीन हज़ार लोग संस्कृत बोलते हैं । यह भाषा जोड़ती नहीं तोड़ती है क्योंकि सबसे पहले यह हिन्दू व मुसलमान के बीच बोलचाल में दूरी पैदा करती है । देश के मुसलमान भाइयों को मुख्यधारा से बाहर करती है । उर्दू को लाचार बनाती है और उर्दू के विकास को रोकती है । प्राइमरी शिक्षा के मदरसा मॉडल जो एक बेहतरीन मॉडल है, पर कुठाराघात करती है । देश में एक ऐसा घिनौना माहौल पैदा करती है कि जो संस्कृत-निष्ठ भाषा बोलते हैं वे ही देश भक्त हैं यानी देश भक्ति का पैमाना भाषा हो गया ।

आख़िर संस्कृत से इतना प्रेम देश की मात्र तीन प्रतिशत आबादी यानी ब्राह्मण को क्यों है ? और क्यों रोज़ नये षड्यंत्र रचकर हिन्दी के खड़ी बोली के मॉडल को नष्ट किया जा रहा है । ज़रा इस पर भी ग़ौर करें–बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में आज़ादी के तुरंत बाद 'संस्कृत कमीशन' का गठन किया गया जिसने 1957 यानी आज़ादी के मात्र दस साल के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की ।

उच्चतम न्यायालय ने कहा–संस्कृत भाषा की संस्कृति की पोषक की महत्ता के कारण सरकारी शिक्षा नीति में भाषा की आवश्यकता पर बल दिये जाने के कारण संस्कृत भाषा का अकेले इलेक्टिव विषम का दर्जा (अरबी और फ़ारसी को छोड़कर) देने के कारण सेक्युलरिज़्म के बुनियादी ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं है ।

इस आदेश से यह तय हो गया कि भारत के न्यायालय यह भी तय करते हैं कि भारत की जनता को कौन-सी भाषा पढ़नी है और कौन सी नहीं । इस बहाने सैकड़ों साल से क़ायम उर्दू भाषा यानी भारतीय भाषा का गला घोट दिया गया । इसलिए आज जब संस्कृत भाषा को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय ने एक नयी बहस छेड़ी है, तब आवश्यकता है भाषा नीति पर पुनर्विचार करने की और दुनिया के बाक़ी मुल्कों की तरह भारत की भी एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए जो यहां के किसान-मज़दूर आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक व पिछड़ों की भी भाषा हो और जो अवाम को जोड़ने का काम करे तोड़ने का नहीं । संस्कृत भाषा अवाम को जोड़ती नहीं तोड़ती है ।

विजेन्द्र कसाना

अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नयी दिल्ली

मननीय एवं आचरणीय

'कान्ति' का नवम्बर 2014 का अंक मिला है, धन्यवाद ।

पवित्र 'कुरआन' में उद्धृत एक प्रेरक सन्देश कि "इन्साफ़ और ईमान ही जीवन में सुख-शांति और अल्लाह के निकट होने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है", आज के विश्व के लिए सर्वथा प्रासंगिक है । इस अंक में आपने साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा मनुष्य और धर्म के संबंधों से परिचित कराने वाले पठनीय, मननीय एवं आचरणीय लेख, कहानी एवं कविताएं प्रस्तुत की हैं ।

'कुरआन ज्योति' शीर्षक उद्धरणों में मानवतावादी दृष्टिकोण और अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना तथा नेकनीयती के संदेश समाहित हैं । हदीस मंजरी के माध्यम से सभी इन्सानों की नेक नीयती और सामाजिक तथा पारिवारिक स्थितियों और परिस्थितियों में सन्मार्ग पर चलने की शिक्षाएं दी गयी हैं । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का मानवता को सन्देश अनेक "भ्रांतियों को दूर करने वाला है ।

इस्लाम के संबंध में आम आदमी के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, जिनको इस पत्रिका में दूर करने का प्रयत्न किया गया है ।

सभी सामग्री उपयोगी और ज्ञानवर्धक है ।

डॉ० सूर्यप्रसाद शुक्ल

दर्शनपुरवा, कानपुर (उ०प्र०)

ज्योतिष विद्वान इस पर विचार करें !

(1) श्रीराम, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न की जन्म कुंडलियां पूरी तरह एकरूप हैं । क्या ऐसा संभव है कि एक से अधिक जातकों की जन्म कुंडलियां तो एक समान हों पर ज़िन्दगी एकदम अलग-अलग तरह की हो ?

(2) व्यक्ति के जन्म स्थान, जन्म तिथि एवं जन्म समय के अलावा वह कौन-सा कारक है जो इन तीनों की समानता के बावजूद जातकों के जीवन की घटनाओं को अलग-अलग कर देता है ?

(3) ऐसे एकाधिक जातक जिनकी कुंडली एक समान हो अर्थात जिनके जन्म स्थान, जन्म तिथि एवं जन्म समय समान हों क्या हस्त रेखाओं एवं अन्य शरीर चिन्हों में भी समानता रखेंगे ?

स्वामी तृप्तानंद

खातेगांव, देवास (म०प्र०)

उपयोगी

आपकी मासिक पत्रिका 'कान्ति' बराबर मिल रही है । इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूं ।

इस पत्रिका की संपादकीय तथा लेख बड़े ही उपयोगी हैं । इसमें समाज को सेकुलर बनाये रखने का विचार सराहनीय है । विभिन्न विषयों की जानकारी और इसमें निकलने वाले कार्टून बड़े अच्छे और ज्ञानवर्धक होते हैं, इसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद ।

आप लोगों की ख़िदमत में एक छोटी किताब 'हम एक हैं' भेज रहा हूं । पत्रिका के लिए फिर शुक्रिया ।

माता प्रसाद

पूर्व राज्यपाल, अरुणांचल प्रदेश,

इंदिरा नगर, लखनऊ (उ०प्र०)

सच्चा धर्म

जनवरी 2015 मासिक पत्रिका 'कान्ति' के अंक में 'संपादकीय' आलेख 'सफलता का राज़' शीर्षक का मैंने अध्ययन किया । वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, अधिकांश मानव का चारित्रिक दृष्टिकोण का ह्रास दिन-प्रतिदिन होता जा रहा है । सच्चा धर्म यही है कि मानव-मानव का कल्याण करे । इस्लाम धर्म के दूत हज़रत मुहम्मद (साहब) तथा अन्य समस्त धर्मों के महापुरुषों ने विशेष रूप से अपनी शिक्षा में यही कहा है कि हिंसा करना महापाप है । मिथ्या वाणी बोलना भी हिंसा है । मैं संपादक महोदय के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं ।

मानवीय रिश्तों का महत्वपूर्ण अंश दिन-प्रतिदिन मृतप्राय होता जा रहा है । एक कारण मेरी राय में एकल परिवार भी है । महिलाएं व नाबालिग़ बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं हैं । मोबाइल, टी०वी० संस्कृति का दुरुपयोग होने से बलात्कार आदि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ।

धर्म समाज के आंगन में चलता है समाज से उसे आवश्यक पोषण प्राप्त होता है । धर्म स्थिर व चिर स्थायी होता है । धर्म की परिभाषा शाश्वत है । अपरिवर्तनीय है । किसी को परतंत्र बनाकर नहीं रखना चाहिए । इसकी मान्यता 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत पर कार्य करती है । धर्म का पहला लक्ष्य समाज को सुन्दर, पवित्र तथा ख़ुशहाल बनाता है । इसका दूसरा लक्ष्य मानव में नैतिक गुणों का विकास करना तथा उसे ईश्वर की सत्ता के निकट ले जाना है । सच्चा धर्म हमारा दैनिक धर्म नहीं है, जिसके हम अभ्यस्त होते हैं । संपादक महोदय ने जो विषय छेड़ा है यह इस संबंध में मेरे विचार हैं ।

रामस्वरूप झैवर

शास्त्रीनगर-विस्तार, भीलवाड़ा (राज०)

मीडिया का दुरुपयोग

आपके द्वारा प्रेषित पत्रिका 'कान्ति' पाते हैं । मन मयूर झूम उठा और बरबस ये मुक्तक मेरे मानसपटल पर उभर आयी ।

आप आये गुलशन मुस्कुरा उठा
विहंगों का भी मन चहचहा उठा
जाने आप में है ये कैसा जादू
मेरा मन भी नीलम्बर में समा उठा ।

आपने मुझे पत्रिका भेजी आभारी हूं । हार्दिक धन्यवाद स्वीकारें । पत्रिका मन को बेहद भा रही है । मैं इसे पढ़ रहा हूं और अद्योपांत पढ़ूंगा । 'संपादकीय' के अंतर्गत प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के द्वारा जो दुरुपयोग हो रहा है, वह देश और पार्टियों के हित में नहीं है । यह कुप्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए ख़तरा ही है । इसका उल्लेख आप द्वारा किया जाना प्रशंसनीय है । इसी तरह की कुठाराघात की आवश्यकता है ।

इस पत्रिका के माध्यम से इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को अच्छी-अच्छी बातों से अवगत होने का अवसर मिलेगा । मेरे विचार से सभी धर्मों में बहुत सारी अच्छी बातें निहित होती हैं । शर्त यह है कि लोग उनसे सीख अंगीकृत कर लें,

उस पर अमल करें । पत्रिका का आवरण पृष्ठ, गेटअप, काग़ज़ आदि मनमोहक है । साहित्य भी ठीक है । रचनाएं स्तरीय हैं ।

मैं हिन्दी साहित्य का एक अदना सा सिपाही हूं । 1984 से राष्ट्र के हित में लेखकीय सहयोग देता आ रहा हूं । संपूर्ण देश के विभिन्न भागों से मेरी रचनाएं (क+ग) प्रकाशित होती आ रही है । पाठ्यक्रमों (भागलपुर) में रचनाएं संकलित और कई सम्मानोपाधियां मेरी विशेष उपलब्धियां हैं ।

प्रकाशनार्थ दो ताज़ा ग़ज़लें भेज रहा हूं, अगर अनुकूल हो तो प्रकाशित कर दें ख़ुशी होगी ।

रामधारी प्रसाद 'मीत'
ग्राम-रामबोंध मेन रोड, बर्नपुर,
वर्द्धवान (पश्चिम बंगाल)

परदा रहमत है, ज़हमत नहीं

परदा रहमत है, हम पर । इसकी रहमत की वजह हम बहुत-सी मुश्किलों और परेशानियों से बच सकते हैं । परदा हमें हिफ़ाज़त के घेरे में रखता है । हम पर परदा ख़दीजा (रज़ि॰) की वफ़ात के बाद आया । एक औरत को दीनी व दुनियावी परेशानी से बचने के लिए परदा करना चाहिए ।

परदा करने वाली औरत हमारे पैग़म्बर (सल्ल॰) को पसन्द है यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसन्द है । परदा कोई क़ैदी नहीं है और न इस बात का सबब है कि औरत किसी से कम है । बल्कि परदा तो किसी ख़ास को दिया जाता है । जैसे–हीरा । अगर इसे छुपा कर परदे में न रखें तो आप जानते हैं, क्या होगा । इसकी चोरी हो जाएगी ।

औरत तो इतनी ख़ास है कि उसे "घर की चौखट" कहा गया है । फिर तो यह नहीं समझना चाहिए कि औरत को अदना समझ कर परदा आया है, बल्कि ख़ास समझकर परदा आया है ।

घर की चौखट ख़राब व टूटी हुई होती है, तो सभी घर को ख़राब बताते हैं और घर की चौखट साफ़ व अच्छी होगी तो सभी घर को अच्छा बताते हैं । इसलिए औरत को परदे व इल्म से लैस रहना चाहिए । क्योंकि एक इल्म वाली व परदेदार औरत ही एक अच्छे घर की बुनियाद है ।

कौसर ख़ान

विश्व ही जन्नत

किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था जो धार्मिक था और पांचों टाइम नमाज भी अदा करता था तथा दीन-दुखियों की सेवा में तत्पर रहता था, लेकिन वह अहंकारी था और जन्नत जाना चाहता था । एक बार एक प्रसिद्ध फ़क़ीर उसके घर आकर रुके और फ़ौरन उनकी सेवा में वह लग गया और जन्नत जाने का उपाय पूछने लगा । फ़क़ीर ने उसे ऊपर से नीचे तक ग़ौर से देखा और कहा तुम तो नीच लगते हो और मैं नहीं मानता कि तुम परोपकारी और नमाज़ी भी हो । इतना सुनते ही वह क्रोध से भर उठा और फ़क़ीर को दौड़ा मारने । तब फ़क़ीर ने कहा तुममें तो तनिक भी धैर्य नहीं । इतनी अधीरता, अहंकार के होते तुम कैसे जन्नत में जा सकते हो । उस व्यक्ति को फ़क़ीर की बात समझ में आयी और माफ़ी मांगने लगा । फ़क़ीर ने कहा और समझाया कि एक बार तुम सभी अवगुणों से मुक्त हो जाओ । जिस दिन विकारों से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन यहीं पर जन्नत की रचना तुम्हारे लिए हो जाएगी । क्या ही अच्छा हो यदि हम सभी इसी भावना से कार्य करें तो विश्व ही जन्नत बन जाएगा ।

घेवर चन्द गोदीका
किशनपोल बाज़ार, जयपुर (राज॰)

मुस्लिम योगदान

'कान्ति' (मासिक/साप्ताहिक) के अध्ययन से इस्लाम धर्म के संदर्भ में मेरा ज्ञानवर्धन अभिवृद्धि की ओर अग्रसर है । निस्संदेह यह पत्रिका भ्रम निवारण करती है । हिन्दी में पत्रिका लिखी होने के कारण सहज सरल है ।

'कान्ति' मासिक की विशेष प्रस्तुति "ज्ञान-विज्ञान और मुसलमान" बेहद ज्ञानोपयोगी है । इससे पूर्व भी आप इसी विषय पर पत्रिका निकाल चुके हैं । "ज्ञान-विज्ञान" में हमारे भाइयों के हर क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए उनके हम आभारी हैं । उनके आविष्कारों का हम मानव जीवन के चिकित्सा, तीनों गणित, रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, खगोलशास्त्र, भूगोल, पुरातत्व विभाग में शोधों ने संपूर्ण विश्व को अमूल्य धरोहर प्रदान की है । उन वैज्ञानिकों को साभार धन्यवाद । हमारे मुस्लिम भाइयों का आज भी श्रम के क्षेत्र विशेषकर हस्तकलाओं में अनुपम योगदान है, लेकिन विकृत विचारधारा के लोग उन्हें केवल आतंक का भय दिखाकर ग़रीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी, कुपोषण पर रहने को मजबूर करते हैं ।

शशिप्रभा शर्मा
पन्नापुरी, हापुड़ (उ॰प्र॰)

इस्लाम में अहिंसा

■ प्रो॰ माजिदा असद

धर्म का आविर्भाव मनुष्य को बुराई से हटाकर भलाई की तरफ़ लाने, उसकी पाशिवक वृतियों को सात्विक वृतियों में बदलने और सद्मार्ग पर चलाने के लिए हुआ । संभवत: इसीलिए सारे धर्मों के मूलभूत सिद्धांत एक जैसे हैं । काई धर्म चोरी करने, झूठ बोलने, किसी का अपमान करने, कष्ट पहुंचाने, घृणा करने, अत्याचारी बनने की अनुमति नहीं देता । हर धर्म से प्यार, मुहब्बत, अहिंसा, दया, ममता, स्नेह, सच्चाई, सहानुभूति, सहायता, सद्कर्म और सद्व्यवहार को अपनाने पर विशेष बल दिया है । अहिंसा हर धर्म में किसी न किसी रूप में अवश्य अपनायी गयी है । अहिंसा का अर्थ है किसी प्राणी को अकारण न मारना । मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा न देना ।

इस्लाम धर्म में अहिंसा की चर्चा करने से पहले ज़रूरी है कि इस्लाम के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें । इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना, सुलह, कुशलता, विनम्रता, परित्याग, आत्म-समर्पण और आज्ञाकारिता के साथ अपनी इच्छा से अल्लाह के सामने सिर झुका देना । एक अल्लाह की अधीनता स्वीकार कर उसे सर्वोपरि मानना । इस्लाम धर्म में मनुष्य पूरी तरह अल्लाह की शरण में चला जाता है । उसका हर काम अल्लाह के लिए होता है । इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों में अल्लाह और उसके पैग़म्बरों (ईशदूतों) पर ईमान लाना और इसके अलावा कलमा, नमाज़, रोज़ा, हज़ और ज़कात हैं । कलमा–अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं । मुहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं । दिन में पांच वक़्त नमाज़ें पढ़ना, अल्लाह की इबादत करेना, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, दिन में न खाना, न पीना (भोर से लेकर सूर्यास्त तक) और सामर्थ्यवान के लिए जीवन में एक बार हज करना । अपनी आय का ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष रमज़ान मास में ज़कात (दान) निर्धन व्यक्तियों को देना ।

इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण किताब कुरआन शरीफ़ का आरंभ 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' से होता है । इसका अर्थ है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम (दया) करने वाला मेहरबान (कृपालु) है । कुरआन शरीफ़ के आरंभ में दया और कृपा को अल्लाह का गुण बताया गया है । इन्सान धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि है । उससे कहा गया है 'तुख़लेको बे अख़लाकिल्लाह' अल्लाह का-सा अख़्लाक़ स्वभाव (गुण) पैदा करो । सदा दया और कृपा का भाव अपनाओ । अहिंसा में दया पर विशेष बल दिया गया है । इस्लाम की प्रसिद्ध किताब कुरआन शरीफ़ का आरंभ भी इसी भाव से होता है ।

कुरआन शरीफ़ की पहली 'सूरा फ़ातिहा' में अल्लाह को केवल मुसलमानों का रब न मानकर सारे आलम (संसार) का रब कहा गया है । यह सारे आलम का मार्गदर्शन करने वाली इन्सानियत और भलाई का संदेश देने वाली किताब है । 'सूरा फ़ातिहा' में अल्लाह की प्रशंसा है और उससे दुआ की गयी है । हर वक़्त नमाज़ में 'सूरा फ़ातिहा' पढ़ी जाती है । अर्थ है–''सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रब है, जो निहायत दयावान और कृपाशील है, मालिक है क़यामत (महाप्रलय) के दिन का । हम तेरी ही बन्दगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं । हमें सीधा (सद्मार्ग) रास्ता दिखा । उन लोगों की राह जिन पर तूने कृपा की, न कि उन लोगों की जिन पर तेरा प्रकोप हुआ, न उन लोगों की जो राह से भटके हुए हैं । कुरआन शरीफ़ की पहली 'सूरा' में अल्लाह के दयावान और कृपावान पक्ष की चर्चा कर उससे प्रार्थना की गयी है कि हमें सद्मार्ग पर चला । उन लोगों का रास्ता जिनसे तू ख़ुश हुआ, सीधा रास्ता है अहिंसा और भलाई का, बुराइयों से बचने का, हिंसा से दूर रहने का । कुरआन शरीफ़ सद्भाव, दया, अमन, शांति, आध्यात्मिकता और मानवता का संदेश देता है । कुरआन शरीफ़ में अहिंसा का वर्णन अनेक जगहों पर हुआ है । अकारण, व्यर्थ में ख़ून बहाने, वध करने और फ़साद-झगड़ा करने को मना किया गया है । 'सूरा अल-बक़रा' की 84-188-205 वीं आयतों में कहा गया है–नाहक़ (अकारण) ख़ून न बहाओ और लोगों को बेघर न करो, धांधली से एक-दूसरे का मत खाओ । अल्लाह लड़ाई-झगड़ा, फ़साद को पसन्द नहीं करता ।

सूरा अन-निसा 4 की 29वीं आयत में कहा गया है कि

बेईमानी से दूसरे का माल न खाओ, नाहक़ ख़ून न बहाओ, अपने आपको हलाक़ न करो । सूरा अल-अनाम 6 की 152 आयत में कहा गया है–गंदी बातों के पास न जाओ और नाहक़ किसी की जान न लो । सूरा बनी इसराईल 17 की आयत 32-33 में है नाहक़ किसी का क़त्ल न करो । मानव के प्राण लेना हराम है । किसी का क़त्ल न करो । सूरा अल-माइदा 5 की आयत 32 में कहा गया है जो किसी को नाहक़ क़त्ल करेगा, उसने सारे लोगों को क़त्ल कर दिया, वध कर दिया । जिसने एक इन्सान को क़त्ल होने से बचा लिया, उसने गोया सारे इन्सानों को ज़िन्दा बचा लिया । इस तरह क़ुरआन शरीफ़ में एक इन्सान के क़त्ल को इन्सानियत का क़त्ल माना गया है और एक जान के बचाने को कहा गया है कि उसने सारी इन्सानियत को क़त्ल होने से बचा लिया । क़ुरआन शरीफ़ के अनुसार अल्लाह फ़साद-झगड़ा हिंसा करने वालों को पसन्द नहीं करता । क़ुरआन में कहा गया है कि युद्ध के समय में भी युद्ध क्षेत्र के बाहर किसी का क़त्ल न किया जाए, किसी नागरिक की हत्या न हो, किसी आबादी की तबाही न हो, खेतों को न उजाड़ा जाए, बिना आवश्यकता के पेड़ न काटे जाएं, जहां तक हो सके लड़ाई-झगड़े, मारकाट और हिंसा से दूर रहो ।

क़ुरआन शरीफ़ में बुराई से बचने और भलाई की तरफ़ अग्रसर होने को बहुत बड़ा पुण्य, पवित्र कार्य कहा गया है । बार-बार भलाई को अपनाने की ताकीद की गयी है । 'सूरा अर-रअ्द 13 की आयत 22 में भलाई को बुराई का तोड़ कहा गया है । 'सूरा हाम मीम अस-सजदा 41, आयत 34 में कहा गया है–"बुराई और भलाई समान नहीं है । तुम (बुरे आचरण की बुराई को) अच्छे से अच्छे आचरण के द्वारा दूर करो ।" 'सूरा अल-मोमिनून 23 की आयत 61 में है–"वही भलाइयों की ओर दौड़ने वाले और अग्रसर होकर उन्हें पा लेने वाले हैं ।"

क़ुरआन शरीफ़ में सद्व्यवहार के महत्व पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है । सद्व्यवहार से दूसरों का दिल जीता जा सकता है । सूरा अल-बक़रा 2 आयत 83, 134 में है, 'सबके साथ अच्छा व्यवहार करो । क्रोध को अपने पास मत आने दो । क्षमा का भाव अपनाओ । दूसरों को क्षमा करो । क़ुरआन में अश-सूरा, 42 की आयत 42 में कहा गया है, "निंदनीय तो वे हैं, जो दूसरों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक़ (अकारण) ज़्यादतियां करते हैं । ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है ।" क़ुरआन शरीफ़ ने न्याय को अपनाने पर बहुत बल दिया है, किसी के साथ नाइन्साफ़ी नहीं होनी चाहिए ।

सूरा अनफ़ाल 8 आयत 61 में है, यदि दुश्मन समझौता करना चाहे तो तुम भी उसकी तरफ़ दोस्ती का हाथ बढ़ा दो और अल्लाह पर भरोसा रखो । वह सब कुछ जानता, सुनता है । सूरा अल-मुम्तहिना 60, आयत 8 में है–"अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इन्साफ़ का बर्ताव करो जिन्होंने धर्म के मामले में तुम से युद्ध नहीं किया है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है । अल्लाह इन्साफ़ करने वालों को पसन्द करता है ।" और सूरा अल-बक़रा 2 की आयत 188 में अल्लाह फ़रमाता है–"और तुम लोग न तो आपस में एक-दूसरे के माल अवैध रूप से खाओ और न अधिकारी व्यक्तियों के आगे उनको इस ग़रज़ से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जान-बूझकर अन्याय तरीक़े से खाने का अवसर मिल जाए ।"

अरब देश के मक्का नगर में मुसलमानों का पवित्र स्थान 'काबा' हरम शरीफ़ में स्थित है । इसे अल्लाह ने अमन और शांति का घर बनाया है । यहां लड़ना और हिंसा फैलाना वर्जित है । क़ुरआन शरीफ़ में सूरा अल-बक़रा 2:191-195 में है, 'काबा में लड़ना हराम है ।' इहराम की हालत में शिकार खेलना मना है । 'हज' और 'उमरे' में पुरुष दो बिन सिले चादर पहनते हैं । उसे इहराम कहते हैं । हज और उमरे की स्थिति हालते-इराम कहलाती है । अल्लाह ने 'काबा' को शांति का स्थान बनाया है । हज हिजरी सन के ज़िलहिज्जा मास 'काबा' को शांति का स्थान बनाया है । हज हिजरी सन के ज़िलहिज्जा मास 'सात तारीख़ से बारह' तक होता है । सारी दुनिया से मुसलमान हज करने के लिए यहां आते हैं । 'उमरा' मुसलमान जब चाहे कर सकता है । अमन-शांति इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं । इसे मानवता की भलाई के लिए क़ुरआन शरीफ़ में ज़रूरी माना गया है । इसीलिए जहां हर वर्ष लाखों मुसलमान हज के लिए जाते हैं, उस जगह से अमन और शांति का संदेश मिलता है । वह जगह अमन का घर कहलाती है, जहां पहुंचकर आध्यात्मिक सुख और सुकून की अनुभूति होती है । वहां बार-बार जाने को दिल करता है ।

क़ुरआन शरीफ़ में कहा गया है कि किसी को किसी भी तरह से कष्ट न पहुंचाओ । धर्म परिवर्तन के लिए किसी को मत करो । सूरा अल-बक़रा 2, आयत 256 में कहा गया

है–'लाइकराह फ़िद्दीन' दीन (धर्म) में कोई ज़बरदस्ती नहीं। विचार और धारणा की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। सूरा अल-अनआम 6, आयत 108 में है–"और (ऐ मुसलमानों) ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां न दो, कहीं ऐसा न हो कि ये शिर्क (बहुदेववाद) से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लगें।" इसलिए दूसरे धर्म वालों के उपास्य को बुरा न कहो। 'सूरा अल-काफ़िरून 109 की आयत 5 लकुम दीनुकुम वलिय दीन' का अर्थ है, तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन। अर्थात तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है और मेरा धर्म मेरे लिए है। धर्म को लेकर किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कुरआन शरीफ़ इसकी अनुमति नहीं देता।

कुरआन शरीफ़ इन्सान को अपराधी गतिविधियों से दूर रहने का उपदेश देता है। सूरा 'अल-क़सस 28 की आयत 17 में यहां तक कहा गया है कि अपराधियों और अत्याचारियों का सहायक बनना कदापि उचित नहीं है।

इस्लाम धर्म के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद साहब भी अहिंसा और प्रेम का संदेश लेकर इस संसार में आये। अपने व्यक्तित्व और आचरण से उन्होंने अहिंसा को दर्शाया। जो उनके साथ बुराई करता, उसके साथ वे भलाई करते। कष्ट पहुंचाने वाले के लिए अल्लाह से दुआ करते। अल्लाह तू इसे हिदायत दे। सीधा रास्ता दिखला। हदीस में उन्होंने कहा, 'मुसलमानों का अस्ली मिशन अल्लाह द्वारा बनाए गये समस्त जीवों पर दया करना है। उनसे प्यार, मुहब्बत से पेश आना है।' सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है, जो व्यक्ति अल्लाह के इस कुटुम्ब पर दया और कृपा करता है, वह अल्लाह को प्रिय होता है, दूसरे के प्रति दया करने वालों पर रहमान (अल्लाह) दया करता है। ज़मीन वालों के प्रति दया का भाव रखो। आसमान वाला तुम पर दया करेगा। जहां दया होगी वहां हिंसा नहीं हो सकती। मोमिन मुहब्बत का सचश्मा (झरना) है। उस व्यक्ति में कोई गुण, अच्छाई नहीं है जो किसी के साथ मुहब्बत न करे, उसमें कोई ख़ैर भलाई नहीं जिसके साथ दूसरे मुहब्बत न करें। गीली टहनी को पेड़ से न तोड़ो, पशुओं के साथ भी दया और सहानुभूति से पेश आओ, किसी का दिल न दुखाओ। किसी को कष्ट न पहुंचाओ। हज़रत मुहम्मद साहब ने दूसरे धर्मों के अनुयायियों के साथ सद्व्यवहार को अति आवश्यक बताते हुए कहा 'यदि कोई मुसलमान किसी दूसरे धर्म के मानने वाले नागरिक को कष्ट पहुंचाएगा, तो मैं क़यामत (न्याय के दिन) के दिन उस मुसलमान के विरुद्ध ग़ैर-मुस्लिम का साथ दूंगा। उसकी तरफ़ खड़ा हूंगा। हज़रत मुहम्मद साहब को अपने जीवन में अनेक युद्धों का सामना करना पड़ा। अपने थोड़े से साथियों को लेकर आपने जंग लड़ी। जंग तीत कर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। आपका उद्देश्य दुनिया में अमन, शांति और सलामती का पैग़ाम पहुंचाना था। शांति और अहिंसा का संदेश देना था।

अहिंसा के सिद्धांत को मानते हुए इस्लाम धर्म गर्भपात की अनुमति नहीं देता। साथ ही आत्महत्या करने को भी बहुत बड़ा पाप मानता है। दूसरों का जीवन बचाओ। इन्सान को सुख पहुंचाओ। जीवन का सम्मान करो। जीवन को नष्ट न करने का उपदेश दिया गया है।

चौथे ख़लीफ़ा हज़रत अली (रज़ि॰) ने युद्ध में एक व्यक्ति को हरा दिया। हज़रत अली (रज़ि॰) उसे चितकर उसके सीने पर बैठ गये। उस व्यक्ति ने हज़रत अली (रज़ि॰) के मुंह पर थूक दिया। हज़रत अली (रज़ि॰) ने उसे छोड़ दिया, उसके ऊपर से उठकर खड़े हो गये। उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा–तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। इस पर हज़रत अली (रज़ि॰) ने कहा कि, पहले मैंने तुम्हें युद्ध में परास्त किया था। तुम्हारे थूकने पर तुम मेरे कोप के भाजन बन गये। अब यदि मैं तुम्हें क़त्ल कर देता, तो तुम से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया कि इस्लाम व्यक्तिगत बदले में किसी की हिंसा की अनुमति नहीं देता। हज़रत अली (रज़ि॰) की इस बात को सुनकर वह आदमी उनके चरणों में झुक गया।

सूफ़ी संतों ने हमेशा भाईचारा, प्रेम, सदाचार, सद्व्यवहार का संदेश देते हुए अहिंसा के भाव से जनता को अपने प्रेमपाश में बांध लिया। उनके ख़ानकाहों और दरगाहों के दरवाज़े बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खुले हुए थे। आज भी उनकी दरगाहों में हर धर्म और जाति के लोग जाते हैं। सूफ़ी दरगाहों में बंटने वाला लंगर शाकाहारी होता है। चाहे हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में हो या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में हो। बृहस्पतिवार को बंटने वाला लंगर शाकाहारी होता है। इन दरगाहों के लंगर में मांसाहारी भोजन का प्रयोग नहीं होता।

इस्लाम धर्म में हिंसा को कभी अच्छा नहीं समझा गया। इस्लाम किसी की जान-माल और आबरू (इज़्ज़त) पर आक्रमण की अनुमति नहीं देता। क़ानून तोड़ने वाले को पूरी सज़ा दी जाती है। हिंसा और अत्याचार को इस्लाम में पाप माना गया है। इस्लाम धर्म अमन और शांति को मानवता की भलाई के लिए ज़रूरी मानता है।

दूषित चलचित्रों की इस बाढ़ को रोका जाए

एक अवसर पर एक चर्चा के मध्य, महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को अपने देश की शेखी बघारते हुए, भारत को उससे बहुत कुछ सीखने का उपदेश देने पर फटकारते हुए कहा था–"जिस देश के आदर्श वहां के फ़िल्मी सितारे हों, वह देश हमें और हमारे देशवासियों को क्या सिखाएगा ?"

व्यक्ति जिसे आदर्श मानता है उसके अनुकरण पर ही अपने आचार-विचार को, रुचि-रुझानों को ढालता है । फ़िल्मी नट-नटनियों को जीवन का आदर्श मानने पर उन जैसी श्रृंगारिकता, विलासिता, फ़ैशनपरस्ती और रूप-सौंदर्य के विज्ञापन की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक है ।

अत्यंत खेद का विषय है कि आज अगणित महान व्यक्तित्वों के आदर्शों का यह देश, विशेषत: यहां का युवा-समुदाय, दूषित फ़िल्मों के अनवरत प्रवाह में बहकर अपने समय, शक्ति और प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहा है । आज युवक-युवती दोनों ही सिने-अभिनेताओं को अपना आदर्श मान बैठे हैं । वे बातें करेंगे तो फ़िल्मों की, गाने गाएंगे तो फ़िल्मों के । उनका मस्तिष्क सिनेमा के ज्ञान भंडार से भरा पड़ा है । देश की संस्कृति और उसके इतिहास से, देश की समस्याओं से, महान नेताओं से वे उतने परिचित नहीं होते, जितने कि सिनेमा जगत और उसके अभिनेताओं के जीवन दर्शन से होते हैं । निश्चय ही इसके लिए शिक्षा व्यवस्था भी दोषी है । आज के चलचित्र भौंडे फ़ैशन के प्रचार में भी अग्रगामी बने हुए हैं । वे विकृत फ़ैशन का ख़ूब प्रचार कर रही हैं । सिने-अभिनेत्रियों के अनुकरण पर भले घरों की बच्चियां भी ऐसे कपड़े पहनती हैं कि जिन्हें देखकर आंखें शर्म से गड़ जाए । इतना ही नहीं वे अपने हाव-भावों के प्रदर्शन में भी प्रिय अभिनेत्रियों का अनुकरण करती हैं । अतएव यदि युवक वर्ग उन्हें सरेआम छेड़ता है तो दोष भी किसका है ?

फ़ैशन का प्रभाव केवल लड़कियों पर ही पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है, अपितु युवक भी उससे प्रभावित हैं । वे नित्यप्रति सिनेमा में देखते हैं कि चल चित्र का नायक-नायिका से छेड़छाड़ करने, पीछा करने और गंदे गाना गाने के बाद भी उसका प्रेम प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो वे भी लोक-लाज छोड़कर उसी का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करने लगते हैं । कुछ युवक तो अपने प्रिय अभिनेताओं के स्टाइल पर मादक द्रव्य और सिगरेट पीने का शौक़ भी निस्संकोच पाल लेते हैं । सिने अभिनेता-अभिनेत्रियों के चित्रों से अपने शयनकक्ष तथा ड्राइंग रूम को संवारना, उनके चित्रों की एलबम रखना, उनका रुचिकर कार्य है ।

फ़िल्मों की इस अंधभक्ति के लिए केवल युवा वर्ग को ही दोष नहीं दे सकते । सबसे पहले तो वह अभिभावक वर्ग आता है जो उनकी फ़िल्मी प्रवृत्तियों को पनपाता है । दुखद है कि आधुनिक मां तो बच्चे को फ़िल्मी गाने सिखाती है, उन पर नृत्य करना सिखाती है । बच्चे जब फ़िल्मी गानों को तुतलाते गाते हैं तो उनके माता-पिता उनकी अदाओं पर प्रसन्नता से ताली पीटते हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं । नादान बच्चे सोचते हैं कि सुन्दर बहादुरी भरा कार्य कर रहे हैं, अतएव और भी तन्मयता से जुट जाते हैं । बच्चों पर सिनेमा का दूषित प्रभाव डालने का श्रेय इन अभिभावकों पर ही सबसे अधिक है ।

इस सबका दुष्परिणाम यह होता है कि किशोरावस्था आते-आते बच्चों पर आचार-व्यवहार और चिंतन सभी फ़िल्मी रंग-ढंग में रंग जाता है । सिनेमा के दूषित प्रभाव की अब अति हो चली है । देश के युवा पीढ़ी को यदि नैतिक और चारित्रिक पतन से बचाना है तो फ़िल्मों के वर्तमान रूप में आवश्यक परिवर्तन करने ही होंगे । फ़िल्म निर्माता स्वस्थ वातावरण निर्माण करने वाली तथा स्वस्थ शिक्षा देने वाली फ़िल्में ही बनाएं तो राष्ट्र की उन्नति में उनका यह योगदान चिरस्मरणीय तथा अभिनंदनीय होगा । लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों से कहा जाए कि देश की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन आपके द्वारा हो रहा है । अत: उन्हें अच्छे नागरिक बनाने की ओर ध्यान देकर सिनेमा, नाटक बनाए जाएं ।

रामगोपाल

(पत्रकार, मेरठ)

अस्त होता सूर्य

■ डॉ॰ वक़ार अनवर
(नयी दिल्ली)

आशा की किरण प्रस्फुटित हो पड़ी । उसे प्रतीत हुआ कि क्षितिज पर परिवर्तित होता हुआ प्रकाश सूर्यास्त के कारण नहीं सूर्योदय के कारण है । रंग का परिवर्तन दोनों ही समय होता है अन्तर यह है कि एक समय प्रकाश में क्रमशः वृद्धि होती है और दूसरे समय अंधकार में ।

पापा के पत्र ने निराशा की मोटी चादर को हटा दिया और आशा का दीपक प्रज्वलित हो उठा । पिछले कुछ दिनों से वह जिस तरह विचलित था और जिसके कारण उसके व्यवहार में रुखापन आ गया था उसमें कमी आ गयी । इससे पूर्व जब भी पापा ने दिल्ली से आने के विषय में पत्र भेजा उसने कठिनाई महसूस की थी, क्योंकि वह समझता था कि इस नगर में जिस दयनीय अवस्था में उसका जीवन कट रहा था, उसे देखकर वे प्रसन्न नहीं हो सकते थे । उधर पापा का यह हाल था कि बेटे के कष्ट को वे अनदेखा नहीं कर सकते थे । यही बेटा उनकी आशाओं का दीप था । उन्हें आशा थी कि इस महानगर में वह अपने प्रयासों से अपनी जगह बना सकेगा, खुद भी संपन्न होगा और घर के सदस्यों को भी संपन्नता का सामान उपलब्ध कराएगा ।

दिल्ली आकर उसने बहुत हाथ-पांव मारे मगर कहीं बात बन नहीं सकी । आरंभिक कुछ महीनों में घर से लायी राशि पर गुज़र-बसर हुई । कुछ मित्रों के साथ एक झुग्गी में रहने को जगह मिल सकी, काम के लिए जिस तकनीकी शिक्षा, संपर्क या तेज़ तर्रार होने की ज़रूरत थी, वह प्राप्त नहीं था । न अंग्रेज़ी बोलने की योग्यता न झूठ बोलने एवं स्वयं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने की क्षमता । छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम मिला मगर वह भी ट्यूशन उपलब्ध कराने वाली एक एजेंसी के माध्यम से, जो फ़ीस का तीस प्रतिशत कमीशन के रूप में लेती है । किसी तरह अपना गुज़ारा होता रहा, घर वालों को कुछ भेजना संभव नहीं हो सका । उसका हाल जानने उसके पिता बार-बार दिल्ली आये और स्थिति देखकर लौट गये । उन्होंने कभी घर वालों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की कभी चर्चा नहीं की, ज़ुबानें चुप रहती है, मगर कई बार आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं ।

लंबे प्रयासों के बाद एक प्राइवेट संस्था में काम मिला मगर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि अगर एक वर्ष की प्रोबेशन की अवधि में अगर संस्था संतुष्ट नहीं हुई तो काम से निकाल दिया जाएगा ।

काम का स्वरूप नया था, अपना-सा बहुत प्रयास

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते ।
मद्रासी
मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सी॰जी॰)
फोन : 0771-2539516,2236788
मद्रासी होटल
शॉप नं॰ 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

किया । अब प्रोबेशन की अवधि पूरी हो रही थी और इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बॉस काम से संतुष्ट नहीं है । बॉस के बारे में यह बात भी समझ में आ गयी थी कि वह काम से काम रखने वाला कठोर व्यक्ति है । अपने भविष्य की चिंता ने उसे विचलित कर दिया ।

अपने सारे प्रयासों के बावजूद वह अपने बॉस की अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पा रहा था । अब उसकी समझ में एक ही बात आयी कि बॉस से किसी तरह संपर्क हो जाए और उसकी सहानुभूति प्राप्त हो जाए । प्रोबेशन की समाप्ति पर उसी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी में नौकरी जारी रहने या समाप्त होने की निर्भरता थी । बॉस से सीधे बात करने का उसमें साहस नहीं था । बॉस तक अपनी बात पहुंचाने के प्रयास में उनके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वह उसके अपने क्षेत्र का रहने वाला है, बल्कि ठीक उसके पास के गांव का ।

इसी बीच उसके पापा का पत्र आया कि वे आने वाले हैं । उसने यह सोच लिया कि वह अपने पापा को बॉस से मिलवा देगा । वह जानता था कि उसका बॉस मौलिक रूप से सभ्य व्यक्ति है, पापा के साथ सम्मान के साथ ही मिलेगा । वह पापा से कह देगा कि बॉस से उसके लिए सिफ़ारिश कर दें ।

पापा आये उसने उनके सामने अपना मुद्दा रख दिया । बॉस से समय लिया और पापा को उनके पास भेज दिया । पापा के बॉस से भेंट कर वापस आने की वह सूर्योदय से उपमा देने लगा । पापा भेंट कर वापस आये, किन्तु वे स्वयं प्रसन्न नहीं थे ।

पापा आपने मेरी सिफ़ारिश कर दी उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा ।

'नहीं ।'

यह सुनकर उसकी निराशा बढ़ने लगी, क्यों ? क्या बॉस का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं था ?

नहीं वह एक सज्जन पुरुष हैं, मेरा बहुत आदर किया, हाल-चाल पूछा, चाय पिलायी । मैंने कई बातें पूछीं जिनका बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया । कुछ देर बैठकर मैं उठ आया तो मुझे विदा करने बाहर तक आये । मगर मैं वह बात नहीं कह सका, जिसके लिए तुमने मुझे भेजा था ।

मैं आपकी बात नहीं समझ सका । उसकी आवाज़ भारी होने लगी ।

बेटा मैंने उनके बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वे एक ग़रीब परिवार के सदस्य हैं, अपनी मेहनत से आज इस स्थान पर पहुंचे हैं । वास्तव में वे एक नीच जाति के हैं और हमारे परिवार का रवैया उनके परिवार और समाज के साथ अच्छा नहीं रहा है । इसलिए मैंने उन्हें अपने बारे में नहीं बताया ।

पापा आप अपने बारे में बताये बिना ही अपनी बात तो कह देते ।

देखो बेटा, वह तुम्हारा बॉस है, एक सज्जन व्यक्ति है, मगर है तो नीच जाति का, मैं कैसे उससे अनुरोध कर सकता हूं ।

"पापा, वह कभी नीच जाति का रहा होगा, मगर आज तो उसकी जाति उच्च है ।" वह अपने स्वर का तीखापन छिपा नहीं सका । उसे ऐसा लगने लगा कि सूर्य जिसका अभी-अभी उदय हुआ था, अस्त होने लगा ।

दोहे

चिन्ता उसकी मत करो, गया समय जो बीत,
आगे की सुध कर भले, यही समय की रीत ।

चिंता करे अतीत की, करे समय बरबाद,
करता तबाह स्वयं को, भोगे फिर उन्माद ।

भूल गया सब चौकड़ी, आया संकट पास,
बिखर गया तू इस तरह, जैसे बिखरे ताश ।

बुरे समय की यह घड़ी, नहीं साथ तूं छोड़,
एक-एक ग्यारह बने, मुंह को मत ना मोड़ ।

फूंक-फूंक कर पांव रख, है संकट का दौर,
होगी काली रात की, एक नयी फिर भोर ।

इतनी जल्दी मत करो, करो कुछ इन्तिज़ार,
सभी काम फिर ठीक हों, कर लो सोच-विचार ।

बिगुल चुनावी बज उठा, निकल पड़े सरदार,
अब जनता से कर रहे, वादों की भरमार ।

रोहित यादव
सैदपुर, मंडी अटेली (हरियाणा)

अन्याय देख मूकदर्शक बने रहने की मानसिकता !

■ सी॰ के॰ रहमानी

23 दिसम्बर 2014, समय 9 बजकर 20 मिनट, स्थान दिल्ली का भीड़भाड़ वाला इलाक़ा राजौरी गार्डन की मार्केट । चार युवक दो मोटरसाइकिल पर आते हैं । एक मोटर साइकिल पीछे चल रही होती है और एक आगे, बीच में लेडी डॉक्टर अमृत कौर (30) स्कूटी से ई॰एस॰आई॰ अस्पताल बसई दारापुर (दिल्ली) के लिए जा रही होती है । आगे चल रही मोटर साइकिल स्कूटी के बराबर आती है और मोटर साइकिल पर बैठा युवक झपट्टा मारकर उसका बैग छीन लेता है, तो दूसरा युवक उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक देता है ।

डॉ॰ चीखती रहती है, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती कि मोटर साइकिल सवार युवकों का पीछा करता या पकड़ता । जब वे लोग भाग जाते हैं तब लोग मदद को आगे आते हैं । इससे पहले रोहतक (हरियाणा) में चलती बस में दो लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना होती है बस में बैठे लोग मूकदर्शक बने तमाशा देखते रहते हैं । किसी की हिम्मत नहीं होती कि छेड़छाड़ का विरोध करे । यह वारदात पूरे देश में चर्चा का विषय बनी । यहां तक कि हरियाणा सरकार ने दोनों लड़कियों को गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत करने का एलान कर दिया था, लेकिन कहानी में कुछ पेच आया तो पुरस्कृत करने का फ़ैसला प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया ।

एक घटना का गवाह मैं भी हूं । मैं बसई दारापुर के ई॰एस॰आई॰ अस्पताल (दिल्ली) से घर लौट रहा था । रास्ते में बीच सड़क पर एक मर्द और एक औरत गुत्थमगुत्था हो रहे थे । भीड़ बढ़ती गयी । लोग तमाशा देख रहे थे पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें छुड़ाएं या मामले को ख़त्म कराएं । इतने में मैं भी वहां पहुंच गया । मैंने वहां खड़े लोगों से पूछा क्या बात है ? वहां खड़े एक दो लोगों ने दबी ज़ुबान में कहा पता नहीं । इतने में एक बुज़ुर्ग हिम्मत कर आगे बढ़े और बात जाननी चाही । पता चला कि वे दोनों पति-पत्नी थे । नाराज़ी की हालत में युवक अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने जा रहा था कि रास्ते में बात इतनी बढ़ गयी कि वे स्कूटर से उतर कर गुत्थमगुत्था हो गये । ख़ैर, उन्हें समझा-बुझाकर वहां से भेजा कहा, घर का मामला है, घर निपटाओ । यह मामला पति-पत्नी का निकला, किसी और का भी हो सकता था ।

■ शहरी आदमी सरकारी दफ़्तरों और बाबुओं के चक्कर काटते-काटते उनकी झिड़कियां सुनते-सुनते उपेक्षा और तिरस्कार सहने का आदी बन जाता है । उसमें विरोध करने या आवाज़ उठाने की आदम और क्षमता ख़त्म हो जाती है ।

■ अगर लोगों में ईशभय पैदा हो जाए और यह भरोसा हो जाए कि क़ानून हमारी मदद करेगा, कोर्ट से जल्दी न्याय मिलेगा और अपराधी को उचित दंड मिलेगा तो लोग न तो गुंडों से डरेंगे न गुंडों और भ्रष्ट नेताओं से मदद लेंगे ।

ये कुछ वारदातें प्रतीक भर हैं । ऐसी वारदात दिल्ली में तो रोज़ होती हैं और दस-बीस-पचास या सैकड़ों लोगों के बीच होती हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है, क्यों ? क्या हम बुज़दिल या डरपोक हो गये हैं ? क्या हमें मौत का डर सता रहा है । क्या लोगों में अपमान सहने और प्रतिक्रिया न करने की आदत नहीं रही ।

ऐसे समय में मूकदर्शक बने रहने की चारों ओर तीखी प्रतिक्रिया होती है । लोग निंदा करते हैं । इसे कायराना हरकत क़रार देते हैं । कुछ नपुंशक तक कहने में गुरेज़ नहीं करते । तो क्या हम मान लें कि पूरे देश के लोग कायर/ बुजदिल और डरपोक हो गये हैं । नहीं ऐसा नहीं है । आज भी बहुत ऐसी जगहें हैं जहां आदमी अन्याय/अत्याचार या लोगों को परेशान होते देखता है तो वह उसकी मदद को उठ खड़ा होता है । तो फिर क्या उत्तर भारत के लोग ऐसे हैं, नहीं ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा । सब लोग ऐसे नहीं होते । दरअस्ल हमें इस मानसिकता की जड़ में जाना होगा । ऐसा क्यों होता है कि अन्याय-अत्याचार होते हम देखते रहते हैं या देखते हुए अनदेखा कर देते हैं और

हमारा ख़ून नहीं खौलता । हम उस अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते । दरअस्ल इस समस्या की जड़ एक नहीं कई हैं । कई कारक हैं जो इस मानसिकता को बनाये रखने में मदद कर रहे हैं ।

सबसे पहला डर तो यह होता कि यहां से जाने के बाद क्या होगा । वह व्यक्ति दुश्मनी बांध लेगा, जिसके ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठायी है । वह न जाने कितना बड़ा गुंडा होगा । उसके नेताओं से संबंध होंगे । वह हमारा अहित करने में देरी नहीं करेगा । उसके ख़िलाफ़ हम पुलिस में जाएंगे तो वहां इस बात की गारंटी नहीं कि वह मदद कर ही दें । पुलिस हमें समझाएगी, मुक़दमा करने में कोई फ़ायदा नहीं । कुछ होगा नहीं । आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा । उसका क्या होगा वह आदमी तो पहले ही गुंडा-मवाली है ।

दो चार साल मुक़दमा चलने के बाद होगा दो चार दिन की सज़ा हो भी गयी तो भी आपका ही ज़्यादा नुक़सान है । अगर आप इन सब बातों के बाद भी केस करने पर अड़े रहे तो भी केस आधा-अधूरा बना दिया जाएगा । मामला अदालत पहुंचा तो पता नहीं कितना पैसा ख़र्च होगा और पता नहीं कितना समय लगे । यहां भी गारंटी नहीं कि अपराधी को माक़ूल सज़ा मिल ही जाए । इसके साथ ही आदमी सोचता है कि अरे यार पराये मामले में इतने पचड़े में क्यों पड़ा जाए । यह सोच बन चुकी है शहरी और महानगरीय लोगों की । यहां का आम नागरिक दब्बू बनकर ज़िन्दगी जीने लगा है ।

दरअस्ल ऐसा बनने के पीछे एक कारण और भी है । शहरी आदमी सरकारी दफ़्तरों और बाबुओं के चक्कर काटते-काटते उनकी झिड़कियां सुनते-सुनते उपेक्षा और तिरस्कार रहने का आदी बन जाता है । यह सब सहते-सहते उसका मन मर चुका होता है । उसमें विरोध करने या आवाज़ उठाने की आदत और क्षमता ख़त्म हो जाती है ।

वह इस हालत में आ चुका होता है कि जब कोई उसे बताता है कि सरकारी दफ़्तर में इतना सुनने को मिला, इतने चक्कर लगे और इतने पैसे भी देने पड़े तो हम उसका विरोध नहीं करते । इसे हम नियति मान लेते हैं । उसे यह भी नहीं कहते कि तूने इसका विरोध क्यों नहीं किया या रिश्वत क्यों दी । हम कहने लगते हैं, हां सब जगह ऐसा ही हो रहा है चलो किसी तरह आपका काम हो गया, यही बड़ी बात है ।

मूल समस्या शासन-प्रशासन पर आकर टिक जाती है । लोगों में सरकार, क़ानून और न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास की भावना इस कायरता की जड़ है । यही जड़ गुंडों, बदमाशों, लफंगों और हर तरह के माफ़िया का हौसला बढ़ती है । कई बार नहीं ज़्यादातर हालात में लोग काम पड़ने पर गुंडों की मदद लेते हैं । उनको क़ानून से ज़्यादा गुंडों पर भरोसा होता कि उनकी मदद कर देंगे और होता भी ऐसा ही है । इस मदद के बाद गुंडों और स्थानीय नेताओं का दबदबा बढ़ जाता है क्योंकि गुंडों को राजनीतिक संरक्षण नेता ही प्रदान करते हैं । यहां से गुंडों के हौसले बढ़ते हैं । या यूं कहिये कि शासन-प्रशासन की नाकामी के कारण ही गुंडों का जन्म होता है । लोगों में क़ानून से ज़्यादा स्थानीय नेताओं और गुंडों का ज़्यादा सम्मान होता है । स्थानीय नेताओं के कहने पर ही लोग वोट डालते हैं । यही लोग किसी भी पार्टी को वोट दिलवाने का ठेका लेते हैं । यानी गुंडों की एक तरह समानांतर सरकार चलती है ।

आप यह भी कह सकते हैं कि चलती बसों में पुलिस रहनी चाहिए । बाज़ारों में जगह-जगह पुलिस मौजूद हो । हर गांव, हर मुहल्ले, हर पार्क, हर सड़क, हर चौराहे के लिए पुलिस कहां से आएगी । क्या हर आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस मुहैया कराना संभव है । किसी भी देश में इस तरह की व्यवस्था लागू करना असंभव है ।

दरअस्ल यह सामाजिक समस्या तो है ही, क़ानून और न्यायिक मामला ज़्यादा है । अगर लोगों में ईशभय पैदा हो जाए और यह भरोसा हो जाए कि क़ानून हमारी मदद करेगा, कोर्ट से जल्दी न्याय मिलेगा और अपराधी को उचित दंड मिलेगा तो लोग न तो गुंडों से डरेंगे न गुंडों और भ्रष्ट नेताओं से मदद लेंगे और न ही बसों में छेड़छाड़ होगी, न लूटपाट होते हम देखते रहेंगे । इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह होगा ।

मुंशी प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है 'अन्याय सहना अन्याय करने जैसा अपराध है' । जब आप सच पर चुप्पी साध रहे होते हैं तो आप झूठ बोल रहे होते हैं । यानी झूठ का साथ दे रहे होते हैं । सच का साथ आप स्वार्थवश नहीं देते या डरकर दोनों ही तरह आप अन्याय के साथ होते हैं । दरअस्ल हमें लोगों की नहीं व्यवस्था, क़ानून और न्याय की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि मामला यहीं आकर अटक जाता है । क़ानून हमारा साथ दे । अपराधी को तुरंत सज़ा मिले और तो शायद अन्याय के ख़िलाफ़ मूकदर्शक बने रहने की विवशता ख़त्म हो जाए । इसके लिए अफ़सरों को जवाबदेह बनाना ज़रूरी है ।

साम्प्रदायिक उपद्रव एवं उपचार

भगतसिंह मेमोरियल फाउंडेशन (पाकिस्तान) के अध्यक्ष इम्तियाज़ रशीद क़ुरैशी के अनुसार, कि लाहौर षड्यंत्र के दस्तावेज़ों से साफ़ है कि सहायक पुलिस आयुक्त सांडर्स और हवलदार छननसिंह की 17 सितम्बर, 1928 को हत्या कर दी गयी थी, लेकिन उस दिन भगत सिंह जेल में थे। उनके लिए वारदात को अंजाम देने का सवाल ही नहीं उठता। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर चलाया गया मुक़दमा ख़ानापूरी था। केस के 230 गवाह थे, लेकिन उन्हें बचाव का मौक़ा तक नहीं दिया गया। इस बारे में एवं देश की तत्कालिक सामाजिक परिस्थिति पर स्वयं भगत सिंह क्या लिखते हैं, पढ़िए उनका यह संपादित आलेख : **–संपादक**

भारत वर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का अभी यक़ीन न हो तो लाहौर के ताज़ा दंगे ही देख लें। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों, हिन्दुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मार-काट इसलिए नहीं की गयी कि फलां आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फ़लां आदमी हिन्दू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिन्दू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफ़ी था और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिन्दुस्तान का ईश्वर ही मालिक है।

ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नज़र आता है। इन 'धर्मों' ने हिन्दुस्तान का बेड़ा ग़र्क़ कर दिया है। और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है। और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिन्दू, मुसलमान या सिख होता है, जो अपना दिमाग़ ठंडा रखता है, बाक़ी सबके सब धर्म के यह नामलेवा अपने नामलेवा धर्म के रौब को क़ायम रखने के लिए डंडे, लाठियां, तलवारें-छुरें हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़-फोड़कर कर जाते हैं। बाक़ी कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं.और कुछ जेलों में फेंक दिये जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन 'धर्मजनों' पर अंग्रेज़ी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग़ का कीड़ा ठिकाने आ जाता है।

यहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे साम्प्रदायिक नेताओं और अख़बारों का हाथ है। इस समय हिन्दुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था और जो 'समान राष्ट्रीयता' और 'स्वराज्य-स्वराज्य' के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छिपाये चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मान्धता के बहाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है ? लेकिन ऐसे नेता जो साम्प्रदायिक आन्दोलन में जा मिले हैं, ज़मीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत ही कम हैं। और साम्प्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आयी हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है।

दूसरे सज्जन जो साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, अख़बार वाले हैं, पत्रकारिता का

व्यवसाय, किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था । आज बहुत ही गन्दा हो गया है । यह लोग एक-दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे-मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटव्वल करवाते हैं । एक-दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अख़बारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं । ऐसे लेखक बहुत कम हैं जिनका दिल व दिमाग़ ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो ।

अख़बारों का अस्ली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, साम्प्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल-मिलाप बढ़ना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, साम्प्रदायिक बनाना, लड़ाई-झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है । यही कारण है कि भारत वर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि 'भारत का बनेगा क्या ?'

जो लोग असहयोग के दिनों के जोश व उभार को जानते हैं, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है । कहां थे वे दिन कि स्वतंत्रता की झलक सामने दिखायी देती थी और कहां आज यह दिन कि स्वराज्य एक सपना मात्र बन गया है । बस यही तीसरा लाभ है, जो इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है । जिसके अस्तित्व को ख़तरा पैदा हो गया था, कि आज गयी, कल गयी वही नौकरशाही आज अपनी जड़ें इतनी मज़बूत कर चुकी हैं कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है ।

यदि इन साम्प्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है । असहयोग के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेरों क़ुरबानियां दी । उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गयी थी । असहयोग आन्दोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास-सा हो गया जिससे आजकल के बहुत से साम्प्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गये । विश्व में जो भी काम होता है, उसकी तह में पेट का सवाल ज़रूर होता है । कार्ल मार्क्स के तीन बड़े सिद्धांतों में से यह एक मुख्य सिद्धांत है । इसी सिद्धांत के कारण ही तबलीग़, तनकीम, शुद्धि आदि संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई, जो अवर्णनीय है ।

बस, सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है दरअस्ल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी ख़राब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है । भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है । सच है, मरता क्या न करता । लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है क्योंकि सरकार विदेशी है और लोगों की स्थिति को सुधरने नहीं देती । इसीलिए लोगों को हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए और जब तक सरकार बदल न जाए, चैन की सांस न लेना चाहिए ।

लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग-चेतना की ज़रूरत है । ग़रीब, मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे अस्ली दुश्मन पूंजीपति हैं । इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न करना चाहिए । संसार के सभी ग़रीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं । तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताक़त अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करो । इन यत्नों से तुम्हारा नुक़सान कुछ नहीं होगा, इससे किसी दिन तुम्हारी ज़ंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी ।

जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं, उन्हें मालूम है कि जार के समय वहां भी ऐसी ही स्थितियां थीं वहां भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जत-पतांग करते रहते थे । लेकिन जिस दिन से वहां श्रमिक-शासन हुआ है, वहां नक़्शा ही बदल गया है । अब वहां कभी दंगे नहीं हुए । अब वहां सभी को 'इन्सान' समझा जाता है, 'धर्मजन' नहीं । जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही ख़राब थी । इसलिए सब दंगे-फ़साद होते थे । लेकिन अब रूसियों की आर्थिक दशा सुधर गयी है और उनमें वर्ग-चेतना आ गयी है इसलिए अब वहां से कभी किसी दंगे की ख़बर नहीं आयी ।

इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आयी । वह यह कि वहां दंगों में ट्रेड यूनियन के मज़दूरों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वे परस्पर गुत्थमगुत्था ही हुए, वरन सभी हिन्दू-मुसलमान बड़े प्रेम से कारख़ानों आदि में उठते-बैठते और दंगे रोकने के भी यत्न

करते रहे । यह इसलिए कि उनमें वर्ग-चेतना थी और वे अपने वर्गहित को अच्छी तरह पहचानते थे । वर्ग-चेतना का यही सुन्दर रास्ता है, जो साम्प्रदायिक दंगे रोक सकता है ।

यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्मों से जो परस्पर लड़ाना व घृणा करना सिखाते हैं, तंग आकर हाथ धो रहे हैं । उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वे भारत के लोगों को धर्म की नज़र से–हिन्दू, मुसलमान या सिख रूप में नहीं, वरन सभी को पहले इन्सान समझते हैं, फिर भारतवासी । भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहला है । भारतवासियों को इन दंगों आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए । उन्हें यत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही न बने और दंगे हों ही नहीं ।

1914-15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था । वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है इसमें दूसरे का कोई दख़ल नहीं । न ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए क्योंकि यह सरबत को मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता । इसलिए ग़दर पार्टी जैसे आन्दोलन एकजुट व एकजान रहे, जिसमें सिख बढ़-चढ़कर फांसियों पर चढ़े और हिन्दू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे ।

इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं । झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुन्दर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं ।

यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं । धर्मों में हम चाहे अलग-अलग ही रहें । हमारा ख़याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताये इलाज पर ज़रूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है, उससे हमें बचा लेंगे ।

फ़ार्म–4
नियम–8

प्रकाशन	:	'कान्ति', D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
प्रकाशन अवधि	:	मासिक
प्रकाशक, मुद्रक	:	**ख़लील अहमद**
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	D-105, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
सम्पादक	:	**डॉ० मुहम्मद अहमद**
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	एफ 101, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव-II, शाहीन बाग़, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025
स्वामित्व	:	**दावत ट्रस्ट (रजि०)** D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

चेयरमैन	:	**मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
सेक्रेट्री	:	**जनाब मुहम्मद अहमद** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

सदस्य : 1. **जनाब टी०के० अब्दुल्लाह मौलवी,** इलाथन कण्डी हाउस, पोस्ट-पालीरी, वाया-वुन्टियाड़ी, ज़िला कालीकट, केरल, 2. **जनाब मुहम्मद जाफ़र,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 3. **प्रो० के० ए० सिद्दीक़ हसन,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 4. **जनाब नुसरत अली,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 5. **जनाब एजाज़ अहमद असलम,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 6. **जनाब मुन्तबा फ़ारूक़,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025, 7. **जनाब रफ़ीक़ अहमद,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 8. **डॉ० वक़ार अनवर,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 9. **जनाब परवाज़ रहमानी,** 1353, बाज़ार चितली क़ब्र, दिल्ली-110006, 10. **डॉ० सैयद क़ासिम रसूल इलयास,** 632/9, ज़ाकिर नगर, नयी दिल्ली-110025

मैं ख़लील अहमद, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं ।

हस्ताक्षर

ख़लील अहमद

सफलता के गुर

• सैयद अख़्लाक़ अहमद

हममें से कौन ऐसा इन्सान है, जो सफल होना नहीं चाहता । परन्तु आमतौर पर देखने में यह आता है कि अलग-अलग लोगों के लिए सफलता का अर्थ अलग-अलग होता है । किसी के यहां उच्च पद प्राप्त करने, नाम कमाने, धन-दौलत प्राप्त करने और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति को सफलता से परिभाषित किया जाता है, तो किसी के यहां सफलता के मायने खुशी, संतोष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है । एडविन सी॰ बिलिस के शब्दों में–

सफलता का अर्थ सफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का वास्तविक अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचना । इसका अर्थ है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी-मोटी प्रत्येक लड़ाई ।''

सफलता प्राप्त करने के लिए उसके कुछ मूल नियमों व सिद्धांतों का पालन करना ज़रूरी होता है । अगर आप उन नियमों का पालन करेंगे, तो सफलता आपको प्राप्त होगी, नहीं तो असफलता ही आपके हाथ आएगी ।

• सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें । ज़ाहिर है जिस यात्री को अपने मंज़िल का पता न हो, वह चाहे कितनी भी मेहनत व परिश्रम कर ले, अपनी मंज़िल तक नहीं पहुंच सकता । लक्ष्य निर्धारण करते समय आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वह इतना छोटा न हो कि आपको प्रेरणा न दे सके । इसके लिए आप अपनी महत्वाकांक्षा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ़ वह आपकी योग्यता व क्षमता से इतनी दूर भी न हो कि आपको असफलता व निराशा ही हाथ लगे । लक्ष्य निर्धारित करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि यह आपके नैतिक मूल्य, समय, स्वास्थ्य, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख-शांति, समर्पण और जीवन उद्देश्य आदि के अनुकूल हो ।

• सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण के बाद उसकी प्लानिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है । स्पष्ट, सही और प्रभावकारी आयोजना किसी कार्य को बहुत आसान व सुगम बना देती है । यह व्यक्ति की ऊर्जा को एकाग्र करने का सबसे उत्तम माध्यम है । सही प्लानिंग न होने के कारण कठोर से कठोर परिश्रम भी बेकार चला जाता है । सही प्लानिंग कम परिश्रम में भी अधिक लाभदायक सिद्ध होती है ।

• अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अन्दर दृढ़ इच्छा शक्ति का होना परम आवश्यक है । लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली छोटी-मोटी बाधाएं, परेशानियां व असफलताएं आपको विचलित न कर दें और ऐसा न हो कि उन बाधाओं से घबराकर आप बीच मझधार में ही मैदान छोड़ दें, इसलिए आपकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए । हेनरी फोर्ड ने कहा था, ''अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह ठीक हैं ।''

• अनुशासन के बिना सफलता की आशा करना दिवास्वप्न की तरह होता है । याद रखिए भाप में बहुत शक्ति होती है, मगर जब तक इसे बांधा न जाए और यह इंजन को नहीं खींच सकती । अनुशासन के बिना अच्छी से अच्छी योग्यताएं भी कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पातीं, इसलिए अपने जीवन को अधिक से अधिक अनुशासित करें ।

• अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो अपने अन्दर लगातार संघर्ष करने की शक्ति पैदा करें । कैल्विन कुलिज ने कहा था, ''सतत संघर्ष के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं । इससे अधिक आम बात कोई है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं । जीनियस (प्रतिभाशाली) भी नहीं, 'हारे हुए जीनियस' तो एक कहावत है । शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े-लिखे अशिक्षितों से भरी पड़ी है । लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वसमर्थ है । ''हेनरी फोर्ड के कथनानुसार, ''जितनी अधिक मेहनत करोगे, उतनी ही अधिक क़िस्मत तुम्हारा साथ देगी ।'' आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि नोहा वेबस्टर को Webster's Dictionary तैयार करने में 36 वर्ष लगे थे । जो लोग संघर्ष के बिना सफलता की आशा करते हैं उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, सिवाय असफलता व अपमान के । मेहनत

और दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना उच्च प्रतिभा भी बेकार होती है ।

● सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक (Positive Approach) रखें । यह कभी न सोचें कि मैं क्या नहीं कर सकता, बल्कि आपकी नज़र हमेशा उस चीज़ पर केन्द्रित होनी चाहिए जो आप कर सकते हैं । नकारात्मक विचारधारा आपकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, इसे अपने पास भी न आने दें । आपकी छोटी-छोटी सफलताएं भी आपके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए । हमेशा अपनी अच्छाइयों और ख़ूबियों को ध्यान में रखें । इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि आप अपनी कमियों को नज़रअंदाज़ कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपनी कमियों के सिलसिले में भी आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो ।

● आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हों और पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें । आपने जो प्लानिंग की है, उसके सही क्रियान्वयन के लिए यह अति आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हों । स्मरण रहे हार की सोच रखने वाले लोग सुरक्षा चाहते हैं, जबकि जीत की सोच रखने वाले लोग नये-नये अवसरों की तलाश में रहते हैं । आमतौर पर यह भी देखा गया है कि कुछ लोग असफलता के डर से किसी लक्ष्य के लिए कोई योजना ही नहीं बनाते हैं, वास्तव में वे कायर होते हैं और वे किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हो सकते । किसी ने ठीक कहा है कि "असफल होना कोई गुनाह नहीं है, मगर सफलता के लिए कोशिश न करना गुनाह है ।"

कुछ कमियां ऐसी हैं, जो सफलता की राह में रुकावटें व बाधाएं पैदा करती हैं, उनको दूर करने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है, जैसे सतत संघर्ष की कमी, तुरंत इच्छापूर्ति, प्राथमिकताओं की कमी, शार्टकट की तलाश, स्वार्थ और लालच, आलस्य व सुस्ती, अनुशासनहीनता, लक्ष्य का न होना, दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा, अवसरों की पहचान न होना, प्रतिभा का इस्तेमाल न कर पाना, भाग्यवादी दृष्टिकोण, उद्देश्य की कमी, साहसहीनता, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार ऐसे कारण व कमियां हैं, जो व्यक्ति को असफलता के मार्ग पर ले जाती हैं ।



ईशदूतत्व की वास्तविकता

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ और अनुपम ईश-रचना है । इस धरती के प्राकृतिक, भौगोलिक और अन्य उपादानों पर नज़र डालें, तो सुगमतापूर्वक यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि सृष्टि में जो चीज़ें हैं, वे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य के हितार्थ बनायी गयी हैं । सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, वायु, जल, फल, अन्न इत्यादि चीज़ों की मौजूदगी सिर्फ़ ईश्वर की उदारता और उसकी तत्त्वदर्शिता का ही एक भाग है ।

ईश्वर ने मानव-जीवन को बाक़ी रखने के लिए जहां अनेक वस्तुओं और साधनों को पैदा किया, वहीं उसकी आध्यात्मिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का भी प्रबंध किया । इस स्थिति में वह दयावान ईश्वर मनुष्य को संसार में भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसके सामने मानव-रचना का प्रयोजन था और है; इसलिए उसने मनुष्य को इरादे की शक्ति प्रदान करते हुए इस जीवन और संसार को परीक्षा-स्थली बनाया । उसने मनुष्य को कर्म और इरादे की स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो सुकर्म करके अपने लोक और परलोक को सफल बनाए और अगर चाहे तो कुकर्म करके अपने लोक-परलोक को असफल बनाए ।

यह ईश्वर की महान अनुकम्पा है कि उसने मनुष्यों की रहनुमाई और मार्गदर्शन के लिए अपने पैग़म्बर और रसूल भेजे । संस्कृत में इसके लिए 'अवतार' और हिन्दी में 'सन्देशवाहक', 'सन्देष्टा' शब्द प्रयुक्त होते हैं । अब यह बात विभिन्न शोधों से स्पष्ट हो चुकी है कि रसूलों के आने (रिसालत) और अवतारों के आने (अवतारवाद) में कोई अन्तर नहीं है, अन्तर है तो केवल शब्दों का । यह बात अलग है कि भारत में इसके अर्थ को समझने में भारी भूलें हुई हैं । अक्सर यह कह और लिख दिया जाता है कि ईश्वर स्वयं अवतार लेता है, जबकि वह अजन्मा कदापि अवतार ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह मनुष्यों के मार्गदर्शन और उन्हें संकटों से उबारने के लिए मनुष्यों में से ही किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपना सन्देशवाहक और पैग़म्बर बनाता रहा है ।

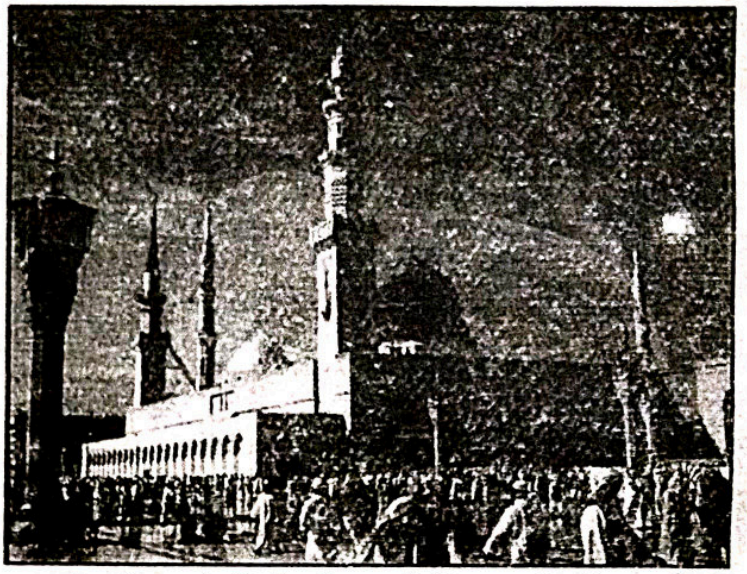

ईश्वरीय आदेशों और शिक्षाओं में जब परिवर्तन आ जाता है, या उसमें मिलावट हो जाती है, जिसके नतीजे में समाज में बिगाड़ पैदा हो जाता है, तो ईश्वर अपने आदेशों और अपनी शिक्षाओं को अर्थात धर्म को फिर से उसके मूल स्वरूप में अवतारों के माध्यम से लागों के सामने पेश करके उनका मार्गदर्शन करता है । लेकिन इस काम के लिए ईश्वर को स्वयं शरीर नहीं धारण करना पड़ता है, बल्कि वह यह काम अपने दूतों, पैग़म्बरों और अवतारों (सही अर्थ में) के द्वारा कराता है ।

वह केवल भारत ही में अपने दूत (अवतार) नहीं भेजता रहा है, बल्कि सारी दुनिया में उसके दूत या पैग़म्बर आ चुके हैं । हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में जिन अवतारों के नाम आते हैं, उनमें से अधिकांश का संबंध भारत से है । इसे मानवता का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि ईशदूतों और पैग़म्बरों को उनके अनुयायियों ने अज्ञानतापूर्ण श्रद्धा के कारण स्वयं उन्हीं को ईश्वर या ईश्वरत्व में ईश्वर का भागीदार बना लिया और वे भी उन्हीं उपास्यों में शामिल कर लिए गये, जिनके खंडन और विरोध में उन्होंने सारा जीवन लगा दिया था । सारे ईशदूतों और पैग़म्बरों ने एक ईश्वर की ओर लोगों को बुलाया और अपने कथन और कर्म से मनुष्यों को सच्चाई का रास्ता दिखाया । इस पर विडम्बना यह कि लोग उन्हें ईश्वर समझ

मौलिकता एवं आवश्यकता

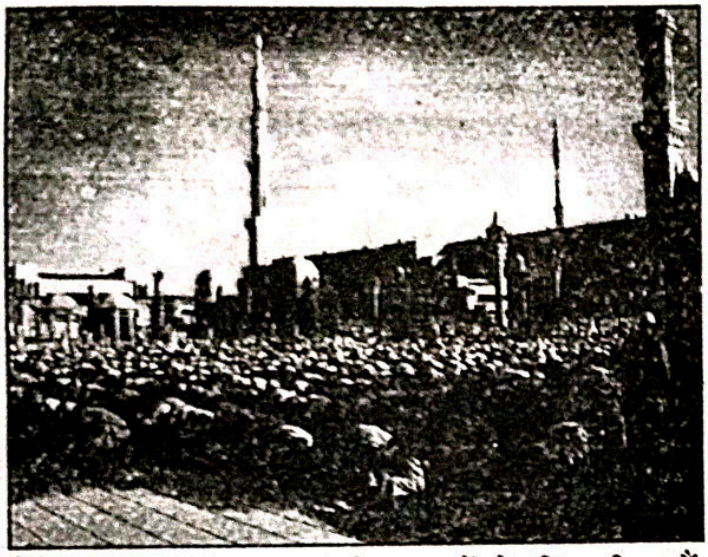

बैठे या यह मान लिया कि ईश्वरत्व में वे भी भागीदार हैं, जबकि इन बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है । वे तो बस ईश्वर के भेजे हुए दूत या पैग़म्बर थे, ईश्वर या कोई ईश्वरीय व्यक्तित्व नहीं ।

अल्लाह के अन्तिम रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं । आप (सल्ल०) के आगमन के बारे में वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भविष्यवाणियां पायी जाती हैं । आप (सल्ल०) की बहुत-सी हदीसों में यह तथ्य आया है कि आपने अपनी मौलिक स्थिति की जानकारी दी और स्पष्ट किया है कि आपमें ईश्वरत्व लेशमात्र भी नहीं, बल्कि आप ईश्वर के पैग़ाम (सन्देश) को लाने वाले हैं ।

प्रचलित अर्थ में अवतार से तात्पर्य है : ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण अथवा उतरना । दूसरे शब्दों में, ईश्वर के लौकिक शरीर धारण करने को अवतार कहते हैं । हिन्दुओं का विश्वास है कि यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं अपनी योगमाया से पृथ्वी पर जन्म लेता है और उस समय तक यहां रहता है, जब तक कि उसके आने का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता । वैदिक साहित्य में अवतारवाद की अवधारणा पायी जाती है । अवतारवाद के प्रचलित अर्थ के समर्थकों के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों तैत्तिरीय ब्राह्मण (1-1-6) और शतपथ ब्राह्मण (7-5-1-5) आदि में ब्रह्मा (प्रजापति) के अवतार ग्रहण करने का भी उल्लेख मिलता है, जबकि पुराणों विशेष रूप से श्रीमद्भागवत महापुराण और विष्णु महापुराण और अन्य हिन्दू धर्म-ग्रंथों में विष्णु (नारायण) के अवतार लेने की बात आयी है । विभिन्न देवताओं के अवतारों में विष्णु का अवतार ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है ।

विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति 'विष्लृ' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है : सर्वत्र फैलना अथवा व्यापक होना । यह ईश्वर ही की एक विशेषता है, जो व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गयी । भागवत धर्म (संप्रदाय) ने विशेषता को व्यक्तित्व बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी । अवतारवाद इसी धर्म की देन है । इस मत को वैष्णव मत और पांचरात्र मत भी कहते हैं ।

भागवत धर्म के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं : सृष्टि का उत्पादक एकमात्र ईश्वर है । इसके अनेक नाम हैं, जिनमें विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनार्दन आदि प्रमुख हैं । वह अपनी योगमाया प्रकृति से समस्त जगत् की उत्पत्ति करता है । उसी से ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि उत्पन्न हुए । जीवात्मा उसी का अंश है, जो ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करके पूर्ण होती है । समय-समय पर जब संसार पर संकट आता है, तब ईश्वर अवतार धारण कर उसे दूर करता है । ईश्वर के ऐसे अवतारों को मानना अवतारवाद कहलाता है ।

यह बात बुद्धिसंगत और सत्यानुकूल नहीं लगती कि ईश्वर स्वयं लौकिक शरीर ग्रहण करे । वह तो सर्व-सामर्थ्यवान है । उसे योगमाया की क्या आवश्यकता ? अधिक बुद्धिसंगत और सत्यानुकूल बात यही हो सकती है कि ईश्वर अपने दूतों, सन्देशवाहकों, पैग़म्बरों और रसूलों को इन्सानों के मार्गदर्शन के लिए भेजे और उनके द्वारा सत्य का बोल-बाला करे और असत्य को धूल-धूसरित कर दे । ऐसा ही हुआ है ।

'अवतार' का सही अर्थ

वैदिक साहित्य में "अवतार" शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं मिलता, बल्कि 'अवतारी' और "अवतार" शब्दों के

प्रयोग संहिताओं और ब्राह्मणों में मिलते हैं । ऋग्वेद (6-25-2) में "अवतारी" शब्द आया है, जिसका अर्थ सायण ने विघ्न, संकट से पार करने वाला बताया है । अवतारी शब्द के बाद "अवतृ" से ही बनने वाला एक दूसरा शब्द "अवत्तर" (18-3-5) में मिलता है । सायण के अनुसार अत्यन्त लक्षण में समर्थ, जिसमें सारभूत अंश हो, वही अवत्तर कहा जाता है । अथर्ववेद के सायण भाष्य में इस शब्द की जो उत्पत्ति है, रक्षा का भाव शामिल है । अवतारवाद के मुख्य प्रयोजनों में रक्षा का भी स्थान रहा है । डॉ॰ कपिलदेव पांडेय ने लिखा है कि "अवतर" शब्द का प्रयोग यजुर्वेद (17-6) में हुआ । इस मंत्र में "अवतर" प्रायः उतरने के अर्थ में गृहीत हुआ है ।[1] जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है कि "अवतर" शब्द यजुर्वेद (17-6) में आया है । इसका अर्थ ग्रिफ़िथ ने Descent बताया है । Oxford Advanced Learner's Dictionary में इसका अर्थ नीचे उतरना (Handling down) भी लिखा गया है। (पृ॰ 236)

अवतार शब्द स्वयं बता देता है कि अवतार का भावार्थ ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण या उतरना नहीं होता, बल्कि इस शब्द का सही भावार्थ ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर उतारा गया होता है । अवतार का अर्थ मूलतः "उतारा गया" होता है, "उतरना" नहीं । 'अवतार' शब्द 'अव' उपसर्ग पूर्वक तृ प्लवन तरणयोः धातु से 'धञ्' प्रत्यय का योग करने पर निष्पादित होता है, जिसका अर्थ "उतारा गया" होता है । पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के अपने सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी (3-3-120) में इस शब्द को स्पष्ट करते हुए "अवतरणं अवतारः" लिखा है, जिसका अर्थ है : "नीचे उतारा गया ।" व्युत्पत्तिगत दृष्टि से "त्ट्ट" और "स्तृ" धातुरूपों से बनने वाले अवतार शब्द का अर्थ होता है : "वह स्थान या विग्रह जिसके माध्यम से अवतार हो और वह स्थान या विग्रह जहां से अवतरण हो ।"[2] अर्थात ईश्वर के पास से अवतार होता है । डॉ॰ वेद प्रकाश उपाध्याय का भी यही मत है । इससे स्पष्ट हुआ कि ईश्वर स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह संसार की गति और कार्यों में गड़बड़ी को दूर करने के लिए अपने दूत और पैग़म्बर भेजता है । दूसरे शब्दों में, हम इसे अवतारवाद कह सकते हैं । महाभारत (339:64) और केन उपनिषद् (:2) में "प्रादुर्भाव" "अवतार" के स्थान पर आया है, जिससे भी "अवतार" के मूल अर्थ के निकट पहुंचा जा सकता है । दुर्भाग्य से "अवतार" शब्द नितान्त ग़लत अर्थ में प्रचलित हो गया है ।

विद्वानों के विचार

गायत्री समाज के प्रमुख विद्वान श्री बलराम परिहार लिखते हैं : "विपन्नता और विकृतियों की बढ़ोत्तरी होने पर जब विश्व शान्ति ख़तरे में पड़ जाती है और मानव-जाति का भविष्य अंधकारमय दिखने लगता है, तो भगवान उस असंतुलन को दूर करने के लिए देवदूत, महामानव भेजते हैं, जो उस असंतुलन को संतुलन में, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने की योजनाएं बनाते और उन्हें सम्पन्न करते हैं... देवदूतों कीशृंखला बहुत बड़ी है । अनादिकाल से लेकर अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अगणित देवदूत आये हैं और उन्होंने अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में अपने-अपने ढंग की अस्त-व्यस्तताओं, विपन्नताओं को संभाला है ।[3] विवेकानन्द जी ने भी ईशदूतत्व की धारणा को मान्यता प्रदान की है ।[4]

इंसानों के कष्ट को दूर करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के आने की बात डॉ॰ पी॰वी॰ काणे भी स्वीकार करते हैं । वे अवतारवाद का परिचय कराते हुए लिखते हैं : "भारतीय अवतार सिद्धांतों युगों और मन्वन्तरों[5] के सिद्धांत से संबंधित है । जब संसार गंभीर क्लेश में पड़ जाता है, तब मनुष्यों को ऐसा विश्वास होता है कि परमात्मा के अनुग्रह से मुक्ति आयेगी (अर्थात छुटकारा मिलेगा) और उनका यह विश्वास सत्य-सा प्रकट हो जाता है-जब कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी उदात्त (ऊंची) भावना से प्रेरित होकर किसी विशिष्ट काल में किसी विशिष्ट स्थान पर आविर्भूत हो जाता है ।"[6] श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी ईशदूतत्व के सिद्धांत को स्वीकार किया है और कृष्ण जी को ईश्वर का दूत माना है ।[7]

वरिष्ठ विद्वान डॉ॰ सुरेन्द्र 'अज्ञात' लिखते हैं-

"एक दूसरी दृष्टि से भी ईश्वर का स्वयं अवतार धारण करना पूरी तरह असंभव है । यजुर्वेद का कथन है कि ईश्वर इस संसार की प्रत्येक वस्तु में, इस संसार में हर स्थान पर, विद्यमान है-ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् (यजुर्वेद, 40:1) अब जब ईश्वर संसार के कण-कण में पहले से ही विराजमान है तब फिर वह अवतार क्यों और

कैसे धारण कर सकता है ? यदि एक सर्वव्यापक ईश्वर हर स्थान पर, हर वस्तु में पहले से ही विद्यमान है, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ-जा कैसे सकता है ? सर्वव्यापक होने से वह पहले से ही सर्वत्र मौजूद है । इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापक मानना न केवल उसे अवतार लेने से रोकता है, बल्कि उसकी सर्वशक्तिमत्ता को भी प्रश्न चिह्नों से मंडित करता है ।

इस सारी परिचर्चा से यही प्रमाणित होता है कि जो लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, वे अवतारवाद को किसी प्रकार भी तर्कसंगत नहीं सिद्ध कर सकते । दूसरे, जो लोग ईश्वर को इस संसार के बाहर सातवें आसमान पर स्वीकार करते हैं, वही अवतारवाद को निर्विवाद तौर पर मान सकते हैं । तीसरे, उस अवतारवाद में भी ईश्वर का स्वयं अवतार लेना उतना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, जितना उसका किसी अन्य को प्रेषित करना क़ायल करता है । इस तरह यह अवतारवाद एक तरह से रिसालत ही बन जाता है । इस तरह स्पष्ट है कि करण और अधिकरण कारकों के अर्थ में भी ईश्वर का स्वयं अवतार लेना सिद्ध नहीं होता ।[8]

लेखक की पुस्तक 'अवतारवाद और रिसालत' पर प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए प्रख्यात पत्रकार विद्या प्रकाश जी लिखते हैं कि विभिन्न आस्था के विकारों में अवतारवाद का ग़लत अर्थ शामिल है । वे कहते हैं कि संसार में पवित्र क़ुरआन सहित अनेक ऐसे धर्मग्रंथ हैं, जिनमें एकेश्वरवादी विचारधारा की अवधारणा पायी जाती है । सही अर्थ वाला अवतारवाद ही ग्राह्य होना चाहिए ।

सारंगपुर (म०प्र०) के विद्वान संत श्री सत्य ने लिखा है कि, "अवतारवाद ईश्वर के सामर्थ्य एक चुनौती है । इससे अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है । अवतारवाद के नाम पर शताब्दियों से लोगों का शोषण किया जा रहा है ।"

श्री द्वारिका प्रसाद साहू लिखते हैं–

"हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि ईश्वर का इस संसार में पैदा होकर अवतार लेने की बात पूरी तरह कपोल-कल्पित है । यह सच्चाई है कि मनुष्य जब-जब सत्य धर्म से विमुख हुआ, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने पथ-प्रदर्शक, पैग़म्बर भेजे, जो मानव को एक ईश्वर की उपासना की शिक्षा दिया करते थे । पैग़म्बरों के सिलसिले में अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं । आप पर रिसालत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया । रहती दुनिया तक इस्लाम मानवों का सीधा मार्ग बना रहेगा ?[9]

पवित्र क़ुरआन में आया है–"कोई समुदाय ऐसा नहीं गुज़रा, जिसमें कोई सचेत करने वाला न आया हो ।" (25:24) एक अन्य स्थान पर है–"और हमने हर क़ौम में एक पैग़म्बर भेजा, जिसने संदेश दिया कि ईश्वर कि बन्दगी करो, बढ़े हुए फ़सादी की बन्दगी न करो ।" (16:36)

इस विवेचन से ज्ञात हुआ कि ईश्वर प्रत्येक काल, युग और समुदाय में अपने दूतों, पैग़म्बरों और अवतारों (सही अर्थ में) को भेजता रहा । बन्दों से प्रेम के कारण उसने ऐसा किया । शांडिल्य भक्ति (49) में कहा गया है–

मुख्य तस्य हि कारुण्यम्

अर्थात, उसकी करुणा ही इसका मुख्य कारण रही ।

लेकिन ईश्वर सदैव अपने पैग़म्बर को भेजने के लिए बाध्य नहीं है । यह उसकी इच्छा पर निर्भर है । वह स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान सत्ता है, उस पर किसी का वश नहीं चलता ।[10] वह जब तक चाहे अपने पैग़म्बर (अवतार) भेजता है और जब चाहे यह सिलसिला समाप्त कर देता है ।

गीता और अवतारवाद

श्रीमद् भगवद्गीता में कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से अवतारवाद का प्रतिपादन किया है ? ऐसा अनेक विद्वानों का मानना है, लेकिन ऐसे लब्धप्रतिष्ठ लोग भी मिल जाते हैं, जो इसे नहीं स्वीकार करते । इसके समर्थक वही हैं जो अवतार का अर्थ समझने में भूल करते हैं । इसके समर्थन में गीता (4:7) का प्राय: यह श्लोक प्रस्तुत किया जाता है :

यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानम्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।7।

शंकरानन्द ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है–"जब-जब वैदिक धर्म का ह्रास होता है, वर्णाश्रम धर्मावलंबियों के अभ्युदय और नि:श्रेयस (कल्याण) के लिए तब-तब मैं धर्म-रक्षण और अधर्म-विनाश के योग्य शरीर को धारण करता हूं ।"[11]

इस अनुवाद से स्वयमेव स्पष्ट है कि इसमें सच्चाई से काम नहीं लिया गया है । वैदिक धर्म और वर्णाश्रम धर्मावलंबियों की भी बात अनावश्यक रूप से आयी है । इस

श्लोक में अगले श्लोक की पहली पंक्ति को शामिल करके स्वामी मंगलानन्द पुरी इसका अनुवाद उपर्युक्त अनुवाद से हटकर करते हैं। पुरी जी 'प्राचीन भगवद्गीता', जिसमें मात्र 70 श्लोक हैं, के 21वें श्लोक में "परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्" पंक्ति को सम्मिलित करते हैं। वे इस गीता को ही मूल बताते हैं। वे आज की सर्वाधिक प्रचलित 700 श्लोकी गीता को नहीं मानते। वे सबसे पहले इस श्लोक की 'संगति' इस प्रकार स्पष्ट करते हैं–

"अब यह बतलाते हैं कि किन दशाओं में श्री कृष्ण जी या ऐसे महान योगी लोग संसार में आकर जन्म लेते हैं।"[12]

उन्होंने इस श्लोक का जो अनुवाद किया है, वह इस प्रकार है–

"हे भारत (अर्जुन)! जब-जब धर्म की (संसार में) कमी और अधर्म की ज़्यादती हो जाती है, तब-तब मैं साधुओं की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए अपने को सृजता हूं।[13] इसी तरह की बात महाभारत के वनपर्व (272-71) और आश्वमेधिक पर्व (54-13) में भी मिलती है।

गीता के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए पुरी जी लिखते हैं–"अवतारवादी महाशय गण इसी श्लोक का प्रमाण अपनी पुष्टि में लगाते हैं, परन्तु यहां परमेश्वर के शरीरधारी बनने की कोई बात नहीं कही गयी।"

(1) इस पर यह श्रुति है–

"आप्त कामस्य स्मृहा।"

अर्थात, जो आत्मज्ञानी हैं, उनको कुछ भी किसी काम के फल से प्रयोजन नहीं है।

(2) "मुझ" से अभिप्राय "ब्रह्म परमात्मा" से है। श्री कृष्ण जी ने परमात्मा के स्थान में अपने को क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि श्री कृष्ण जी परम योगी थे, इस कारण वे परब्रह्म में इतने लीन थे कि अपने को उससे भिन्न नहीं देखते थे। ऐसे पूर्ण योगी महात्मागण इसी प्रकार दीक्षा करते हैं, इसका प्राचीन प्रमाण भी मिलता है–

बृहदारण्यक उपनिषद् में आया है कि वामदेव ऋषि ने कहा था कि सूर्य में जो पुरुष प्रकाश दे रहा है, वह मैं हूं। मूल वाक्य यह है–

तद्धैतत् प्रश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुर्भव सूर्य्यश्चेति तदिदमत्येतर्हिय एवं वेदाह ब्रह्मास्मीति।

–बृहदारण्यक उपनिषद् (1-4-10)

श्री लोकमान्य तिलक महाराज ने अपने "गीता रहस्य" के नवें प्रकरण में पृष्ठ 232 पर लिखा है–"व्यक्त अथवा अव्यक्त सगुण ब्रह्म की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे-धीरे बढ़ता हुआ उपासक अन्त में "अहं ब्रह्मास्मि" (बृहदारण्यक उपनिषद् 1-4-10) अर्थात "मैं ही ब्रह्म हूं" की स्थिति में जा पहुंचता है और "ब्रह्मात्मैक्य" (ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता" स्थिति का उसे साक्षात्कार होने लगता है। फिर उसमें वह इतना मग्न हो जाता है कि इस बात की ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता कि मैं किस स्थिति में हूं।" यह समाधि योग है, जिसमें द्वैत का ज़रा-सा भी लवलेश नहीं रहता।

पाठकों को ज्ञात हो कि योगीराज श्री कृष्ण जी की ऐसी ही स्थिति थी, जिसका दिग्दर्शन तिलक महाराज के ऊपरी वाक्य में कराया गया है। अतः जहां-जहां "परमेश्वर की उपासना करो" कहना उचित था, वहां-वहां कृष्ण जी ने "मेरी उपासना करो" कहा है। इसका अभिप्राय यही है कि मैं जिस ब्रह्मपरमात्मा का प्रतिनिधि हूं उसकी उपासना करो।"[14]

गीता के उपर्युक्त श्लोक की पुरी जी की व्याख्या निश्चित रूप से सत्य का अनावरण करती है। दूसरी तरफ़ श्री बलराज सिंह परिहार जी ने इसका जो अनुवाद किया है, उससे सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है। उनका अनुवाद इस प्रकार है–

"जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब साधुता के परित्राण और असुरता के निवारण के लिए मैं "पवित्र" आत्माओं का सृजन करता हूं।"[15]

श्रीमती लज्जा आर्या ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए प्रभु द्वारा समाज सुधारक महापुरुषों को प्रेरणा देकर भेजने की बात लिखी है।[16] इस अनुवाद में ईश्वर के स्वयं संसार में शरीर धारण कर आने की बात नहीं कही गयी है, बल्कि उसके द्वारा पवित्र आत्माओं का सृजन करने अर्थात पवित्र आत्माओं को संसार में सत्य धर्म स्थापित करने और बुराइयों को मिटाने को भेजते रहने की बात है। पवित्र आत्माएं समय-समय पर संसार के प्रत्येक भू-भाग और क़ौमों में

आकर लोगों का मार्गदर्शन करती रही हैं । अवतारवाद का सही अर्थ यही है ।

ईश्वर जन्म अथवा अवतार नहीं लेता

ईश्वर अजन्मा है ।[17] यह उसके गौरव के विरुद्ध है कि वह लौकिक शरीर धारण करे और सारे जगत का स्वामी होकर भी सामान्य जीवधारियों जैसा जीवन व्यतीत करे । इस अर्थ में उसके स्वयं अवतार लेने का वेद भी समर्थन नहीं करते । यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से आया है–

स पर्यगाच्छक्रम कायम-व्रणम्स्नाविर शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातहतथ्यतोऽर्थान्
व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः।
–यजुर्वेद (40-8)

डॉ॰ पं॰ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है–

''वह (ईश्वर) सर्वत्र गया हुआ है । वह देहरहित, स्नायुरहित है । वह व्रणरहित है । वह पवित्र और वीर्यवान है । वह पाप से विद्ध (बिंधा) हुआ नहीं है । वह मन का स्वामी है, विचारशील है । वह सबसे श्रेष्ठ और विजयी है । वह अपनी शक्ति से स्थित है । करने योग्य कार्य वह करता रहता है ।''[18]

आर्य समाज के प्रवर्तक श्री दयानन्द सरस्वती जी ने इस मंत्र की व्याख्या विस्तार के साथ की है, जिसके कुछ भाग यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं–

''स पर्यगात्'' वह परमात्मा आकाश के समान सब जगह में परिपूर्ण (व्यापक) है; ''शुक्रम्'' सब जगत् का करने वाला वही है; ''अकायम्'' और वह कभी शरीर (अवतार) नहीं धारण करता, क्योंकि वह अखंड और अनन्त, निर्विकार, इससे देहधारण कभी नहीं करता । उससे अधिक कोई पदार्थ नहीं है, इससे ईश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता ।''[19] अर्थात इससे भी स्पष्ट है कि ईश्वर शरीर नहीं धारण करता है ।

गीता में भी ईश्वर को अजन्मा कहा गया है, किन्तु माया से उसके प्रकट होने की बात भी जुड़ी हुई है । श्लोक यह है–

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृदि स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्याममायया ।।6।।
–श्रीमद् भगवद्गीता (4:6)

श्री जयदयाल गोयन्दका ने इसका अनुवाद इन शब्दों में किया है–

''मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूं ।''[20]

गीता के इस श्लोक को भी ईश्वर के अवतार के प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है । इस श्लोक को समझने से पूर्व ''माया'' (लीला) शब्द पर विचार करना उपयुक्त होगा । डॉ॰ पं॰ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने यजुर्वेद के ''मायायै कर्मारम्'' (30:22) मंत्र की टीका में ''माया'' शब्द का अनेक अर्थ बताया है, जो इस प्रकार है–''हिकमत, बनावट, हस्तकौशल्य, राजनैतिक युक्ति प्रयोग, विलक्षण शक्ति अथवा बुद्धि, कला, हुनर, बुद्धि, अलौकिक शक्ति ।''[21]

डॉ॰ सातवलेकर ने 'माया' का पहला अर्थ हिकमत अर्थात तत्वदर्शिता बताया है । इस अर्थ को यदि हम इस श्लोक पर निष्पन्न करें, तो हमें सुगमता से सही अर्थ प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार इसका अनुवाद होगा कि मैं अपनी हिकमत को प्रकट करता हूं या मैं अपनी हिकमत से प्रकट होता हूं । इसमें स्वयं ईश्वर के शरीर धारण करने का खंडन हो जाता है, क्योंकि हिकमत अर्थात, तत्वदर्शिता को प्रकट करने से तात्पर्य है–अपना तत्वज्ञान व्यक्त करना और हिकमत से प्रकट होने से तात्पर्य है–उसके तत्वज्ञान से कोई चीज़ प्रकट हो, क्योंकि ईश्वर किसी प्रयोजन के लिए जब हिकमत करता है, तो उसे कार्य-रूप देने के लिए उसमें स्वयं लिप्त नहीं होता । यजुर्वेद में है–

तत् एजति तत् न एजति । (40:5)

डॉ॰ सातवलेकर के शब्दों में इस मंत्र का अनुवाद यह है–

''वह दूसरों को चलाता है, पर स्वयं हिलता नहीं ।''[22] वह स्थिर है ।[23] (यजुर्वेद 40:4) यह अवश्य है कि उसका प्रताप और तेज चतुर्दिक फैला हुआ है ।[24]

बौद्ध और जैन धर्म में ईशदूतत्व

अवतारवाद के अर्थ को समझने में कुछ अन्य धर्मों के साहित्य में भ्रान्तियां पायी जाती हैं, जहां तक बौद्ध धर्म का संबंध है, उसकी प्राचीन पुस्तकों में अवतारवाद का परवर्ती

अर्थ नहीं मिलता है । बौद्ध धर्म के परवर्ती साहित्य में जो अवतारवाद का अर्थ पाया जाता है, उस पर बौद्ध विद्वानों की भारी आपत्ति है । इस धर्म में ईशदूतत्व मौजूद है और बोधिसत्व की मान्यता इसी पर आधारित है । विजयतोष भट्टाचार्य लिखते हैं–

मैत्रेय को भावी और अंतिम बुद्ध बताया गया है । इनके बारे में कहा गया है कि वे स्वर्ग में निवास कर रहे हैं[25] और बुद्ध जी के देहावसान के एक हज़ार वर्ष बाद अवतरित होंगे । पं॰ वेद प्रकाश उपाध्याय हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के आगमन को इस भविष्यवाणी की निष्पन्नता सिद्ध करते हैं ।[26]

भारत के कुछ बौद्ध संगठनों ने बुद्ध जी को विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा विष्णु का अवतार बताने पर कई बार आपत्तियां प्रकट की हैं । मेरठ के आनन्द प्रकाश बौद्ध का कहना है कि बौद्ध धर्म में अवतारवाद (प्रचलित अर्थों वाला) नहीं है । हिन्दू लेखकों ने बौद्ध धर्म को तोड़-फोड़ कर उसकी मूलता नष्ट कर दी है ।[27]

जैन धर्म में तीर्थंकरों की कल्पना है, किन्तु इनके वादी रूप, रामायण, महाभारत और हरिवंशपुराण के प्रभावाधीन होकर विशेष रूप से जैन पुराणों में पाये जाते हैं ।

डॉ॰ पी॰ एच॰ चौबे ने लिखा है–

"मैं मुहम्मद (सल्ल॰) को कल्कि अवतार मानता हूं । पुराणों में इस अवतार (पैग़म्बर) का वर्णन है । कहा गया है कि कल्कि अवतार बुद्धावतार के बाद होगा, जिसका जन्म शम्भल नामक नगर में एक पुजारी परिवार में होगा, उसकी सवारी घोड़ा और हथियार तलवार होगा । वह संपूर्ण पृथ्वी पर अपने सत्य धर्म की विजय करेगा ।"

(विस्तृत विवरण के लिए देखें कल्कि पुराण)

जैन धर्म के ग्रंथकारों ने भी कल्कि अवतार का वर्णन किया है और उसके आने का काल महावीर स्वामी ने निर्वाण के एक हज़ार वर्ष बाद माना है । महावीर स्वामी के निर्वाण का वर्ष प्राय 571 ई॰ पू॰ निश्चित किया जाता है । इस प्रकार एक हज़ार वर्ष बाद कल्कि अवतार का आगमन होता है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का जन्मकाल वही वर्ष पड़ता है, जो कल्कि अवतार के आने का काल है । कल्कि अवतार की अन्य विशेषताएं और उसके गुण हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से साम्यता रखते हैं । एक प्रसिद्ध जैन लेखक जिसने अपने ग्रंथ हरिवंश पुराण में लिखा है कि महावीर के निर्वाण के 605 वर्ष 5 माह बाद शकराज का जन्म हुआ तथा गुप्त संवत 231 वर्ष के शासन के बाद कल्कि अवतार का जन्म हुआ । इस आशय का श्लोक इस प्रकार है–

".....गुप्तानां चशत द्वयम ।
एक विंवश्च वर्षणि कालविद् भिरुदा हृतम ।।490।।
चित्वा रिंश देवातः कल्किराजस्य राजता ।
ततोड जिटंजयों राजा स्यादिन्द्रपुर संस्थितः ।।491।।

–जिनसेन कृत हरिवंश पुराण अ॰ 60

दूसरे जैन ग्रंथकार गुणभद्र ने उत्तर पुराण में लिखा है कि महावीर निर्वाण के 1000 वर्ष बाद कल्किराज का जन्म हुआ । (Indian Antiquary Vol. X, V.P. 143)

तीसरे जैन ग्रंथकार नेमिचन्द्र अपने ग्रंथ 'त्रिलोकसागर' में लिखते हैं, "शकराज निर्वाण के 605 वर्ष 5 माह बाद तथा शककाल से 394 वर्ष 7 माह पश्चात कल्किराज पैदा हुआ ।" इस ग्रंथ में इस भाव का वाक्य है–

"पणछस्सयं वस्संपण मासजदं गमिय वीर णिवुइ दो।
सगराजो सो कल्कि चतुणवतिय महिप सगमासं ।।"

–त्रिलोकसार, पृ॰ 32

इस प्रकार ऐसा लगता है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) वही थे, धर्माचार्यों ने जिनके बारे में बताया ।

सचमुच जिस प्रकार जब तक एक शासक शासन करता है, तब तक उसके द्वारा बताए नियम का पालन जनता करती है, परन्तु उसके शासन के समाप्त होते ही दूसरे शासक के आदेशों को लोग शिरोधार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब तक जिस शास्ता, अवतार, पैग़म्बर का काल रहता है उसकी आज्ञाओं-उपदेशों का फैलाव होता है परन्तु उसके उपदेशों में विकृति आते ही ईश्वर की तरफ़ से जब दूसरा पैग़म्बर, अवतार आता है, तो उसका शासन चलता है । इस लिहाज़ से आज हम हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) अन्तिम 'रसूल' अथवा आख़िरी अवतार 'कल्कि' के 'शासन काल' में हैं और अब प्रलय (क़ियामत) तक उनका शासन रहेगा, जिसका प्रमाण पुराण, क़ुरआन और अन्य ग्रंथ दे चुके हैं । अतएव हमारे लिए इस अंतिम शास्ता (हज़रत मुहम्मद) के ही 'शासन' में रहकर आपके उपदेशों व आचारों का

अनुगमन करना ही आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों से उचित है । इससे हमारा संसार व परलोक दोनों सुधर सकता है । अतः अंतिम संदेष्टा, पैगम्बर, 'कल्कि अवतार' हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के उपदेशों का अनुगमन ही आपके प्रति सही एवं सच्चे अर्थों में श्रद्धा-अर्पण होगा । यही ईश-समर्पण के लिए सच्चा मार्ग होगा''।[28]

सन्दर्भ

1. मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पृ०-4
2. नवभारत टाइम्स, नयी दिल्ली संस्करण, 20 मई 1994, पृ० 7, 'विष्णु की अवतार प्रतिमाएं' शीर्षक आलेख ।
3. 'देवदूत आया, हम पहचान न सके', 1972, पृ० 5, युग निर्माण योजना, मथुरा ।
4. 'महापुरुषों की जीवनगाथाएं', प्रस्तुतकर्ता : राष्ट्र बंधु ।
5. हिन्दू मान्यता में सृष्टि की आयु के माप के लिए युग, मंवन्तर और कल्प तीन मुख्य मान उल्लिखित हैं । चार युगों (सत, त्रेता, द्वापर और कलि) का एक महायुग (43,20,000) वर्ष, 71 महायुगों का एक मंवन्तर और 14 मंवन्तरों का एक कल्प होता है ।
6. 'धर्मशास्त्र का इतिहास', पृ० 483, जिल्द 4, प्रकाशक : उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, संस्करण : 1984 ।
7. 'विभिन्न धर्मों में ईश्वर की कल्पना', पृ० 51, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1988 ।
8. 'अवतारवाद और रिसालत', कान्ति प्रकाशन, नयी दिल्ली-25, पृ० 148-149 ।
9. 'अवतारवाद और रिसालत', कान्ति प्रकाशन, नयी दिल्ली-25, पृ० 152 ।
10. इच्दागृहीतामिमतो रुदेहस्ससाधिशेष जगद्वितीयः -विष्णु पुराण (6-5-84)।
11. श्रीमद् भगवद्गीता, सानुवाद शंकरानंदी व्याख्या सहित, पृ० 224
12. 'प्राचीन भगवद् गीता' पृ० 24, प्रकाशक : गोविन्द राम हासानन्द, 4408, नयी सड़क, दिल्ली, संस्करण : 1975
13. 'प्राचीन भगवद् गीता' पृ० 24, प्रकाशक : गोविन्द राम हासानन्द, 4408, नयी सड़क, दिल्ली, संस्करण : 1975
14. 'प्राचीन भगवद् गीता' पृ० 25, प्रकाशक : गोविन्द राम हासानन्द, 4408, नयी सड़क, दिल्ली, संस्करण : 1975
15. 'देवदूत आया, हम पहचान न सके', 1972, पृ० 5
16. 'विश्व ज्योति', भारतीय पुनर्जागरण अंक, अप्रैल-मई, 1988, पृ० 47
17. पवित्र कुरआन में है : ''न जना और न जना गया ।'' (112:3)
18. यजुर्वेद का सुबोध भाष्य, पृ० 647, 648, प्रकाशक : स्वाध्याय मंडल, पारडी, जनपद-बलसाड, संस्करण : 1989
19. ''दयानन्द ग्रंथ-माला'', प्रथम खंड 'आर्य्याभिविनय' से उद्धृत, पृ० 596, 597, प्रकाशक : श्रीमती परोपकारिणी सभा, अजमेर, संस्करण : 1983
20. ''गीता तत्व-विवेचिनी टीका'', पृ० 175, प्रकाशक : गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण : 1950
21. ''यजुर्वेद का सुबोध भाष्य'', पृ० 497
22. ''यजुर्वेद का सुबोध भाष्य'', पृ० 647
23. ''यजुर्वेद का सुबोध भाष्य'', पृ० 647
24. ''एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः'' -यजुर्वेद (32:4)
25. बुद्धिस्ट इकानोग्राफी, विजयतोष भट्टाचार्य, पृ० 13
26. नराशंस और अंतिम ऋषि, इलाहाबाद ।
27. दैनिक जागरण, नयी दिल्ली, 1 दिसम्बर 1997
28. कान्ति मासिक (दिल्ली), जुलाई 1997, पृ० 33-34

दोहे

बसा गांव जा शहर में, जहां न बड़ की छांव ।
कोयल कुहके ना कभी, कागा करे न कांव ।।

गांवों की मोहक छटा, नैसर्गिक सुखधाम ।
हरे-भरे ये खेत सब, देते सबको काम ।।

कमलों पर भौंरे फिरे, तितली करती नाच ।
पत्तों के सरगम बजे, नभ में सुरधनु-सांच ।।

फूलों के तारे उगे, धरती पर अभिराम ।
आंखों को सुन्दर लगे, कौड़ी लगे न दाम ।।

महानगर में वायु भी, उपजाती संत्रास ।
हट्टे-कट्टे लोग का, मन हो जाए उदास ।।

नाली नित बजबज करे, कीड़े करें विलास ।
झोपड़पट्टी में सदा, घोर नरक का वास ।।

जनता तो कंगाल है, नेता मालामाल ।
रोज़गार-विहीन युवा, फिरते हैं बेहाल ।।

पैसे से सब कुछ मिले, यही शहर की रीत ।
बिन पैसा कुछ ना मिले, पैसे से ही जीत ।।

विधि होता अनुकूल तब, पैसे हों गर पास ।
न्याय दिलाता है यही, शेष सभी बकवास ।।

शिवप्रसाद लोहानी
नूरसराय, नालन्दा (बिहार)

मानवता उन्नायक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)

● संपादन प्रभाग

विश्व-विख्यात धर्मविद् स्वामी विवेकानन्द जी मानवता-उद्धारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की महानता के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुहम्मद साहब मानव-समानता और इन्सानी भाईचारे के पैग़म्बर थे । जैसे ही कोई व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करता है, तो पूरा इस्लाम धर्म किसी भेदभाव के उसका खुली बाहों से स्वागत करता है, जबकि कोई दूसरा धर्म ऐसा नहीं करता । हमारा अनुभव है कि किसी धर्म के अनुयायियों ने इस मानव-समानता को दैनिक जीवन में व्यावहारिक स्तर पर बरता है, तो वे इस्लाम और इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने जीवन-आचरण से यह बात सिद्ध कर दी है कि मुसलमानों में भरपूर समानता और भाईचारा है । यहां रूप, रंग, वर्ण, नस्ल या लिंग भेद का कोई प्रश्न ही नहीं इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है कि व्यावहारिक इस्लाम की मदद लिए बिना किसी वेदांती सिद्धान्त चाहे वे कितने ही उत्तम व अद्भुत हों, विशाल मानवजाति के लिए मूल्यहीन हैं ।

('टीचिंग ऑफ़ विवेकानन्द' अद्वैत आश्रम, कोलकाता-2004)

प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्द इस्लामी सभ्यता के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि "जहां तक हम जानते हैं कि किसी धर्म ने न्याय को इतनी महानता नहीं दी, जितनी इस्लाम ने । इस्लाम की आधारशिला न्याय पर रखी गयी है । वहां राजा-रंक, अमीर-ग़रीब, बादशाह और फ़कीर के लिए 'केवल एक' न्याय है । न किसी के साथ रियायत और न किसी के साथ पक्षपात । ऐसे सैकड़ों उल्लेख पेश किये जा सकते हैं, जहां बेकसों व बेसहारों ने बड़े-बड़े शक्तिशाली अधिकारियों के मुक़ाबले में न्याय के बल पर विजय पायी हैं । ऐसी मिसालों की भी कोई कमी नहीं, जहां बादशाहों ने अपने राजकुमारों, अपनी बेग़म, यहां तक कि स्वयं अपने आपको भी न्याय की बेदी पर होम कर दिया है । विश्व के किसी सभ्य से सभ्य समाज की न्याय-नीति की, इस्लामी न्याय-नीति से तुलना कीजिए, आप इस्लाम का पल्ला झुका हुआ पाएंगे ।

जिन दिनों इस्लाम की विजय पताका कटक से लेकर डेन्युष तक और तुर्किस्तान से लेकर स्पेन तक फ़हराता था, मुस्लिम बादशाहों की धार्मिक उदारता इतिहास में अपना सानी नहीं रखती थी । बड़े से बड़े राज्यपदों पर हिन्दुओं (ग़ैर-मुस्लिमों) को नियुक्त करना, तो साधारण बात थी, महाविद्यालयों के कुलपति तक ईसाई व यहूदी होते थे ।

यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस (समानता) के विषय में इस्लाम धर्म ने सभी अन्य सभ्यताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है । वे सिद्धान्त जिनका श्रेय अब कार्ल मार्क्स और रूसो को दिया जा रहा है, वास्तव में अरब के मरुस्थल में प्रसूत हुए थे और उनका जन्मदाता अरब का वह उम्मी (अनपढ़) था, जिनका नाम (मुहम्मद सल्ल०) है । मुहम्मद (सल्ल०) के सिवाय संसार में और कौन धर्म-प्रणेता हुआ है जिसने ख़ुदा के सिवाय किसी मनुष्य के सामने सिर झुकाना गुनाह ठहराया है ?

कोमल वर्ग के साथ तो जो इस्लाम ने सलूक किये हैं, उनको देखते हुए अन्य समाजों का व्यवहार पाशविक जान पड़ता है । किस समाज में स्त्रियों का जायदाद पर इतना हक़ माना गया है, जितना इस्लाम में ? हमारे विचार में वहीं सभ्यता श्रेष्ठ होने का दावा कर सकती है, जो व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ उठाने का अवसर दे । इस लिहाज़ से भी इस्लामी सभ्यता को कोई दूषित नहीं ठहरा सकता । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, "कोई मनुष्य उस वक़्त तक मोमिन (सच्चा मुस्लिम) नहीं हो सकता, जब तक वह अपने भाई बन्दों के लिए भी वही न चाहे, जितना वह अपने लिए चाहता है ।" जो प्राणी दूसरों पर उपकार नहीं करता ख़ुदा उससे ख़ुश नहीं होता । उनका यह कहना स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है । "ईश्वर की समस्त सृष्टि उसका परिवार है, वही प्राणी ईश्वर का सच्चा भक्त है, जो ख़ुदा के बन्दों के साथ नेकी करता है ।" अगर तुम्हें ख़ुदा की बन्दगी करनी है, तो पहले उसके बन्दों से मुहब्बत करो ।"सूद (ब्याज) की पद्धती ने संसार में जितने अनर्थ

किये हैं, और कर रही है, वह किसी से छिपी नहीं है । इस्लाम वह अकेला धर्म है, जिसने सूद को हराम (अवैध) ठहराया है ।''

('इस्लामी सभ्यता' साप्ताहिक प्रताप विशेषांक, दिसम्बर 1925 ई०)

देश के जाने-माने प्रसिद्ध साहित्यकार व इतिहासकार रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी प्रसिद्ध किताब 'संस्कृति के चार अध्याय' में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और इस्लाम की विशेषताओं के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि जब इस्लाम आया, उसे देश में फैलने से देर न लगी । तलवार के भय अथवा पद के लोभ से, तो बहुत थोड़े ही लोग मुसलमान हुए, ज़्यादा तो ऐसे ही थे, जिन्होंने इस्लाम का वरण स्वेच्छा से किया । बंगाल, कश्मीर और पंजाब में गांव के गांव एक साथ मुसलमान बनाने के लिए किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं हुई । मुहम्मद साहब ने जिस धर्म का उपदेश दिया, वह अत्यंत सरल सबके लिए सुलभ धर्म था । अतएव जनता उसकी ओर उत्साह से बढ़ी । ख़ास करके, आरंभ से ही उन्होंने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया कि इस्लाम में दीक्षित हो जाने के बाद, आदमी आदमी के बीच कोई भेद नहीं रह जाता है । इस बराबरी (समानता) वाले सिद्धान्त के कारण इस्लाम की लोकप्रियता बहुत बढ़ गयी और जिस समाज में निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर वालों के धार्मिक या सामाजिक अत्याचार से पीड़ित थे, उस समाज के निम्न स्तर के लोगों के बीच यह धर्म आसानी से फैल गया ।

सबसे पहले इस्लाम का प्रचार नगरों से प्रारंभ हुआ, क्योंकि विजेयता, मुख्यतः नगरों में ही रहते थे । अन्त्यज (अछूत) और निचली जाति के लोगों पर नगरों में सबसे अधिक अत्याचार था । ये लोग प्रायः नगर के भीतर बसने नहीं दिये जाते थे । इस्लाम ने जब उदार आलिंगन के लिए अपनी बाहें इन अन्त्यजों और ब्राहमण-पीड़ित जातियों की ओर बढ़ायीं, तो ये जातियां प्रसन्नता से मुसलमान हो गयीं ।

कश्मीर और बंगाल में तो लोग झुंड के झुंड मुसलमान हुए । इन्हें किसी ने लाठी से हांक कर इस्लाम के घेरे में नहीं पहुंचाया, प्रत्युत (विरुद्ध, बल्कि), ये पहले से ही ब्राह्मण धर्म से चिढ़े हुए थे । जब इस्लाम आया, इन्हें लगा जैसे यह इस्लाम धर्म ही उनका अपना धर्म हो । अरब और ईरान के मुसलमान तो यहां बहुत कम आये थे । सैकड़े-पच्चानवे तो वे ही लोग है, जिनके बाद-दादा हिन्दू थे ।

जिस इस्लाम का जिस इस्लाम का प्रवर्तन हज़रत मुहम्मद साहब ने किया, वह धर्म, सचमुच स्वच्छ धर्म था और उसके अनुयायी सच्चरित्र, दयालु, उदार और ईमानदार थे । उन्होंने मानवता को एक नया संदेश दिया, गिरते हुए लोगों को ऊंचा उठाया और पहले पहल दुनिया में दृष्टांत उपस्थित किया कि धर्म के अन्दर रहने वाले सभी आपस में समान हैं । उन दिनों इस्लाम ने जो लड़ाइयां लड़ीं, उनका विवरण भी मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाने वाला है ।

('संस्कृति के चार अध्याय' लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद-1994 ई०, पृष्ठ-262, 278, 284, 317, 326)

अन्नादुराई जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु ने 7, अक्तूबर 1957 ई० को हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जीवन-चरित्र पर एक सारगर्भिक भाषण दिया था, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं–

इस्लाम के सिद्धान्तों और धारणाओं की जितनी ज़रूरत छठी शताब्दी में दुनिया को थी, उससे कहीं बढ़कर उनकी ज़रूरत आज दुनिया को है, जो विभिन्न विचारधाराओं की खोज में ठोकरें खा रही है और कहीं भी उसे चैन नहीं मिल सका है ।

इस्लाम केवल एक धर्म ही नहीं है, बल्कि वह एक जीवन सिद्धान्त और अति उत्तम जीवन प्रणाली है । इस जीवन-प्रणाली को दुनिया के कई देश ग्रहण किये हुए हैं । जीवन-संबंधी इस्लामी दृष्टिकोण और इस्लामी जीवन-प्रणाली के हम इतने प्रशंसक क्यों हैं ? सिर्फ़ इसलिए कि इस्लामी जीवन सिद्धान्त इन्सान के मन में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और आशंकाओं का जवाब संतोषजनक ढंग से देते हैं । अन्य धर्मों में शिर्क (बहुदेववाद) की शिक्षा मौजूद होने से हम जैसे लोग बहुत-सी हानियों का शिकार हुए हैं । शिर्क के रास्ते को बन्द करके इस्लाम इन्सान को बुलन्दी और उच्चता प्रदान करता है और पस्ती और उसके भयंकर परिणामों से मुक्ति दिलाता है ।

इस्लाम इन्सान को सिद्ध पुरुष और भला मानव बनाता है । ख़ुदा ने जिन बुलंदियों (ऊंचाई) तक पहुंचने के लिए

इन्सान को पैदा किया है, उन बुलंदियों को पाने और उन तक ऊपर उठने की शक्ति और क्षमता इन्सान के अन्दर इस्लाम के द्वारा पैदा होती है ।

इस्लाम की एक अन्य ख़ूबी यह है कि उसको जिसने भी अपनाया, वह जात पात के भेदभाव को भूल गया । मुदगुंतूर (यह तमिलनाडु का एक गांव है, जहां ऊंची जाति और नीची जाति वालों के बीच भयानक दंगे हुए थे ।) में एक दूसरे की गर्दन मारने वाले जब इस्लाम ग्रहण करने लगे, तो इस्लाम ने उनको भाई-भाई बना दिया । सारे भेदभाव समाप्त हो गए । नीची जाति के लोग नीचे नहीं रहे, बल्कि सबके सब प्रतिष्ठित व आदरणीय हो गये । सब समान अधिकारों के मालिक होकर बंधुत्व के बंधन में बंध गये ।

इस्लाम की इसी ख़ूबी व विशेषता से मैं प्रभावित हुआ हूं । बर्नाड शॉ, जो किसी मसले के सारे ही पहलुओं का गहराई के साथ जायज़ा लेने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इस्लाम के उसूलों व सिद्धान्तों का विश्लेषण करने के बाद कहा था, "दुनिया में बाक़ी और क़ायम रहने वाला दीन (धर्म) यदि कोई है, तो वह केवल इस्लाम है ।" आज 1957 ई० में जब हम मानव-चिंतन को जागृति करने और जनता को उनकी ख़ुदी से अवगत कराने की थोड़ी-बहुत कोशिश करते हैं, तो कितना विरोध होता है ।

चौदह वर्ष पहले जब नबी (सल्ल०) ने यह संदेश दिया कि बुतों को ख़ुदा न बनाओ । अनेक ख़ुदाओं को पूजने वालों के बीच खड़े होकर यह एलान किया कि बुत तुम्हारे ख़ुदा नहीं हैं, उसके आगे सिर मत झुकाओ । केवल एक ही सृष्टा की ही उपासना करो ।

इस ऐलान के लिए कितना साहस चाहिए था, इस संदेश का कितना विरोध हुआ होगा । विरोध के तूफ़ान के बीच पूरी दृढ़ता के साथ आप (सल्ल०) यह क्रान्तिकारी संदेश देते रहे, यह आप (सल्ल०) की महानता का बहुत बड़ा सबूत है । इस्लाम अपनी सारी विशेषताओं और चमक-दमक के साथ हीरे की तरह आज भी मौजूद है । अब इस्लाम के अनुयायियों का यह कर्तव्य है कि वे इस्लाम धर्म को सच्चे रूप में अपनाएं । इस तरह वे अपने रब की प्रसन्नता और ख़ुशी भी प्राप्त कर सकते हैं और ग़रीबों और मज़दूरों की परेशानी भी हल कर सकते हैं और मानवता भौतिकी एवं आध्यात्मिक विकास की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ सकती है ।

(अन्नादुराई, डी०एम० के संस्थापक,
भूतपूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु, भाषण-7,
अक्तूबर-1957)

प्रसिद्ध चिन्तक जय कृष्ण मेहता जी एक स्वस्थ व आदर्श समाज के निर्माण में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और इस्लाम की विशेषताओं के बारे में लिखते हैं कि "पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के उपदेश का साफ़ व स्पष्ट उद्देश्य यही है कि बुराइयों में लिप्त व्यक्ति किसी भी सूरत में समाज का उच्च स्थान प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा न पा सके । आप (सल्ल०) के प्रिय साथी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि०) जो इस बात के गवाह हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, "उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है तुम ज़रूर लोगों को पवित्र जीवन बिताने के लिए कहोगे । बुराइयों से रोकते रहोगे । अत्याचारी का हाथ पकड़ोगे । अत्याचारी को न्याय करने पर विवश करोगे ।"

अवैध तरीक़े से प्राप्त की गयी दौलत ही समाज को हर स्तर पर खोखला कर रही है । आज समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, वे सब ग़लत दौलत की देन हैं । यह अवैध दौलत स्वस्थ व आदर्श समाज के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट है । इस्लाम ने अवैध धन पर सबसे ज़्यादा चोट की है और वैध तथा सही तरीक़े से प्राप्त की गयी आमदनी को सबसे बेहतर माना है । एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक आदमी से हाथ मिलाया । हाथ मिलाने के बाद आप (सल्ल०) को उस आदमी की हथेलियों में गड्ढे पड़े होने का एहसास हुआ । पूछने पर उस आदमी ने कहा कि 'हुज़ूर' सख़्त मेहनत करने से मेरे हाथ में ये गड्ढे पड़ गये हैं । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने बड़ी श्रद्धा से उस व्यक्ति के हाथों को चूम लिया, क्योंकि वे हाथ ईमानदारी और मेहनत करके अपनी रोज़ी कमाने वाले के हाथ थे ।

जबकि इसके विपरीत अवैध तरीक़े से प्राप्त की गयी दौलत से कोई नेक काम इस्लाम को स्वीकार नहीं है, विशेष रूप से रिश्वत देने और लेने, दोनों को ग़लत माना है और

दोनों की कठोर निन्दा की गयी है । व्यवसाय में ग़लत तरीक़े अपनाकर लाभ कमाने की होड़ में लगे व्यावसायियों को सख़्त ताक़ीद की गयी है कि वे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी, झूठ बोलना, नाप-तौल में गड़गड़ी न करें । कालाबाज़ारी करने वाले व्यापारियों को ऐसे कामों से दूर रहने के लिए कहा गया है ।

इस्लाम का मूल सिद्धांत एक स्वस्थ व आदर्श समाज का निर्माण है इसलिए उसने सामाजिक बुराइयों के ख़ात्मे के लिए हमेशा मुसलमानों को संघर्ष करने की शिक्षा दी है और उन्हें बार-बार यह समझाया कि यह कभी न देखो कि बुराइयों को फैलाने वाला कौन है ? अगर वह मुसलमान भी है, तो बिना किसी हिचक के उसका अपनी पूरी ताक़त के साथ विरोध करो, ताकि किसी प्रकार का पक्षपात स्वस्थ व आदर्श समाज के निर्माण में बाधक न बने और इस्लाम कि किरण जिन पवित्र उद्देश्यों के लिए निकली, वही किरण और मूल सिद्धान्त ही क्षीण न पड़ जाएं ।

इस्लाम ने इन्सानी बराबरी की भावनाओं पर सर्वाधिक बल दिया है । इस्लाम ने न केवल यह कि किसी रंग-रूप, नस्ल-वर्ण के भेदभाव के बिना सारे इन्सानों के बीच बराबरी को मानता है, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सत्य नियम क़रार देता है । पवित्र क़ुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियां बना दीं ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो ।" (क़ुरआन, 49:13)

दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि सारे इन्सान अस्ल में भाई-भाई हैं, एक ही व एक ही बाप की संतान हैं । क़ौमों व क़बीलों में यह विभाजन केवल पहचान के लिए है, इसलिए कि एक क़बीले या एक क़ौम के लोग आपस में एक-दूसरे से परिचित हों और आपस में सहयोग कर सकें । यह इसलिए नहीं है कि एक क़ौम दूसरी क़ौम पर अपनी बड़ाई जताए और उसके साथ घमंड से पेश आये, उसको निर्बल व तुच्छ समझे और उसके अधिकारों का हनन करे । इसी सूरह में अल्लाह तआला आगे फ़रमाता है–"वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुममें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित वह है, जो तुममें सबसे ज़्यादा परहेज़गार है ।" (क़ुरआन, 49:13) अर्थात इन्सान पर इन्सान की बड़ाई केवल सच्चरित्र और अच्छे आचरण के बिना पर है, न कि रंग-रूप, नस्ल, भाषा या राष्ट्र के बिना पर और यह बड़ाई भी इस गरज़ के लिए नहीं है कि अच्छे किरदार और आचरण के लोग दूसरे इंसानों पर अपनी बड़ाई जताए, क्योंकि बड़ाई जताना स्वयं में एक बुराई है, जिसको कोई धर्मपरायण और ख़ुदा से डरने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता ।

इसी बात को अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक हदीस में इस तरह फ़रमाया–

"किसी अरबी को ग़ैर-अरबी पर कोई बड़ाई नहीं है, न ग़ैर-अरबी को अरबी पर कोई बड़ाई है । न गोरे को काले पर और न काले को गोरे पर कोई बड़ाई है । तुम सब आदम (अलैहि०) की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे ।" इस तरह इस्लाम ने समस्त मानवजाति में समानता व बराबरी क़ायम की और रंग-रूप, भाषा-नस्ल और राष्ट्र की बिना पर सारे भेदभावों की जड़ काट दी । अमेरिका के अफ़्रीक़ी नस्ल के लोगों का मशहूर लीडर "मैलकमइक्स' जो अश्वेत नस्ल के लोगों के समर्थन में श्वेत नस्ल वालों के विरुद्ध सख़्त संघर्ष करता रहा था, मुसलमान होने के बाद जब वह हज करने के लिए मक्का गया, और उसने वहां देखा कि एशिया, अफ़्रीक़ा, यूरोप, अमेरिका और भारत हर जगह के और हर रूप-रंग और नस्ल के मुसलमान एक ही लिबास में एक ख़ुदा के घर की ओर चले जा रहे हैं, एक ही घर का तवाफ़ कर रहे हैं, एक ही साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनमें किसी तरह का कोई भेद-भाव नहीं है, तो वह पुकार उठा कि यह है रंग और नस्ल के मसले का हल, न कि वह जो हम अमेरिका में अब तक करते रहे हैं । आज ख़ुद ग़ैर-मुस्लिम विचारक भी जो अंधे भेदभाव और धार्मिक पक्षपात में ग्रस्त नहीं हैं, यह मानते हैं कि इस समस्या को जिस सफलता के साथ इस्लाम ने हल किया, कोई दूसरा धर्म और तरीक़ा हल नहीं कर सका है । इसलिए इस्लाम के दर्शन में समस्त मानवजाति का एक स्वरूप दिखता है । इस्लाम-दर्शन सर्वश्रेष्ठ दर्शन है और इस्लाम धर्म सर्वश्रेष्ठ मानव-धर्म है ।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने आख़िरी हज के अवसर पर जो तक़रीर की थी, उसमें आपने फ़रमाया था

कि तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल एक-दूसरे पर महाप्रलय तक के लिए हराम हैं । पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"रहा वह आदमी जो किसी ईमान वाले का जान-बूझकर क़त्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वह हमेशा रहेगा । उस पर अल्लाह का ग़ज़ब और उसकी लानत है और अल्लाह ने उसके लिए कठोर अज़ाब तैयार कर रखा है ।"

(कुरआन, 4:93)

कुरआन किसी जान के क़त्ल करने को हराम करार देने के बाद, इसमें केवल एक क़त्ल की इजाज़त देता है और वह यह है कि ऐसा क़त्ल हक़ के साथ हो अर्थात नाहक़ न हो, बल्कि कोई क़ानूनी हक़ उसका तक़ाज़ा करता हो कि आदमी को क़त्ल किया जाए, और ज़ाहिर है कि हक़ और नाहक़ का फ़ैसला एक अदालत ही कर सकती है ।

इसके साथ ही इस्लाम में जान के साथ माल की रक्षा का हक़ भी दिया गया है । कुरआन तो ख़ुदा के क़ानून के अतिरिक्त किसी और तरीक़े से लोगों के माल लेने को बिल्कुल हराम क़रार देता है । "और तुम लोग न तो आपस में एक-दूसरे के माल अवैध रूप से खाओ और न अधिकारी व्यक्तियों के आगे उनको इस ग़रज़ से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जान-बूझकर अन्यायपूर्ण तरीक़े से खाने का अवसर मिल जाए ।"

(कुरआन, 2:188)

इस्लाम धर्म में मानव-जीवन के समग्र पक्षों की चर्चा है । मानव के निजी ज़िन्दगी की रक्षा, इज़्ज़त की रक्षा, औरत के इज़्ज़त की रक्षा, ज़ुल्म व अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, आस्था की आज़ादी का अधिकार, क़ानून की निगाह में बराबरी का अधिकार । उपरोक्त इस तरह के सारे अधिकारों की चर्चा सविस्तार कुरआन और हदीसों में की गयी है । इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म-दर्शन में मानव-जीवन से जुड़े समस्त पक्षों की व्याख्या इतने व्यापक रूप में नहीं मिलती है ।"

(जयकृष्ण मेहता, 'इस्लाम की किरण' से)

लेखक श्री विजय गोपाल मंगल ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन भी किया है । इसी क्रम में उन्होंने पवित्र कुरआन और इससे संबंधित इस्लामी साहित्य का भी अध्ययन किया है । पवित्र कुरआन में मानवता की शिक्षा और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं के बारे में अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए लिखते हैं–

"पवित्र कुरआन ईश्वर की ओर से सारे इन्सानों के मार्गदर्शन के लिए भेजी गयी पुस्तक है । इसमें इन्सानों के पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शन मौजूद है । कुरआन में मान्यता है कि ईश्वर एक है । ईश्वर ही इस ब्रह्माण्ड का स्रष्टा, एक मात्र प्रभु, शासक और पालक है और उसी की इच्छा से समस्त क्रिया-कलाप हो रहा है । वह सर्वज्ञ, शक्तिमान और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष से अवगत है । मनुष्य मात्र उसका सेवक है, उसका कार्य यही है कि अपने स्रष्टा की सेवा और आज्ञा-पालन करे ।

पैग़म्बरों व ईशदूतों को ईश्वर ने मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए इस संसार में भेजा । अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं । जिन पर ईश्वर ने अपनी पवित्र वाणी 'पवित्र कुरआन' के रूप में उतारी । इसलिए पवित्र कुरआन के उपदेश की पहली बुनियाद यह कि ईश्वर की ओर से आए हुए सभी ईशदूतों, संदेष्टाओं और सब ईश्वरीय ग्रंथों का समान रूप से आदर किया जाए । अर्थात यह विश्वास किया जाए कि वे सब सत्य पर थे । सब ईश्वर का संदेश पहुंचाने वाले थे और सभी ने एक ही सत्य और नियम की शिक्षा दी और उन सबकी सर्वसम्मत शिक्षा के अनुसार चलना ही हिदायत और कल्याण का मार्ग है ।

ईशपरायणता और मानव के साथ मानवीय व्यवहार ही यथार्थ धर्म है । धर्म का उद्देश्य एकेश्वरवादी अवधारणा से पूर्ण मानवता की पूर्ति है । प्रत्येक मनुष्य में इन्सानियत की भावना विद्यमान होती है । यह भावना व्यक्तिक स्तर पर अलग-अलग प्रत्येक मानव में न्यूनाधिक विद्यमान होती है ।

समाज में मानव के उन कार्यों को सदैव सराहा जाता है, जो अन्य लोगों के लिए लाभकारी तथा मानवता की परिधि में आते है, जैसे माता-पिता की सेवा, पड़ोसियों से सद्‌व्यवहार, निर्धनों व अनाथों के प्रति सहानुभूति, पीड़ितों की सहायता करना आदि । ये सब अच्छे काम हैं और इसके विपरीत अन्याय व अत्याचार बुरे कार्य हैं । कहने का तात्पर्य

यह है कि मानवता ने उन्हीं लोगों को अपना समझा, जो सन्मार्ग पर चलने वाले और सत्यनिष्ठ हों, जिन पर विश्वास किया जा सके। जिनका अन्तर और बाह्य समान हो, वाणी और कर्म में एकता हो, जो अपने कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ और दूसरों के प्रति अपने धर्म का पालन करने में उदार हों, जो स्वयं शांतिपूर्वक रहें तथा दूसरों को भी शांतिपूर्वक रहने दें। अल्लाह तआला कुरआन में फ़रमाता है–

"तुममें कुछ लोग तो ऐसे अवश्य ही रहने चाहिएं जो नेकी की ओर बुलाएं, भलाई का आदेश दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही सफल होंगे।"

(कुरआन, 3:104)

पवित्र कुरआन की अपनी ही आचार-संहिता है। मनुष्यों में ऊंच-नीच का जो अन्तर जन्म के आधार पर बनाया गया है, वह कुरआन की दृष्टि में अज्ञानता की पहचान है। उसका मानना है कि सभी मनुष्य अल्लाह के दास हैं। अतः सब एक-दूसरे के भाई हैं और समान हैं। यदि मनुष्य-मनुष्य के बीच अन्तर हो भी सकता है, तो वह केवल आचरण, शील और सिद्धांतों के आधार पर ही हो सकता है न कि वर्ण, जाति अथवा देश विशेष के आधार पर। कुरआन एक ऐसे समाज की संकल्पना प्रस्तुत करता है, जो वर्ण, जाति, वंश, भाषा, भौगोलिक एवं राजनैतिकता सीमा को तोड़कर फैल सकता है और इसी आधार पर मनुष्य के एक विश्वव्यापी भ्रातृभाव एवं समानता का निर्माण करता है।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) कहते हैं कि यदि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें अच्छा समझते हैं तो निस्संदेह तुम अच्छे हो, किन्तु तुम्हारे पड़ोसी की सम्मति तुम्हारे बारे में अच्छी नहीं है, तो तुम एक बुरे आदमी हो। इस बात को हदीस में कुछ इस तरह व्यक्त किया गया है–"वह व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है, जिसके दुर्व्यवहार के कारण उसका पड़ोसी अशांति अनुभव करता है।"

"वह व्यक्ति धर्म से कोसों दूर है, जो स्वयं भर खाये और उसका पड़ोसी उसके पड़ोस में भूखा रहे।" ('पवित्र कुरआन में मानवता की शिक्षा' से)

पंडित सुन्दर लाल कए जाने-माने विद्वान रहे हैं। इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जन्म दिवस के मुबारक मौक़े पर नबी (सल्ल०) के जीवन-चरित्र के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि, 'आपने एक ऐसे व्यक्ति को, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के जीवन-चरित्र पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया है, जो कम से कम प्रचलित अर्थों में मुसलमान नहीं है। मैं इस निमंत्रण को अपने लिए फ़ख़्र की चीज़ समझता हूं। दुर्भाग्य से ऐसे अवसर दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जब हम लोग एक-दूसरे के बुज़ुर्गों के विषय में आदर और प्रेम के साथ अपने विचारों को प्रकट करें और एक-दूसरे के धार्मिक सिद्धांतों पर सहानुभूति और निष्पक्षता के साथ नज़र डालें।

आज से चौदह सौ वर्ष पूर्व अरब की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थिति बहुत दयनीय थी। अरब छोटे-छोटे क़बीलों या कुलों में बंटा हुआ था। लूटमार, चोरी, व्यभिचार और हत्या आम बात हो गयी थी। दासों की गिरफ़्तारी और क्रय-विक्रय का बाज़ार गर्म था। अज्ञानता की यह स्थिति थी कि लोग लड़की का बाप होना अपमान व ज़िल्लत समझते थे, अगर किसी के घर लड़की पैदा होती, तो लड़की का बाप उसे ज़िन्दा ज़मीन में गाड़ देता था।

ऐसे अज्ञानता काल में एक प्रतिष्ठित व उच्च कुल में 12 रबीउल अव्वल सन 570 ई० में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जन्म हुआ। जन्म से कुछ दिन पूर्व ही आपके पिता हज़रत अब्दुल्लाह की मृत्यु हो गयी। जब आप (सल्ल०) 6 वर्ष के हुए, तो आपकी मां भी चल बसीं। आपका पालन-पोषण आपके चचा अबू तालिब ने किया। 12 वर्ष की आयु में चचा अबू तालिब के साथ व्यापार के लिए शाम देश (सीरिया) को गये। वहां पर बुहैरह नामक ईसाई राहिब से भेंट हुई, जिस पर मुहम्मद (सल्ल०) के बुद्धि-चातुर्य का गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे-धीरे मुहम्मद (सल्ल०) की ईमानदारी के कारण लोग आपको 'अल-अमीन' (सच्चा, ईमानदार, धरोहर, रक्षक) के नाम से पुकारने लगे।

ख़दीजा (रज़ि०) नाम की एक मालदार विधवा, जो मक्के की 'मलिकुन्तज्जार' (व्यापारी-साम्राज्ञी) थीं, ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ईमानदारी और सच्चरित्रता से प्रभावित होकर आपसे शादी कर लिया। उस समय हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की आयु 25 वर्ष और ख़दीजा (रज़ि०) की आयु 40 वर्ष थी। शुरू से ही हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)

अपने देश की स्थिति पर विचार करते रहे । महीनों व बरसों आप मक्के के पास पहाड़ियों पर हिरा नाम की कन्दरा में जाकर मनन किया करते थे । जब आप 40 वर्ष के हुए, तो अल्लाह ने आपको अपना नबी बनाया और आप पर वह्य (प्रकाशना) के ज़रिए अपना कलाम ईश्वरीय शिक्षाओं के रूप में अवतरित किया । इनके संग्रह का नाम कुरआन मजीद है ।

कुरआन के अनुसार सभी ईशदूतों (पैग़म्बरों) ने इसी एक सच्चाई की शिक्षा दी है और यही मानवजाति का वास्तविक सनातन धर्म-इस्लाम धर्म है । कुरआन में है–"कोई ऐसी क़ौम नहीं, जिसमें (लोगों को) चेतावनी देने वाला कोई न कोई (पैग़म्बर) न हो चुका हो ।"

(कुरआन, 35:24)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पवित्र ज़िन्दगी तपस्या की थी । आप (सल्ल०) प्रायः अल्प-भोजन करते थे । अपने कपड़े पर खुद पैबन्द लगा लेते, चप्पल की गांठ लगा लेते, ऊंटों का खरैरा करते और बकरियों को स्वयं दूहते थे । आप (सल्ल०) स्वयं अपने घर में झाड़ू देते । राजकोष, ज़कात और सदक़े से कौड़ी भी हराम थी । बुख़ारी और मुस्लिम शरीफ़ में लिखा है कि, "कभी-कभी भूख के मारे हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पेट पर पत्थर बंधा रहता था ।" आप (सल्ल०) प्रायः खजूर की चटायी या नंगी ज़मीन पर सोते थे । एक बार किसी ने गद्दा बिछा देने को कहा, परंतु आपने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि, "मैं आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ ।" मृत्यु के समय आपका कवच 20 साअ (डेढ़ मन से कुछ कम) जौ के बदले में गिरवी रखा हुआ था । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के शरीर का कपड़ा अधिकतर बेसिला रहता था । आप (सल्ल०) प्रायः एक चादर पहने रहते थे, जिसके सिरे गर्दन के पीछे कंधों पर बंधे रहते थे । अनेक बार आप नंगे पांव और नंगे सिर रहते थे ।

कुरआन विभिन्न व्याख्याओं और भाष्यों की एक व्याख्या है, जो मुझे पसन्द आयी है । मेरा दावा है कि मेरे दिल में पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के प्रति किसी मुसलमान से कम श्रद्धा नहीं है । मुझे पक्का यक़ीन है कि कुरआन प्रेम धर्म की शिक्षा देता है ।"

पत्रकार श्री विद्या प्रकाश मोहसिने इन्सानियत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की महानता के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह दुनिया है ही ऐसी जगह जहां अनेक रूप-रंग व मिज़ाज के लोगों के जन्म व मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है । इस नश्वर जगत में लोग आते हैं और अपनी ज़िन्दगी का एक मुक़र्रर वक़्त गुज़ार कर यहां से चुपचाप हमेशा के लिए चले जाया करते हैं । मगर दुनिया में इन आने वाले लोगों में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, जिनका दुनिया में पदार्पण दुनिया और इन्सान के लिए उम्मीद व रहमत का नया सवेरा लाता है । ऐसे ही महापुरुषों को दुनिया मान-सम्मान और इज़्ज़त के साथ याद करती है । हमारे मानवता उपकारक, मुहसिने इन्सानियत और ताजदारे अंबिया हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ज़ाते मुबारक भी ऐसे ही लोगों में निहायत नुमाया व मिसाली है ।

जिस ज़माने में आप (सल्ल०) दुनिया में तशरीफ़ लाए, यह वह ज़माना था जब लोग एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे हो रहे थे । भाई-भाई का जानी दुश्मन बना हुआ था । औरत का समाज में कोई स्थान न था । कन्या-हत्या का प्रचलन आम था । लोग बेटी के पैदा होते ही उसे ज़मीन में ज़िन्दा दफ़न कर देते थे । कहने का तात्पर्य यह कि दुनिया हर तरह के ज़ुल्मो-सितम व अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई थी । दुनिया के इस दूषित वातावरण में सरवरे कायनात हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अमनो सलामती का मज़हब 'दीने-इस्लाम' लेकर तशरीफ़ लाये । दुनिया के समस्त इन्सानों को मानवता, भाईचारा, सौहार्द, नेकी-भलाई और शांति का सच्चा पाठ पढ़ाया ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा जिस प्रेम-मुहब्बत और एकता का संदेश दिया है, उस पर अमल करने की ज़रूरत आज पहले से ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है । आप (सल्ल०) का पैग़ाम समस्त मानवजाति के लिए रहमत की घटाओं की तरह शांतिप्रिय और मंगलकारी है, जिस पर अमल करके हम समाज में फैली हुई अशांति को दूर कर सकते हैं । भटकी हुई इन्सानियत को संमार्ग दिखा सकते हैं । हमारी तमाम मौजूदा समस्याओं का समाधान हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के आदर्शों पर अमल करने से ही संभव है ।

धर्मान्तरण और भारतीय संविधान

■ डॉ॰ रामबहादुर वर्मा

केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने बार-बार कहा है कि यदि विपक्षी दल सहमत हों, तो सरकार संसद में धर्मान्तरण विरोधी अधिनियम ला सकती है, जिसमें धर्मान्तरण पर पूरी तरह रोक लगाने की व्यवस्था है । भाजपा के अनेक शीर्ष नेता तथा सांसद धर्मान्तरण विरोधी अधिनियम की वकालत कर रहे हैं ! 'घर वापसी' अभियान के नाम पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाला आर॰एस॰एस॰ का आनुषांगिक संगठन विश्व हिन्दू परिषद तो कई वर्षों से धर्मान्तरण विरोधी क़ानून की मांग कर रही है । विश्व हिन्दू परिषद ने यह भी घोषणा की है कि यदि संसद धर्मान्तरण विरोधी क़ानून पारित कर दे, तो वह 'घर वापसी' कार्यक्रम को वापस ले सकती है ।

विश्व हिन्दू परिषद जैसा अतिवादी तथा संविधान के दायरे के बाहर जाकर भी काम करने वाला संगठन यदि धर्मान्तरण विरोधी क़ानून की मांग करे, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है । परंतु यदि संविधान के तहत चुनी गयी और उसके अंतर्गत काम करने वाली सरकार के मंत्री व सांसद जिन्होंने कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की शपथ ले रखी है, यदि संविधान के विरुद्ध ही क़ानून बनाने की मांग करने लगे, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है ।

प्रश्न यह है कि क्या भारतीय संसद धर्मान्तरण विरोधी क़ानून बनाने में सक्षम है । संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है । अनुच्छेद 25 में लिखा है–"लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अवाध रूप से मानने, अनुसरण करने व प्रचार करने का समान हक़ होगा ।" इसका अर्थ यह है कि अपने अंत:करण के अनुसार, वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है अर्थात धर्मान्तरण कर सकता है ।

भारतीय संविधान के शिल्पी डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था । धर्मान्तरण का संकल्प लेने के पहले उन्होंने कहा था–"मैं हिन्दू होकर पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, किन्तु हिन्दू रहकर मरूंगा नहीं यह मेरे बस में है ।" डॉ॰ अम्बेडकर ने धर्मान्तरण संविधान लागू होने के छह वर्ष बाद 1956 में किया था । वे जानते थे कि संविधान धर्मान्तरण की अनुमति देता है । इसलिए यदि कोई सरकार संसद से धर्मान्तरण विरोधी क़ानून पारित भी करा लेती है तो संविधान की धाराओं के विपरीत होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय उसे निश्चय ही असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर देगा । यह बात मोदी सरकार में शामिल मंत्री, भाजपा सांसद व आर॰एस॰एस॰ परिवार के संगठन भी जानते हैं, पर उनका उद्देश्य तो 'घर वापसी' के नाम पर धर्मान्तरण विरोधी क़ानून की मांग कर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण व उन्माद पैदा करना है, जिससे वोटों की फ़सल काटी जा सके ।

धार्मिक स्वतंत्रता पर जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मान्तरण, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी शामिल है, संविधान सभा में चार दिनों तक बहस चली । एक, दो, तीन तथा छह अक्तूबर 1948 को हुई बहस में अनेक सदस्यों ने भाग लिया । संविधान सभा के सदस्यों का मत था कि धर्मान्तरण पर रोक नहीं लगायी जा सकती, परंतु धन के लोभ या अन्य किसी दबाव में कराये जा रहे धर्मान्तरण पर राज्य रोक लगा सकता है । संविधान सभा के प्रखर सदस्य के॰ सन्तानमू ने कहा, "अगर कोई आदमी स्वेच्छा से अपने विचार के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो ठीक है । इस पर कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी । लेकिन अगर कोई सम्प्रदाय धन का अथवा अन्य किसी बात का अनुचित प्रभाव डालकर सामूहिक रूप से लोगों को अपने धर्म में लाता है, तो ऐसे कार्य के अधिनियमन का राज्य को सब प्रकार से अधिकार है ।"

संविधान सभा के प्रमुख सदस्य प्रोफ़ेसर के॰टी॰ शाह ने भी अनुचित तरीक़े से धर्मान्तरण का विरोध किया और कहा कि लोग परिपक्व ढंग से राय बदलें व धर्मान्तरण करे ।

उनके शब्दों में–"धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का विरोध नहीं करते हुए मेरा विश्वास है कि जो धर्म परिवर्तन का कार्य करना चाहते हैं, उनके उपदेशकों और प्रचारकों से बहुत साधारण प्रार्थना है कि उन्हें कम से कम इतना अस्मसंयम रखना चाहिए अर्थात किसी प्रकार की सार्वजनिक सहायता से संघृत अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक प्रोत्साहन प्राप्त संस्थाओं को प्रचार अथवा धर्म परिवर्तन के लिए काम में न लेना चाहिए ताकि जो लोग अन्य प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हैं, जिनकी वृद्धि परिपक्व नहीं है और किसी प्रकार के बाधाओं के अधीन हैं उन पर अनुचित प्रभाव न पड़े ।"

टी०टी० कृष्णमाचारी ने स्पष्ट किया कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, उसके कारणों की खोजकर उन्हें दूर करना चाहिए । उन्होंने कहा–"तथ्य यह है कि इस देश में बहुत से लोगों ने जो ईसाई मत स्वीकार किया, वह बहुत कुछ इस कारण से किया कि ईसाई बन जाने से उनको एक सम्मानजनक दर्जा मिला । इस तथ्य को हम क्यों भूल जाते हैं कि एक अछूत ईसाई बन जाने पर हर बात के लिए सवर्ण हिन्दुओं के समकक्ष पहुंच जाता है । ईसाई बन जाने से उसे यही विशेष लाभ है और इस विशेष लाभ पाने की आज जो आवश्यकता है अगर उसे दूर कर दें तो ईसाई बनने का कोई प्रलोभन किसी के लिए नहीं रहेगा ।"

हमें यह याद रखना चाहिए कि ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के भयंकर दमन व उत्पीड़न से बचने के लिए लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था । पूरे हज़ार वर्षों तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बौद्ध धर्म को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ी थी । सातवीं शताब्दी में उसे इसमें सफलता मिली और बौद्धों व बौद्ध धर्म को क़रीब-क़रीब भारत की ज्ञात सीमाओं से बाहर ही धकेल दिया गया ।

वास्तव में भारतीय इतिहास बौद्ध विहारों व ज्ञान के केन्द्रों के बलपूर्वक ध्वंस के विवरणों से भरा पड़ा है । स्वामी विवेकानंद ने काफ़ी पहले यह लिखा था–"मुसलमानों की भारत विजय दबे-कुचलों के लिए, ग़रीबों के लिए मुक्ति की तरह आयी थी, इसलिए हमारी आबादी का पांचवां भाग मुसलमान हो गया था । हम देख चुके हैं कि निरंकुश ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ एक बार फिर झंडा उठाकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था । आज एक बार फिर उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पैरोकार पिछड़ों एवं दलितों को सदा के लिए हिन्दू जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर ही बनाए रखने के लिए धर्मान्तरण विरोधी क़ानून की वकालत कर रहे हैं ।

संविधान में स्पष्ट रूप से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है । धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या करते हुए 6 दिसम्बर 1948 संविधान सभा में पं० लक्ष्मीकांत मैत्र ने कहा–"धर्मनिरपेक्ष राज्य से यह मतलब है कि धर्म या संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी के विरुद्ध, चाहे वह जिस धर्म को मानता हो, कोई भेदभाव न बरतेगा । इसका मूल मतलब यह है कि राज्य की ओर से किसी ख़ास धर्म को कोई प्रश्रय नहीं मिलेगा । अन्य धर्मों के मुक़ाबले में या उसकी उपेक्षा करके राज्य किसी ख़ास धर्म को न स्थापित करेगा, न प्रश्रय देगा, न सहायता देगा । राज्य में किसी भी नागरिक के पक्ष में या विरोध में इस आधार पर कि वह किसी विशेष धर्म को मानता है, न तो कोई रियायत की जाएगी और न कोई भेदभाव बरता जाएगा । दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि राज्य संबंधी कामों में कभी इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा कि नागरिक किसी धर्म विशेष को मानते हैं या नहीं ।"

पं० लक्ष्मीकांत मैत्र ने कहा कि भारत के हर नागरिक को धर्म प्रचार का अधिकार होना चाहिए । धर्म प्रचार का मतलब यह नहीं है कि भाले के बल पर, तलवार के बल पर धमकी देकर दूसरों को अपने धर्म में लाया जाएगा । अपने धर्म के महत्व को समझाकर उसकी व्याख्या करके ही हम दूसरों को अपने धर्म के प्रति आस्थावान बना सकते हैं और इस पर कोई रुकावट क्यों लगायी जाए ? यदि ऐसा करके अपने धर्म के प्रति किसी को आकृष्ट किया जाए तो इसमें हानि क्या है ? इस प्रकार पं० लक्ष्मीकांत मैत्र ने भी तर्कपूर्वक धर्मान्तरण को धर्म के प्रचार का ही अंग माना ।

संविधान सभा के एक सदस्य टी०टी० कृष्णमचारी ने भी कहा कि–"हर व्यक्ति को धर्म प्रचार करने का और लोगों को अपने धर्म में लाने का अधिकार मिलना चाहिए, अगर वह यह समझता है कि वह इसी के लिए पैदा हुआ है और ऐसा करना ही ईश्वर और अपने संप्रदाय के प्रति उसका कर्तव्य है ।"

संविधान सभा के सदस्य के०एम० मुंशी (जो कि

स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने) ने भी कहा–''संविधान में जो भाषण स्वातंत्र्य की गारंटी दी गयी है, उसके अनुसार किसी भी संप्रदाय को अधिकार है कि वह लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए समझाए । अगर धर्म को सच्चे अर्थ में धर्म माना जाए तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि अपने ज्ञान पर स्वतंत्रतापूर्वक अमल करते हुए लोग धर्म परिवर्तन करेंगे । अत: इस खंड में जो 'प्रचार' शब्द रखा गया है वह न तो असंगत है और न उससे संकटपूर्ण परिणामों की ही आशंका है ।''

संविधान सभा में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया । संविधान सभा के सदस्य क़ाज़ी सैयद करीमुद्दीन ने कहा–''मुसलमान पर्सनल लॉ को अपने धर्म का अंग समझता है । हमारे देश में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है, जो कि धार्मिक अधिकारों के आदेशमूलक सिद्धांतों अथवा पर्सनल लॉ में संशोधन चाहता हो । यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आदेश मूलक सिद्धांतों अथवा धर्म के पर्सनल लॉ में परिवर्तन चाहता है तो वह मुसलमान हो नहीं सकता । मुसलमान पर्सनल लॉ का पालन करना चाहते हैं, अत: उन क़ानूनों की रक्षा की जानी चाहिए ।'' संविधान सभा ने एक स्वर से मुस्लिम पर्सनल लॉ को स्वीकार किया ।

मुस्लिम पर्सनल लॉ पर डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में जो कुछ कहा वह आज भी सार्थक लगता है । अपने लंबे भाषण में डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा था–''हम स्वतंत्रता को अपनी सामाजिक पद्धति में सुधार करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं । हमारी सामाजिक पद्धति बहुत पक्षपातपूर्ण है । बहुत वैषम्य, भेद-विभेद तथा अन्य बातों से पूर्ण है और ये बातें हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधिनी है । अत: किसी व्यक्ति के लिएं यह विचार करना बिल्कुल ही असंभव है कि राज्य के न्याय क्षेत्र से पर्सनल लॉ निकाल दिये जाए । राज्य का यह कार्यभार नहीं है कि पर्सनल लॉ को समाप्त कर दिया जाए । अत: इस बात से किसी को सशंकित नहीं होना चाहिए । चूंकि राज्य को यह अधिकार है, इसलिए राज्य तुरंत ही इस प्रकार से इस अधिकार का प्रयोग करने अथवा प्रवर्तन करने में लग जाएगा जो भारत के मुसलमान, ईसाइयों अथवा किसी अन्य संप्रदाय को आपत्तिजनक हो ।''

डॉ॰ अम्बेडकर ने आगे जो कहा था वह भावी सरकारों के लिए चेतावनी स्वरूप है । उन्होंने कहा–''चाहे प्रभुता असीम क्यों न कहा जाए, वह सचमुच में होती है सर्वदा सीमित और वह इसलिए कि प्रभुता को अपनी शक्ति के प्रयोग में इस बात का विचार रखना पड़ता है कि वह प्रयोग विभिन्न समुदायों की भावनाओं के अनुकूल हो । कोई भी सरकार अपने अधिकार का इस तरह प्रयोग नहीं कर सकती कि मुसलमान संप्रदाय भड़क उठे और विद्रोह करने लगे । मेरे विचार से वह एक पागल सरकार ही होगी, जो ऐसा करे । परंतु यह एक ऐसा विषय है जिसका संविधान अधिकार के प्रयोग से है, न कि स्वयं अधिकार से ।''

परंतु विडम्बना यह है कि संविधान के तहत सत्ता में बैठे लोग ही अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुसलमानों व ईसाइयों को उनकी संविधान प्रदत्त अधिकारों का आदर करने के बजाय उन्हें राष्ट्र विरोधी साबित करने पर तुले हैं । डॉ॰ अम्बेडकर को भय था कि अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर हमला कर उन्हें भड़काने वाली पागल सरकारें सत्ता में आ सकती हैं, इसीलिए संविधान सभा में उन्होंने तथा अन्य सदस्यों ने धर्मान्तरण, पर्सनल लॉ तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कर दिया था । परंतु जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था से मनुवादी व्यवस्था को अधिक महत्व देते हैं और मनु को विश्व का सबसे बड़ा क़ानून-निर्माता मानते हैं, उनसे और क्या आशा की जा सकती है ?

सच्चाई यह है कि मोदी सरकार संविधान के तहत काम करते हुए भी भीतर से संविधान को ही कमज़ोर कर रही है । वह उस आर॰एस॰एस॰ के इशारे पर काम कर रही है जो कि भारत को धर्मनिरपेक्ष से बदलकर ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता पर आधारित हिन्दू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है । मोदी सरकार के मंत्री संघ परिवार के संगठन कार्यक्रमों में खुलेआम भाग ले रहे हैं जहां पर कि धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों को सेकुलरिस्ट कहकर मज़ाक़ उड़ाया जाता है और हिन्दू राष्ट्र का गुणगान किया जाता है ।

धर्मान्तरण, धार्मिक स्वतंत्रता, पर्सनल लॉ आदि विषयों पर विचार करते हुए हमें संविधान सभा में हुई बहसों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी हम संविधान के मर्म तथा संविधान सभा के सदस्यों की भावनाओं को समझ सकते हैं । हमें हिटलर के प्रचार मंत्री गोयवल्स के रास्ते पर चलने वाले भाजपा समेत संघ परिवार के संगठनों की इस रणनीति से सावधान रहना होगा कि एक झूठ को सौ बार दुहराने से वह सत्य बन जाता है ।

धर्मान्तरण विरोधी क़ानून का शिग़ूफ़ा

■ शीतला सिंह

केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह का कहना है कि धर्म परिवर्तन रोकने वाला क़ानून आवश्यक है, इसे लागू किया जाना चाहिए । जहां एक ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक जैसी संस्थाएं धर्म परिवर्तन को घर वापसी का नारा देकर देश में इसके लिए अभियान चला रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि राजनाथ सिंह और नये भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, जिन्हें प्रधानमंत्री का परम क़रीबी और सहयोगी बताया जाता है, क्या वास्तव में जो कुछ उन्हीं के दल के लोग कर रहे हैं, उसके विरुद्ध क़ानून बनाएंगे ? फिर, ऐसा करके वे किन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं ।

क्या धर्म परिवर्तन विधेयक लोकतांत्रिक मान्यता और संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल या विरोधी है ? इसी के साथ यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि वास्तव में केन्द्रीय गृहमंत्री की नीयत और इच्छा क्या है । अगर ऐसा क़ानून बना, तो क्या संविधान का वर्तमान ढांचा मूल रूप में सुरक्षित रह पाएगा ? साथ ही यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक मान्यताओं की आवश्यकता तो यही है कि नये परिवेश में जब भी ज़रूरत हो, इस संविधान में भी परिवर्तन किया जाए, ताकि यह लोक-इच्छाओं के विपरीत नहीं, बल्कि उसकी पूर्ति में सहायक हो ।

जब इस प्रश्न पर विचार होगा तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल भी उठेगा कि धर्म परिवर्तन से कौन घबराया हुआ है ? साथ ही यह कि, अगर धर्म परिवर्तन विरोधी क़ानून बन भी जाए, तो सबसे अधिक परिवर्तन करने वाले किस समाज में हैं और इस प्रतिबंध से किस पर कितना अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है ।

धर्म परिवर्तन तो सबसे अधिक आदिवासी, दलित और कमज़ोर वर्गों में हो रहा है, जो यह मानता है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज राजनाथ सिंह की पार्टी जिसे अपना मानती है, उसका सहयोगी नहीं है । स्वयं रोटी-बेटी और सामाजिक संबंधों की कौन कहे, उन्हें तो आज भी अछूत माना जाता है और धार्मिक स्थलों पर प्रवेश के समय भी उनका स्वागत नहीं, बल्कि विरोध ही होता है ।

आज भी पुरी के जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में यह बोर्ड लगा हुआ है कि यह मंदिर पारंपरिक हिन्दुओं के लिए है । यही कारण है कि इंदिरा गांधी जब एक बार मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए जाना चाहती थीं तो वहां के अधिकारियों, पुजारियों और बड़े पैमाने पर उनके समर्थकों ने यह कहकर विरोध किया था कि उन्होंने पारसी के साथ शादी की है, इसलिए भले धर्म परिवर्तन न किया हो, लेकिन धर्म-विरत हो गयी हैं । इसलिए इस पारंपरिक निष्ठा वाले मंदिर में प्रवेश और पूजा की पात्र नहीं रह गयी हैं । नतीजतन, उन्हें अपना निश्चय बदलना पड़ा था ।

हालांकि इंदिरा गांधी ने न तो धर्म परिवर्तन किया था और न ऐसे आयोजनों में शामिल हुई थीं । उनकी शादी भले फ़िरोज़ गांधी जैसे पारसी से हुई थी, लेकिन उनकी निष्ठा, विश्वास, सोच और मान्यता में कोई अन्तर नहीं आया था, इसलिए उनके बच्चे भी हिन्दू नामधारी ही बने और उन्होंने

यह लगभग सभी धर्मों में माना जाता है कि बच्चे को मां-बाप के धर्म को ही स्वीकार करने की मजबूरी है, लेकिन भारतीय संविधान की व्यवस्था इसके प्रतिकूल है । भारतीय संविधान के मूल अधिकार में व्यक्ति को धर्म और आचरण की स्वतंत्रता है । इसका निर्धारण करने में भी उस पर कोई रोक नहीं है । वह वयस्क होने के बाद जैसे जीवन संबंधी अन्य निर्णय करने के लिए सक्षम और समर्थ है, उसी प्रकार धर्म ग्रहण करने और त्यागने को लेकर भी उसे स्वतंत्रता हासिल है । उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता ।

पिता के बजाय मां का रास्ता अपनाया ।

इसलिए सवाल उठता है कि जिस धर्म में विरत करने का प्रावधान मौजूद हो और निर्णय लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि कुछ कट्टरपंथी के अनुयायी करते हों तो क्या इसे धार्मिक मान्यता के विस्तार और रक्षण वाला कहा जा सकता है ? यानी इससे तो व्यक्ति की इच्छा और निर्णय करने का अधिकार प्रभावित होता है । यह संदेश जाता है कि इसमें व्यक्ति के चिंतन और निर्णय के आधार पर धर्म मानने की स्वतंत्रता और प्रावधान ही नहीं है ।

यह लगभग सभी धर्मों में माना जाता है कि बच्चे को मां-बाप के धर्म को ही स्वीकार करने की मजबूरी है, लेकिन भारतीय संविधान की व्यवस्था इसके प्रतिकूल है । भारतीय संविधान के मूल अधिकार में व्यक्ति को धर्म और आचरण की स्वतंत्रता है । इसका निर्धारण करने में भी उस पर कोई रोक नहीं है । वह वयस्क होने के बाद जैसे जीवन संबंधी अन्य निर्णय करने के लिए सक्षम और समर्थ है, उसी प्रकार धर्म ग्रहण करने और त्यागने को लेकर भी उसे स्वतंत्रता हासिल है । उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता ।

यह कहा जा सकता है कि अनीश्वरवाद की कल्पना तो देश के षड्दर्शनों में भी है । तीन दर्शन-नैयायिक, वैशेषिक और सांख्य-ईश्वरवादी नहीं माने जाते । इसी प्रकार डॉ॰ राधाकृष्णन का मत था कि ऋग्वेद में मौजूद व्यक्ति साक्षी मात्र है, इसलिए वह जगत का रचयिता, संचालनकर्ता और नियामक नहीं हो सकता ।

इसी प्रकार बौद्ध और जैन दो मत लगभग पांच हज़ार वर्ष पूर्व आरंभ हुए लेकिन इसी देश के कट्टरपंथियों ने, जिन्हें ब्राह्मणवादी संस्कृति का पोषक कहा जाता था, इसके विरुद्ध अभियान चलाया और इसे अस्वीकार्य बताया, क्योंकि ये दोनों ही धर्म ईश्वर के बजाय गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को सर्वोच्च और निष्ठा वाला मानते थे । इसलिए उन्हें अनीश्वरवादी बताया गया ।

मगर भारतीय संविधान के अनुसार आपको किसी धर्म से बंधे रहने की अनिवार्यता नहीं है । यह आपके विवेक पर आधारित है कि आप धर्म के संबंध में संवैधानिक मूल अधिकार और स्वतंत्रता का किस प्रकार उपयोग करते हैं । यह मूल अधिकार के रूप में स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों ही स्थितियों में बरक़रार रहेगा ।

धर्मान्तरण विरोधी क़ानून बनने के बाद जब यह न्यायिक समीक्षा का विषय बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा कि क्या यह क़ानून संविधान विरोधी तो नहीं है । और इस क़ानून को वैध और स्वीकृत करने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि संविधान के मूल अधिकारों में धर्मान्तरण और मान्यता संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन किया जाए, यह परिवर्तन ही इसकी रक्षा कर पाएगा ।

फिर सवाल उठेगा कि हम क्या देश की धर्मनिरपेक्ष मान्यता को भी तो परिवर्तित नहीं करना चाहते और फिर यह परिवर्तन संविधान के किन-किन प्रावधानों और स्वरूपों के विपरीत होगा ।

इसलिए क्या धर्म के संबंध में व्यक्ति के मूल अधिकार रहने चाहिए या नहीं, वह अपने पैतृक धर्म के अलावा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता कि स्थिति पैदा होगी । हाल में देश के कुछ न्यायालयों ने यह व्यवस्था दी है कि केवल विवाह के लिए धर्म परिवर्तन उचित नहीं है । आख़िर यह कौन करता है ?

अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अभिनेता धर्मेन्द्र ने जिस सुविधा के लिए धर्म परिवर्तन किया था क्या वह स्थायी बन सका । इसलिए किन्हीं अन्य धर्मों में विवाह के लिए किसी ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी जाती, इसलिए जिस धर्म परिवर्तन विरोधी प्रावधान की वकालत की जा रही है, वह कितना संविधान के मूल अधिकारों का रक्षक या उनसे मुक्त होने का रास्ता खोलने वाला होगा । लोभ, लालच, भय और हिंसा के आधार पर किया गया कार्य भारतीय दंड विधि के अनुसार अपराध है, धर्मान्तरण भी इससे मुक्त नहीं है ।

प्रश्न धर्म की मान्यता, आचरण, विश्वास को लेकर कम, इस शब्दावली के प्रयोग को मुख्य रूप से राजनीतिक लाभ के लिए किये जाने पर अधिक है । इसके पीछे भी स्पष्ट कारण है, क्योंकि जहां एक ओर संदेश यह दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार के समर्थक हैं, इसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में धार्मिकता का न तो मुद्दा उभारा न जाति, धर्म, संप्रदाय को लक्ष्य करके कोई टिप्पणी की । वास्तव में मोदी देश की ऐसी सार्थक परिकल्पना के समर्थक हैं, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके । यह गति निरंतर बढ़ती रहे ।

इस विकास का प्रयास सभी क्षेत्रों में दिखे, इसीलिए तो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दौरों के मौक़े पर उनके संबोधन का मुख्य आधार देश की सभी क्षेत्रों में प्रगति रही है । अर्थव्यवस्था को उसके साथ जोड़ने में लाभ किसी ख़ास वर्ग-समुदाय नहीं, बल्कि पूरे देश को मिलेगा । महंगाई, बेकारी, काम के अवसर, शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं से सभी को जोड़ने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं की रचना भला इसे किसी एक धर्म के साथ आप कैसे जोड़ सकते हैं ।

लेकिन ख़ासतौर से जिस पार्टी ने धर्म के नाम पर आन्दोलन चलाया और इसी के बल पर अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया, आख़िर उसमें भी कट्टरपंथी कम नहीं हैं । वे भी दूसरे धर्म के कट्टरपंथियों की तरह ही सोचते हैं । यही कारण है कि मोदी के कुछ सांसदों और मंत्रियों को अपने आचरण और बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर संसद में माफ़ी मांगनी पड़ी है । लेकिन क्या उसके फलस्वरूप उनका सरकारी रुतबा और प्रभाव किसी प्रकार घटा है ।

ऐसे लोगों में देश की कुल जनसंख्या की तुलना में पन्द्रह फ़ीसद के आसपास हैं । लेकिन उनके संतोष के लिए कुछ भी उपाय करने पड़ेंगे । इसलिए सार्वजनिक तौर पर ऐसे प्रयासों का समर्थन तो नहीं होगा, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही भी नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक सोच और पहचान वाले सांसद अब भी हर मौक़े पर उसी पुरानी लीक पर चलते दिखते हैं, जो मंदिर निर्माण आन्दोलन और मस्जिद गिराओ अभियान के दौरान बनायी गयी थी । इसलिए धर्म परिवर्तन का दोहरा लाभ उठाने का प्रयत्न हो रहा है । इससे ये कट्टरपंथी संतुष्ट भी रहेंगे, जनता को यह बताएंगे कि हम जो कुछ कह या कर रहे हैं, वह मोदी के सोच से भिन्न नहीं है । वही हमारे स्वीकार्य नेता हैं । कुछ मजबूरियां होगी, जिसे वे खुलेआम ऐसी भाषा या शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं । अगर ऐसा न होता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आचार्यगण शब्दों में मामूली हेर-फेर करके विभिन्न मंचों से इसका प्रचार क्यों करते ! इस प्रकार स्वाभाविक ही कुछ लोग इसे सरकार और आर०एस०एस० की मिलीभगत बता रहे हैं ।

कविता

बुके

बुके अर्थात गुलदस्ता (फूलों का गुच्छा)
ध्यान से समाचारों को देखेंगे तो पाएंगे कि
आजकल राज दरबार में जो सर्वाधिक
छाया हुआ है वह है बुके ।

बुके का आदान-प्रदान कोई नयी बात नहीं है
हमेशा से होता आया है
किन्तु इधर नयी सरकार के आने के बाद
कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे
यहां वहां जहां तहां हर जगह
बुके ही बुके छोटे बड़े महंगे से महंगे
एक से एक सुन्दर सजावटी कलात्मक ।
हर बुके जैसे कोई प्रतियोगिता जीतने की
प्रथम पुरस्कार पाने की होड़ में हो !

सस्ते नहीं आते ऐसे बुके
कभी यदि ख़रीदना पड़ा होगा तो
अंदाज़ होगा आपको कि
मामूली-सा बुके भी कितने का आता है
और फिर बढ़ती महंगाई ने तो
वैसे ही हर शै के दाम दुगने तिगुने
चौगुने कर डाले हैं ।
ऐसी चीज़ों के दाम तो यूं भी
अनाप-शनाप लगाए जाते हैं !

शासन-प्रशासन के हर क्षेत्र में
ख़र्च कम करने की दुहाई देने वाली
हमारी नयी सरकार यदि चाहे तो
इस बुके-बाज़ी पर अंकुश लगाकर
काफ़ी पैसे की बरबादी रोक सकती है ।
क्योंकि बूंद-बूंद से घट भरता है
तो बूंद-बूंद से ख़ाली भी होता है ।

ओमप्रकाश बजाज
गुप्तेश्वर, जबलपुर (म०प्र०)

शिक्षा का व्यावसायीकरण या छात्र जीवन से खिलवाड़

■ विद्या प्रकाश

शिक्षा वह कुंजी है जिससे व्यक्ति के जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है । यह न केवल ज्ञानोपार्जन का माध्यम है बल्कि इससे व्यक्ति शिष्टाचार और अनुशासन का सबक़ भी सीखता है । हमारे समाज में विद्याविहीन व्यक्ति को साक्षात पुच्छ विषाणविहीन पशु स्वरूप माना गया है । ध न तो बांटने पर घटता है मगर इल्मो-हुनर वह दौलत है जिसे बांटने पर इज़ाफ़ा ही होता है ।

हमारे देश में पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार शिक्षा को व्यावसायिक रूप प्रदान किया जा रहा है और उसे शुद्ध रूप से अर्थोपार्जन का ज़रिया बनाया जा रहा है, उससे उसकी सार्थकता तथा उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है ।

प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक को देश के अन्य सूबों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में जानकारी नहीं है, मगर उ०प्र० के पूर्वांचल सहित अन्य जनपदों में गुणात्मक दृष्टिकोण से शिक्षा का स्तर दयनीय तथा चिंताजनक है । प्रदेश में स्वातंत्र्योपरांत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में जितनी वृद्धि हुई, उनके गुणात्मक स्तर में उतनी ही तेज़ी से गिरावट आती जा रही है जिसका लाभ कोचिंग सेंटर संचालक तथा ट्यूटर (गृह शिक्षक) उठाकर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं ।

अनेक कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या एक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से अधिक तथा कई गुना होती है तथा वे कई पालियों में पढ़ते हैं । इनकी मासिक फ़ीस भी चार-पांच सौ से कम नहीं होती । विद्यालय तथा कोचिंग सेंटर का शिक्षण शुल्क एक साथ वहन कर पाना एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार के लिए आर्थिक भार स्वरूप होता है । शहरों तथा ग्रामीण अंचलों के बाज़ारों और तहसील मुख्यालयों में निजी स्तर पर ऐसे सैकड़ों मांटेसरी और कान्वेंट स्कूल संचालित है जिनके प्रबंधक तथा व्यवस्थापक तालीम के नाम पर शुद्ध रूप से मुनाफ़ाबख़्श कारोबार कर रहे हैं । इनमें से अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां न स्वच्छ हवादार कमरे और प्ले ग्राउंड है और न कंप्यूटर प्रशिक्षण, वाचनालय, पुस्तकालय व प्रयोगशाला की पर्याप्त संतोषजनक व्यवस्था है मगर छात्रों के अभिभावकों की जेब व्यवस्था के नाम पर बराबर ढीली की जाती है । अभिभावकों से शिक्षक शुल्क के नाम पर मनमानी वाहन शुल्क वसूला जाता है मगर वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों को भेंड़-बकरियों की भांति ठूंसकर ले आया तथा ले जाया जाता है ।

इन विद्यालयों में जुलाई में नवीन शिक्षण सत्रारंभ होने पर विद्यार्थियों में विद्यालय प्रशासन की तरफ़ से अधिक कमीशन देने वाले पुस्तक प्रकाशक की पुस्तकें बेचकर मुनाफ़ाख़ोरी की जाती है । इसके अलावा कभी बिल्डिंग निर्माण, कभी पिकनिक, कभी वार्षिकोत्सव तथा कभी

लेखकों एवं रचनाकारों से

"कान्ति" में प्रकाशनार्थ जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उनकी स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना अथवा रचनाओं की वापसी के लिए अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा डाक टिकट सहित अवश्य भेजें । इसके अभाव में रचनाओं के विषय में हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं । ध्यान रहे कि पर्याप्त डाक टिकट लगाकर प्रकाशनार्थ सामग्री भेजें, ताकि डाक, बैरंग न हो । आशा है, आपका सहयोग मिलता रहेगा ।

-संपादक

मैगजीन के नाम पर अभिभावकों के अर्थ दोहन का सिलसिला किसी न किसी शक्ल में वर्षपर्यन्त बराबर चलता रहता है । ऐसे विद्यालयों के प्रबंधकों को आजकल बेरोज़गारी के ज़माने में हज़ार, 12 सौ माहवार वेतन पर अध्यापन करने वाले बहुतेरे आजीविकाविहीन शिक्षित युवक युवतियां आसानी से मिल जाया करते हैं । अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनकी विभागीय स्तर पर मान्यता सिर्फ़ जूनियर हाईस्कूल तक है मगर उनकी क्षेत्र के हाईस्कूल या इंटरमीडिएट तक की मान्यता प्राप्त दूसरे समीपवर्ती माध्यमिक विद्यालयों से सेटिंग रहती है तथा अभिभावकों को अंधकार में रखकर झांसा देकर वे विद्यार्थियों का अपने विद्यालय से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा फार्म भरवाते हैं तथा इस प्रकार शिक्षा परीक्षा के नाम पर मनमानी धनोपार्जन कर रहे हैं ।

बहुसंख्य माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां हर साल मार्च-अप्रैल में होने वाली बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नक़ल होती है तथा परीक्षार्थियों से मनमानी रुपया लेकर नक़ल में छूट की सुविधा प्रदान की जाती है । इनमें से अनेक विद्यालय सामूहिक नक़ल के आरोप में ब्लैकलिस्टेड कर दिये जाते हैं मगर विभागाधिकारियों की मिलीभगत तथा सांठगांठ के चलते उन्हें पुनः अगले साल परीक्षा केन्द्र घोषित कर दिया जाता है । जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, प्रदेश में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर सहित ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हैं जहां हर साल शिक्षण सत्र अनियमित चलता है ।

जुलाई में नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होने के पांच-पांच, छह-छह महीनों के बाद भी कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम समय पर कभी नहीं निकलता तथा जो निकलता भी है वह त्रुटिपूर्ण तथा आधा-अधूरा ।

एक तो परीक्षा फल घोषित करने में विलंब कर विद्यार्थियों के भविष्य से खुल्लम-खुल्ला खिलवाड़ किया जाता है, ऊपर से त्रुटिपूर्ण अपूर्ण प्राप्तांक पत्रों को दुरुस्त करने के नाम पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों से मनमानी धन वसूली की जाती है । उनकी खाल गेंडे की तरह इतनी मोटी हो गयी है कि छात्र संगठनों के इस मुद्दे को लेकर ज़िला मुख्यालय पर बार-बार धरना-प्रदर्शन, अनिश्चित-कालीन भूख हड़ताल व आन्दोलन के बावजूद उन पर न

कान्ति को 'स्टेट एक्सीलैंस एवार्ड'

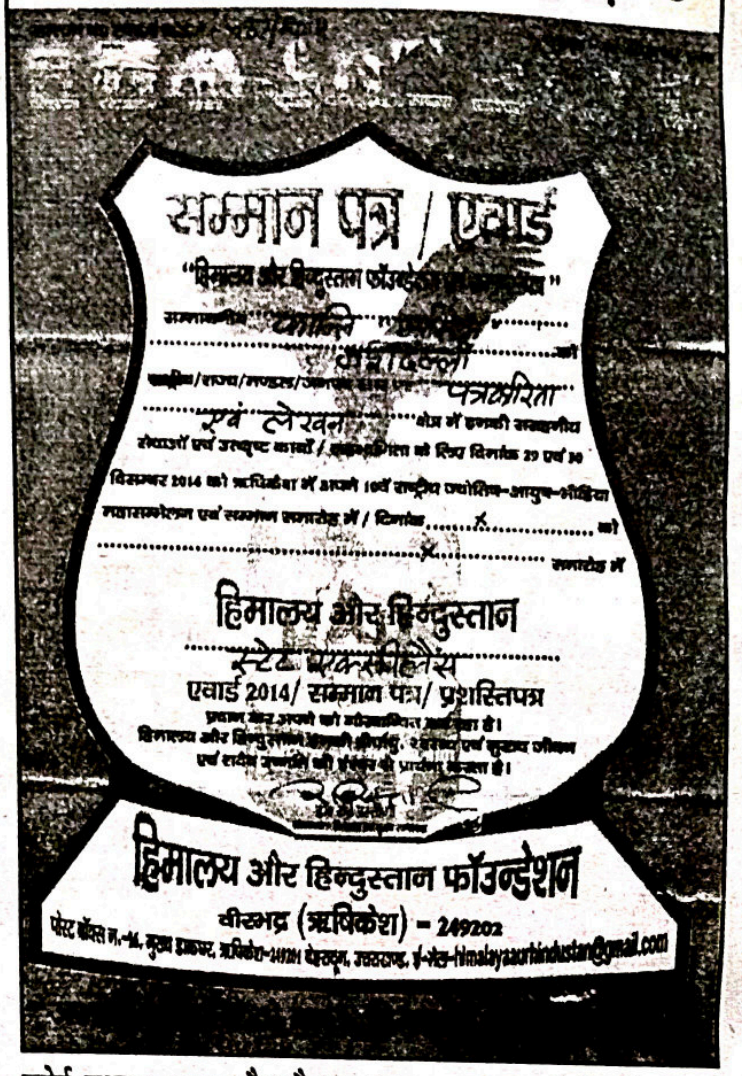

कोई प्रभाव पड़ता है और न भ्रष्ट व्यवस्था में किसी प्रकार का शीघ्र सुधार दृष्टिगत होता है ।

कुलपति का बार-बार इस समस्या की तरफ़ ध्यानाकृष्ट करने पर सुधार का आश्वासन तो दिया जाता है मगर सुधार की उम्मीद कौन करे, हालत पहले से और भी बदतर तथा ख़राबतर हो जाया करती है ।

प्राथमिक पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा क्षेत्र में हर तरफ़ अराजकता का माहौल है । सरकार द्वारा शैक्षणिक स्तरोन्नयन का जितना बढ़-चढ़कर दावा किया जाता है, स्थिति उतनी ही विकट तथा गंभीर होती जा रही है । शिक्षाविदों तथा जागरूक प्रबुद्ध अभिभावकों द्वारा विकृत शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग नक्कारख़ाने में तूती की आवाज़ साबित हो रही है । आज हमारे समक्ष यह एक गंभीर चुनौती है । इस दिशा में हमें सुनियोजित तथा गंभीरपूर्वक प्रयास कर सुधार की दिशा में पहलक़दमी करनी ही होगी ।

जीव-जन्तुओं का महत्व

■ अबरार अहमद
(कोटा, राज०)

जीव, कोशिका या कोशिकाओं का बना वह संगठन है, जिसमें बाह्य एवं आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है और चेतना होती है। सजीवों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे–सजीव अपने पैतृकों से प्रजनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनमें वृद्धि होती है, उनका निश्चित आकार एवं आकृति होती है। जीवों में पोषण, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं पायी जाती हैं, इनमें अनुकूलन, गतियां, जीवन-संघर्ष आदि प्रक्रियाएं पायी जाती हैं तथा सजीव अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर भीमकाय हाथी तक विभिन्न परिमाण आकार तथा संरचना वाले लाखों जीव हमारी पृथ्वी पर पाये जाते हैं।

पक्षियों में वायवीय जीवन के लिए विशेष अनुकूलन पाये जाते हैं। पक्षियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें उड़ने की क्षमता का पाया जाना है। दरअस्ल इनके पंख रूपांतरित अग्रपाद होते हैं। इनका शरीर नौकाकार होता है, जिससे इन्हें वायु में उड़ने में सरलता रहती है। इनकी त्वचा पर कोमल परों का आवरण होता है। इनका अंतः कंकाल अस्थियों का बना, हल्का एवं खोखला होता है, जो उड़ने में सहायक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पक्षी हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। पक्षियों के बारे में इस्लाम का अक़ीदा यह है कि अल्लाह के हुक्म से ये हवा में उड़ते हैं तथा अल्लाह ही ने इन्हें थाम रखा है।

अतः पवित्र कुरआन में है–"क्या इन लोगों ने कभी पक्षियों को नहीं देखा कि आसमानी फ़िज़ा में किस प्रकार वशीभूत हैं ? अल्लाह के सिवा किसने उनको थाम रखा है ? इसमें बहुत निशानियां हैं, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं।" (कुरआन, 16:79)

"क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले पक्षियों को पंख फैलाये और सिकोड़ते नहीं देखते ? रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हो। वही हर चीज़ का निगहबान है।" (कुरआन, 67:19)

सरीसृप या रेप्टीलिया जन्तु पूर्णरूपेण स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं। ये पेट के बल रेंगकर चलने वाले जन्तु होते हैं। ये प्रथम करोरुकी प्राणी हैं जो भूमि या अन्य जगहों पर पेट के बल रेंगकर चलते हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। ये सुप्तावस्था अथवा शीतनिष्क्रियता धारण करने वाले होते हैं। इनकी त्वचा शुष्क, खुरदरी, ग्रंथिविहीन होती है। सरीसृप वर्ग के कुछ प्राणियों की त्वचा में रंग परिवर्तन करने की क्षमता भी पायी जाती है, जैसे–गिरगिट।

स्तनधारी वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाये जाते हैं। इनमें से अधिकतर स्थल पर रहते हैं, जबकि कुछ प्राणी जल में रहने तथा कुछ वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनमें दो जोड़ी पैर होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, पानी में तैरने या हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं।

व्हेल मछली जल में पायी जाती है, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है, जबकि मनुष्य, घोड़ा, गधा, खच्चर आदि स्थलीय स्तनधारी प्राणी हैं।

प्रत्येक जीव का स्रोत पानी है, अर्थात प्रत्येक जीव एक प्रकार के पानी से पैदा किया गया है।

जब कोई प्राणी भोजन की खोज, आवास, आत्मरक्षा, प्रजनन आदि कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो इसे 'चलन' कहते हैं। कुछ प्राणी रेंगकर चलते हैं, तो कुछ दो पैरों से और कुछ चार पैरों से चलते हैं।

"और अल्लाह ने हर जीवधारी को एक तरह के पानी से पैदा किया। कोई पेट के बल चल रहा है तो कोई दो टांगों पर और कोई चार टांगों पर। जो कुछ वह चाहता है पैदा करता है, उसे हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है।" (कुरआन, 24:45)

मनुष्य के जीवन में जीव-जन्तुओं का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य ईश्वर द्वारा पैदा किया गया सर्वश्रेष्ठ जीव है।

मनुष्य धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि है । प्रतिनिधि वह होता है जो अपने स्वामी की प्रदान की हुई सत्ता और अधिकारों का प्रयोग उसके आदेशानुसार करता है । इस कार्य को करने हेतु उसे कुछ सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है । अतः अल्लाह ने समस्त जीव-जन्तुओं को मनुष्य की सेवा में लगा दिया है । चूंकि इस्लाम मनुष्य को अल्लाह द्वारा पैदा किये गये जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव ठहराता है, अतः उसे इस बात का अधिकार है कि वह अपने लिए बनायी गयी सृष्टि की प्रत्येक चीज़ का मर्यादा और सीमा में रहकर इस्तेमाल करे ।

कुछ जानवर जैसे–घोड़े, गधे और खच्चर इन्सान की सवारी के तथा बोझ ढोने के काम आते हैं । ये जानवर इन्सान को ऐसे स्थानों तक ले जाते हैं, जहां तक वह पैदल चलकर कदापि नहीं जा सकता ।

कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, जैसे–बकरी भेड़ आदि, जिनका इन्सान गोश्त (मांस) खाता है तथा जिनकी खाल से पहनने और बिछाने के वस्त्र भी बनाए जाते हैं ।

कुछ मादा जानवर जैसे–गाय, बकरी आदि दूध देते हैं, जो मनुष्य के पीने के काम आता है तथा पीने में अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है ।

अर्थात जानवरों से इन्सान को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं । मनुष्य के जीवन में जीव-जन्तुओं के महत्व को दर्शाने वाली कुरआन की कुछ आयतें आगे दी जा रही है–"फिर वही है जिसने चौपायों में से वे जानवर भी पैदा किये जिनसे सवारी और बोझ ढोने का काम लिया जाता है और वे भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं ।"

(कुरआन, 6:142)

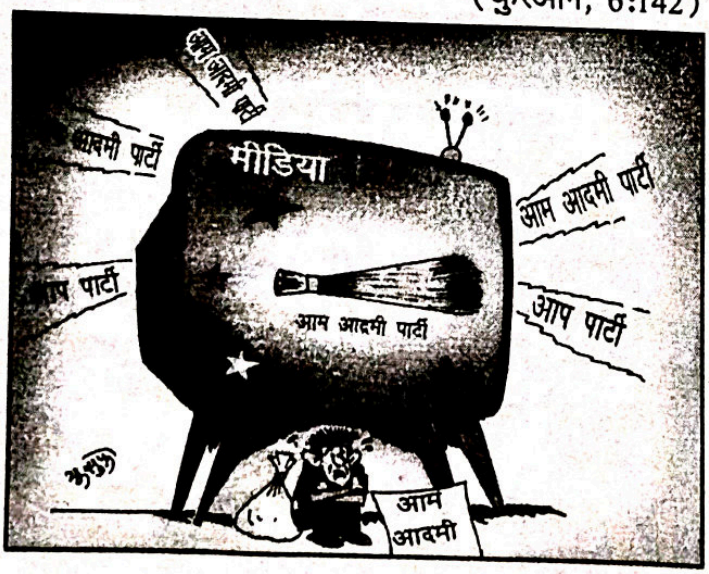

"वे (जानवर) तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे-ऐसे स्थानों तक ले जाते हैं जहां तुम जान-तोड़ परिश्रम के बिना नहीं पहुंच सकते ।"

(कुरआन, 16:7)

"उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किये ताकि तुम उन पर सवार हो और वे तुम्हारी ज़िन्दगी की शोभा बनें ।"

(कुरआन, 16:8)

"अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ये चौपाये बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त खाओ । उनमें तुम्हारे लिए और भी बहुत-से लाभ हैं । वे इस काम भी आते हैं कि तुम्हारे दिलों में जहां जाने की ज़रूरत हो वहां तुम उन पर पहुंच सको ।"

(कुरआन, 40:79-80)

"उसने जानवर पैदा किये जिनमें तुम्हारे लिए वस्त्र भी हैं और खुराक भी, और तरह-तरह के दूसरे फ़ायदे भी ।"

(कुरआन, 16:5)

"और तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा मौजूद है । उनके पेट से गोबर और ख़ून के बीच से हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं, अर्थात शुद्ध दूध, जो पीने वालों के लिए अत्यंत स्वादिष्ट है ।"

(कुरआन, 16:66)

उपरोक्त आयतों से स्पष्ट है कि अल्लाह ने विभिन्न जानवर पैदा किये और उन्हें मनुष्य की सेवा में लगा दिया । मनुष्य इन जानवरों से अनेक लाभ प्राप्त करता है ।

मनुष्य के जीवन में जीव-जन्तुओं का अत्यधिक महत्व है । ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन जीव-जन्तुओं के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है । यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु अल्लाह के आदेश से मनुष्य को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाते हैं । अतः मनुष्य को सदैव अल्लाह का कृतज्ञ रहना चाहिए और उसे सीमा में रहकर इन जीव-जन्तुओं से लाभ प्राप्त करना चाहिए ।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित ।
फोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

हमारी नई पुस्तकें

झाड़-फूँक इस्लाम की रौशनी में	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
इस्लाम कैसे फैला?	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	36.00
कुव्वत का असल राज़	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
तलख़ीस तफ़हीमुल कुरआन (सूरा यासीन)	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	20.00
इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	100.00
इस्लामी पारिभाषिक शब्द	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
सूफी बुज़ुगो की अनमोल बातें	मुहम्मद फारूक ख़ां	20.00
अध्यात्म का महत्व और इस्लाम	मुहम्मद फारूक ख़ां	20.00
आत्मा और परमात्मा	मुहम्मद फारूक ख़ां	24.00
सफलता और मुक्ति का एक ही रास्ता	मुहम्मद फारूक ख़ां	24.00
नफ़्स का तज़किया और हम	मुहम्मद फारूक ख़ां	24.00
मुक्ति की धारणा और इस्लाम	मुहम्मद फारूक ख़ां	26.00
कुरआन पर अमल	सुमय्या रमज़ान	75.00
विशुद्ध एकेश्वरवाद	मुहम्मद यूसुफ इस्लाही	24.00
हक़ की दावत और ग़ैर मुस्लिम	मतीन तारिक बाग़पती	16.00
रहमत ही रहमत	अश-शैख़ अताउल्लाह कुरेजा	66.00
सर्वधर्म समभाव और इस्लाम धर्म	शोबा-ए-दावत	30.00
हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)की बेटियाँ	तालिब हाशिमी	22.00
ब्याज का हराम होना	डॉ० मुहम्मद उमर छापरा	32.00
मीरास का बँटवारा और उसके हकदार	मिर्ज़ा सुबहान बेग	26.00
इस्लामः दयालुतापूर्ण ईश्वरीय धर्म	डॉ० फरहत हुसैन	28.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26981652, 26984347, Fax: 26987858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

Posted on 20-21 February 2015
March 2015
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.02.2015

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

بسم الله الرحمن الرحيم

"नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करे ।"

(क़ुरआन)

A WELL WISHER

TARIKERE
KARNATAK